{उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25, 1964}

THE UTTAR PRADESH KRISHI UTPADAN MANDI ADHINIYAM, 1964

[U. P. Act No. XXV of 1964]

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964¹ [उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25, 1964]

उ०प्र० अधिनियम संख्या 10, 1970

राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 13,1973 (जैसा कि उ०प्र० अधिनियम संख्या ३०, 1974 द्वारा परिष्कारों सहित पुनः अधिनियमित) द्वारा संशोधित।

{उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 7 अगस्त, 1964 ई0 तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 8 सितम्बर, 1964 ई0 की बैठक में स्वीकृत किया।

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 201 के अन्तर्गत राष्ट्रपति ने दिनांक 28 अक्टूबर, 1964 ई0 को स्वीकृति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 10 नवम्बर, 1964 ई0 को प्रकाशित हुआ।}

उत्तर प्रदेश में कृषि—उत्पादन के क्रय—विक्रय के विनियमन और उनके लिए मण्डियों की स्थापना तथा उनके अधीक्षण और नियन्त्रण की व्यवस्था करने का

अधिनियम

भारतीय गणतंत्र के पन्द्रहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

अध्याय -1

प्रारम्भिक

1--- (1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 कहलायेगा।

संक्षिप्त शीर्षनाम और प्रभार

- (2) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।
- 2-- विषय या प्रसंग में कोई प्रतिकूल बात न होने पर, इस अधिनियम में -

परिभाषायें

- (क) "कृषि उत्पादन" का तात्पर्य कृषि, उद्यान—कर्म, द्राक्षा—कृषि, मधुमक्खी—पालन, कोष—पालन, मत्स्य संवर्धन, पशु —पालन या वन उत्पाद, की ऐसी मदों से है जो अनुसूची में निदिष्टि हों, और इसके अन्तर्गत दो या अधिक ऐसी मदों का सिम्मश्रण भी है, और इसमें संशोधित रूप में ऐसी कोई मद भी सिम्मिलित है, और इसके अन्तर्गत गुड़, राब, शक्कर, खाण्डसारी तथा जगरी भी है;}²
- ⁴{(क−1) ''परिषद्'' का तात्पर्य धारा 26−क के अधीन संघटित राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् से है;}³
- (ख) ''दलाल'' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो कारोबार के सामान्य क्रम में कमीशन या पारिश्रमिक पर, चाहे वह नकदी में हो या जिन्स में, अपने प्रतिरोनियोक्ता की ओर से कृषि—उत्पादन के क्रय या विक्रय की संविदाओं की बात या व्यवस्था करता हो किन्तु इसके अन्तर्गत ऐसे प्रतिनियोक्ता का सेवक नहीं है, भले ही वह ऐसी संविदाओं की बात अथवा व्यवस्था करता हो;
- (ग) ''उप—विधि'' का तात्पर्य धारा 39 के उपबन्धों के अनुसार बनायी गयी उप—विधियों से है;
- (घ) "केन्द्रीय गोदाम निगम" का तात्पर्य वेयर हाउसिंग कोपोरेशन ऐक्ट, 1962 के अधीन स्थापित या स्थापित किया गया समझे गये सेन्ट्रल वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन से है;

उददेश्यों और कारणों के विवरण के लिए दिनांक 10 दिसम्बर, 1963 ई0 का सरकारी असाधारण गजट देखें।

^{2.} उ०प्र० अधिनियम संख्या 10, 1970 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित एवं सदैव से प्रतिस्थापित समझे जायेंगे।

उ०प्र० अधिनियम संख्या ३०, १९७४ द्वारा पुनः अधिनियमित राष्ट्रपति अधिनियम संख्या १३, १९७३ की धारा २ (१) द्वारा अन्तःस्थापित।

उ०प्र० अधिनियम संख्या ३०, १९७४ की अनुसूची की मद संख्या २ (ख) द्वारा पुनर्संख्यािकत।

- $\{(u-1)^3$ किसी मण्डी क्षेत्र की समिति के सम्बन्ध में," कलेक्टर" का तात्पर्य उस जिले के कलेक्टर से है जहां उस मण्डी क्षेत्र का प्रदान मण्डी स्थल है, और इसके अन्तर्गत ऐसा अन्य अधिकारी भी है जो उसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किया जायं; $\}^1$
- (ङ) ''आढ़ितया'' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो कारोबार के सामान्य कम में कृषि—उत्पादन के स्वामी अथवा विकेता या केता की ओर से आढ़त या कमीशन पर, कृषि—उत्पादन का क्रय या विक्रय करता हो या करने का प्रस्ताव करता हो;
- {(ङङ) किसी निर्दिष्ट कृषि उत्पादन के सम्बन्ध में, "थोक सौदा" का तात्पर्य उस उत्पादन के ऐसे परिमाण के क्रय और विक्रय से है, जो मण्डी समिति द्वारा अपनी उपविधियों में विनिर्दिष्ट फुटकर विक्रय की सीमा से अधिक हो;}⁸
 - (च) "सिमति" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन संघटित सिमति से है;
- (छ) "सहकारी क्रय—विक्रय समिति" का तात्पर्य उत्पादकों को ऐसी सहकारी समिति से है, जो की {उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 के अधीन निबन्धित हो या निबन्धित समझी जाय}⁴ और जिसका मुख्य उद्देश्य कृषि—उत्पादन के विक्रय या क्रय को बढाना हो;
- {(ज) "निदेशक" का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा मण्डी निदेशक के रूप में नियुक्त अधिकारी से है, और इसके अन्तर्गत ऐसा कोई अन्य अधिकारी है, जो इस अधिनियम के अधीन निदेशक, के सभी या किसी कृत्य का पालन करने के लिये निदेशक द्वारा प्राधिकृत हो;}²
- $\{(m-1)$ "निर्वाचन निदेशक" का तात्पर्य राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त नियुक्त अधिकारी से है और इसके अन्तर्गत निर्वाचन निदेशक द्वारा इस अधिनियम के अधीन उसके समस्त या किन्हीं कृत्यों का निर्वहन करने के लिए प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी भी है; $\}^5$
- (झ) ''लाइसेन्सधारी'' का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है, जिसे इस अधिनियम के अधीन लाइसेन्स दिया जाय;
- {(ञ) ''स्थानीय निकाय'' का तात्पर्य उत्तराखण्ड में प्रवृत्त किसी अधिनियम के अधीन गठित या स्थापित नगर निगम, नगर पालिका परिषद्, नगर पंचायत, जिला पंचायत या ग्राम पंचायत से है;}
- (ट) ''मण्डी–क्षेत्र'' का तात्पर्य ऐसे क्षेत्र से है, जो धारा 6 के अधीन इस रूप में विज्ञापित किया गया हो या जो धारा 8 के अधीन यथा–परिवर्तित हो;
 - (ठ) "सदस्य" का तात्पर्य समिति के सदस्य से है;
- {(ठ—1) ''नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों'' का तात्पर्य उत्तराखण्ड {उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ों वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994} अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001 की अनुसूची—1 में विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों से हैं;}

उ०प्र० अधिनियम संख्या ३०, १९७४ द्वारा पुनः अधिनियमित राष्ट्रपति अधिनियम संख्या १३, १९७७ की धारा २ (दो) द्वारा अन्तःस्थापित किया गया।

^{2.} उपर्युक्त की धारा 2 (तीन) द्वारा रखा गया।

^{3.} उ०प्र० अधिनियम संख्या ३०, १९७४ की अनुसूची की मद संख्या २ (ख) द्वारा पुर्नसंख्यािकत।

^{4.} उ०प्र० अधिनियम संख्या ६, १९७७ की धारा २ (क) द्वारा प्रतिस्थापित।

उपर्युक्त की धारा 2 (ख) द्वारा प्रतिस्थापित।

^{6.} उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 6, 2004 की धारा 2 (क) द्वारा प्रतिस्थापित।

^{7.} उपर्युक्त की धारा 2 (ख) द्वारा बढ़ाया गया।

उ०प्र० अधिनियम सं० १९ वर्ष १९७० की धारा २ (दो) द्वारा प्रतिस्थापित।

ऐक्ट संख्या 58,1962

- (ड) ''पल्लेदार'' का तात्पर्य ऐसे श्रमिक से है, जो किसी कृषि—उत्पादन का दड़ा बनाने, कृषि—उत्पादन को लादने, उतारने, या भरने या खाली करने अथवा ढोने के कार्य में लगाना गया हों:
- (ढ) "नियत" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा नियत से है:
- (ण) ''प्रधान मण्डी—स्थल'' का तात्पर्य मण्डी—क्षेत्र के किसी ऐसे भाग से है जो धारा 7 के अधीन इस रूप में घोषित हों;
- (त) "उत्पादक" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो कृषि—उत्पादन को या तो स्वयं या पारिश्रमिक पर रखे गये श्रमिकों के माध्यम से उत्पादित करे, पाले—पोशे या पकड़े किन्तु ऐसे उत्पादक से नहीं है जो व्यापारी, दलाल या आढ़ितया के रूप में भी कार्य करता हो या जो साधारणतया कृषि—उत्पादन का अन्य प्रकार से संग्रह करने का कारोबार करता हो :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि यह प्रश्न उठे कि इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये कोई व्यक्ति उत्पादक है अथवा नहीं, तो निदेशक का निर्णय, ऐसी रीति से जांच करने के पश्चात् जो नियत की जांय, अन्तिम होगा;

- (थ) ''क्रय'' के अन्तर्गत वस्तु—विनिमय या गिरवी के रूप में अथवा पेशगी दी गयी धनराशि को प्रतिभृति के रूप में माल की प्राप्ति भी है;
- $\{(24-1)^1$ ''विनिमय'' का तात्पर्य धारा 26—भ के उपबन्धों के अनुसार परिषद् द्वारा बनाये गये विनियमों से हैं; $\}^2$
- {(थ–2) किसी निर्दिष्ट कृषि उत्पादन के संबंध में, "फुटकर विक्रय" का तात्पर्य उस उत्पादन के ऐसे परिणाम के विक्रय से है जो मण्डी समिति द्वारा अपनी उपविधियों में विनिर्दिष्ट फुटकर विक्रय की सीमा से अनिधक हो;}³
- (द) ''विक्रय'' के अन्तर्गत वस्तु—विनिमय या गिरवी के रूप में अथवा अग्रिम धनराशि की प्रतिभूति के रूप में माल का निक्षेप भी है;
 - (ध) "सचिव" का तात्पर्य धारा 23 के अधीन इस रूप में नियुक्त से है;
- (न) "निर्दिष्ट कृषि—उत्पादन" का तात्पर्य धारा 6 के अधीन या धारा 8 के अधीन यथा—परिष्कृत विज्ञप्ति में निर्दिष्ट कृषि—उत्पादन से है;
 - (प) "राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की सरकार से है;
- (फ) ''राज्य गोदाम निगम'' का तात्पर्य वेयर हाउसिंग कापोरेशन ऐक्ट, 1962 के अधीन स्थापित या स्थापित किसा गया समझे गये उत्तर प्रदेश के स्टेट वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन से हैं;
- (ब) ''उप मण्डी—स्थल'' का तात्पर्य मण्डी—क्षेत्र के किसी ऐसे भाग से है जो धारा 7 के अधीन इस रूप में घोषित हों;
- (भ) 'व्यापारिक परिव्यय'' का तात्पर्य किसी भी नाम से कहे जाने वाले किसी ऐसे परिव्यय से है जो, व्यापार की किसी रुढ़ि या प्रथा के अधीन या ऐसी रुढ़ि या प्रथा के नाम पर अन्यथा, किसी निर्दिष्ट कृषि उत्पादन के क्रय या विक्रय के किसी सौदे के सम्बन्ध में किसी व्यापारी द्वारा वसूल किया जाता हो या वसूल किया जा सकता हो या उसको देय हो।

।. उ०प्र० अधिनियम संख्या ३०, १९७४ की अनुसूची की मद संख्या २ (ख) द्वारा पुर्नसंख्याकित।

उ०प्र० अधिनियम संख्या ३०, १९७४ द्वारा पुनः अधिनियमित राष्ट्रपति अधिनियम सं० १३, १९७७ की धारा २(चार) द्वारा अन्तःस्थापित।

^{3.} उ०प्र० अधिनियम संख्या १९, १९७० की धारा २ (एक) द्वारा प्रतिस्थापित।

(धारा 3-5)

स्पष्टीकरण — नमूने से क्रय किये जाने की दशा में नमूने से अन्तर होने के कारण, या किसी ज्ञात मानक से क्रय किये जाने की दशा मानक के अन्तर होने के कारण अथवा वास्तविक और मानक माप या तौल में भिन्नता के कारण, की गयी कटौती से भिन्न प्रत्येक कटौती व्यापारिक परिव्यय समझी जायगी।}⁵

(म) ''व्यापारी'' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो कारोबार के सामान्य क्रम में स्वंय अपनी ओर से अथवा एक या अधिक प्रतिनियोक्ताओं के यथाविधि प्राधिकृत अभिकर्त्ता के रूप में, कृषि उत्पादन का क्रय या विक्रय करता हो, तथा उसके अन्तर्गत वह व्यक्ति भी है, जो कृषि—उत्पादन के प्रक्रिया कार्य में लगा हों;

{(कक) ''गांव'' का वही अर्थ होगा, जो उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 में है;}³

(खख) ''तोलक'' का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है, जो कारोबार के सामान्य कम में कृषि—उत्पादन के क्रय या विक्रय के सौदे के सम्बन्ध में तौलने का काम करता हो;

(गग) ''तौलने सा मापने का यंत्र'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश बांट तथा माप (प्रचलन) अधिनियम, 1959 में यथापरिभाषित तौलने का यंत्र या मापक यंत्र से है; उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5,1959

(घघ) ''बाट या माप'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश बाट तथा माप (प्रचलन) अधिनियम, 1959 में यथापरिभाषित व्यापारिक बाट या माप अथवा मानक बाट या माप से है।

3--- {***}1

4—— (1) उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के उपबन्ध प्रभावी होंगे, भले ही किसी अन्य विधि, रूढ़ि, प्रथा या अनुबन्ध में कोई असंगत बात दी हो।

अन्य विधि के विरुद्व होना

(2) इसेन्शियल कमोडिटीज ऐक्ट, 1955 की धारा 3 के उपबन्ध और तद्धीन दी गयी आज्ञाएं प्रभावी होंगी, भले ही इस अधिनियम में या तद्धीन बनाये गये किसी नियम, उपविधि या दी गयी आज्ञा में कोई असंगत बात दी हो। ऐक्ट संख्या 10, 1955

{4-क-- राज्य सरकार, गजट में विज्ञप्ति द्वारा, अनुसूची में निर्दिष्ट कृषि उत्पादन की किसी मद को बढ़ा सकती है, उनमें संशोधन कर सकती है या उसे निकाल सकती है और तदुपरान्त अनुसूची तदनुरूप संशोधित हो जायगी।}²

अनुसूची में संशोधन का अधिकार

अध्याय -2

मण्डी-क्षेत्र तथा मण्डी-स्थल

5— (1) यदि राज्य सरकार की यह राय हो कि लोक—हित में यह आवश्यक या इष्टकर है कि किसी ऐसे क्षेत्र में किसी कृषि उत्पादन के क्रय—विक्रय को विनियमित किया जाय {***} और इस प्रयोजन के लिये इस क्षेत्र को मण्डी—क्षेत्र घोषित किया जाय, तो वह गजट में विज्ञप्ति द्वारा और ऐसी अन्य रीति से जो नियत की जाय, ऐसा करने के अपने अभिप्राय की घोषणा कर सकता है और प्रस्तावित घोषणा के विरुद्ध आपत्तियां आमंत्रित कर सकता है।

किसी क्षेत्र में कृषि— उत्पादन के क्रय—विक्रय को विनियमित और नियंत्रित करने के अभिप्राय की घोषणा

^{1.} उ०प्र० अधिनियम संख्या ३०, १९७४ द्वारा पुनः अधिनियमित राष्ट्रपति अधिनियम सं० १३, १९७४ की धारा ३ द्वारा लोप की गयी।

^{2.} उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10, 1970 की धारा 3 द्वारा बढ़ायी गयी।

^{3.} उ०प्र० अधिनियम संख्या ६, १९७७ की धारा २ (ग) द्वारा प्रतिस्थापित।

^{4.} उपर्युक्त की धारा 3 द्वारा निकाला गया।

^{5.} उ०प्र० अधिनियम संख्या 7, 1978 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

धारा 6-8

- (2) उपधारा (1) के अधीन कोई भी आपत्ति, ऐसी अवधि के भीतर भेजी जा सकती है, जो नियत की जाय, वह निदेशक को सम्बोधित की जायगी, जो उसे, उस पर अपनी समीक्षा के साथ, राज्य सरकार को भेजेगा।
- 6— धारा 5 में आभिदिष्ट अवधि के व्यतीत हो जाने पर, राज्य सरकार उक्त अवधि के भीतर प्राप्त हुई आपित्तयों पर विचार करेगी और तदुपरान्त गजट में विज्ञप्ति द्वारा और ऐसी अन्य रीति से, जो नियत को जाय, यह घोषण कर सकती है कि धारा 5 के अधीन विज्ञप्ति में उल्लिखित सम्पूर्ण क्षेत्र या उसका कोई निर्दिष्ट भाग ऐसे कृषि—उत्पादन के सम्बन्ध में और ऐसे दिनांक से, जो घोषणा में निर्दिष्ट किया जाय, मण्डी—क्षेत्र होगा।

मण्डी-क्षेत्र की घोषणा

[7—— (1) धारा 6 के अधीन विज्ञप्ति के प्रकाशन के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र राज्य सरकार, गजट में विज्ञप्ति द्वारा मण्डी—क्षेत्र के ऐसे भाग को जो निर्दिष्ट किया जाय प्रधान मण्डी—स्थल और ऐसे अन्य भागों को जो निर्दिष्ट किये जायं, उप—मण्डी—स्थल घोषित कर सकती है :}¹

 $\{y$ तिबन्ध यह है कि सम्पूर्ण प्रधान मण्डी—स्थल केवल एक ही जिले की सीमाओं के भीतर स्थित होगा। $\}^2$

- {(2) राज्य सरकार, जहां लोक हित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, अधिसूचना द्वारा —
 - (क) प्रधान मण्डी या उप मण्डी स्थल के क्षेत्र में किसी क्षेत्र को सिम्मिलित कर सकती है या उससे कोई क्षेत्र निकाल सकती है या वर्तमान प्रधान मण्डी स्थल या उप मण्डी स्थल को समाप्त कर सकती है और नये प्रधान मण्डी स्थल या उप मण्डी स्थल घोषित कर सकती है;
 - (ख) घोषित कर सकती है कि किसी मण्डी क्षेत्र के संबंध में निर्दिष्ट कृषि उत्पादन में से सभी या किसी का थोक सौदा उसके प्रधान मण्डी स्थल के भीतर केवल किसी निर्दिष्ट स्थान या स्थानों पर किया जायगा।}³
- 8—— (1) राज्य सरकार, यदि वह लोक—हित में ऐसा करना इष्टकर या आवश्यक समझे तो गजट में विज्ञप्ति द्वारा ऐसी अन्य रीति से जो नियत की जाय, तथा विज्ञप्ति में निर्दिष्ट दिनांक से —

मण्डी—क्षेत्र के परिवर्तन और कृषि—उत्पादन की सूची का परिष्कार

- (क) धारा 6 के अधीन विज्ञप्ति में निर्दिष्ट कृषि—उत्पादन की सूची में कोई कृषि—उत्पादन सम्मिलित कर सकती है, अथवा उसमें से कोई कृषि—उत्पादन निकाल सकती है:
- (ख) धारा 6 के अधीन विज्ञप्ति में निर्दिष्ट मण्डी—क्षेत्र में कोई क्षेत्र सम्मिलित कर सकती है अथवा उसमें से कोई क्षेत्र निकाल सकती है;
- (ग) धारा 6 के अधीन विज्ञप्ति में निर्दिष्ट किसी मण्डी—क्षेत्र को एक से अधिक पृथक मण्डी—क्षेत्रों में विभाजित कर सकती है;
- (घ) धारा 6 अधीन धारा 6 के अधीन विज्ञप्ति में निर्दिष्ट किसी मण्डी—क्षेत्र को एक मण्डी—मण्डी मे सम्मिलित कर सकता है:
- (ङ) यह घोषणा कर सकती है कि धारा 6 के अधीन विज्ञप्ति में निर्दिष्ट मण्डी—क्षेत्र ऐसा क्षेत्र न रहेगा :

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10, 1970 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित।

उ०प्र० अधिनियम संख्या ३०, १९७४ द्वारा पुनः अधिनियमित राष्ट्रपति अधिनियम सं० १३, १९७७ की धारा ४ द्वारा अन्तःस्थापित किया गया।

^{3.} उ०प्र० अधिनियम संख्या १९, १९७७ की धारा ३ द्वारा प्रतिस्थापित।

धारा १

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा के अधीन कार्यवाही किये जाने के पूर्व राज्य सरकार नियत रीति से, प्रस्तावित कार्यवाही के विरूद्ध आपत्तियां, यदि कोई हों, आमंत्रित करेगी और उन पर विचार करेगी।

- (2) जब मण्डी समिति के कार्यकाल में मण्डी—क्षेत्रों की सीमाओं मे, जिसके लिये वह स्थापित को गयी हो, उपधारा (1) के खण्ड, (ख) खण्ड (ग), अथवा खण्ड (घ) के अधीन परिवर्तन किया जाय तो, विज्ञप्ति में निर्दिष्ट दिनांक से निम्नलिखित परिमाण होंगे :
 - (क) मण्डी समिति विघटित हो जायगी और उसके सदस्य अपना पद रिक्त कर देंगे;
 - (ख) धारा 14 के उपबन्धों के अनुसार परिष्कृत या नव—निर्मित मण्डी—क्षेत्र के लिये एक नई मण्डी समिति संघटित की जायगी;
 - (ग) किसी विघटित मण्डी समिति के मण्डी—क्षेत्र के किसी भाग के सम्बन्ध में उत्पन्न होने वाली सिविल या दण्डिक कार्यवाहियों, संविदाओं, अनुबन्धों अथवा किसी अन्य विषय या बात सम्बन्धित विघटित मण्डी समिति की समस्त, सम्पत्ति तथा आस्तियां तथा समस्त अधिकार, दायित्व और बाध्यतायें उस भाग पर क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाली नई मण्डी समिति में निहित और उसमें अन्तरित हो जायेंगे।}
- (3) यदि उपधारा (1) के खण्ड (ङ) के अधीन कोई मण्डी–क्षेत्र न रह जाय तो विज्ञप्ति में निर्दिष्ट दिनांक से निम्नलिखित परिमाण होंगे :--
 - (क) मण्डी समिति विघटित हो जायगी और उसके सदस्य अपना पद रिक्त कर देंगे;
 - (ख) उसमें स्थापित प्रधान मण्डी—स्थल और उप मण्डी—स्थल यदि कोई हों, ऐसे मण्डी—स्थल न रह जायेंगे;
 - (ग) मण्डी समिति निधि को व्यय न की गयी शेष धनराशि और मण्डी समिति को अन्य आस्तियां तथा दायित्व राज्य सरकार में निहित हो जायेंगे :

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार का दायित्व इस प्रकार निहित सम्पत्ति के मृत्य से अधिक न होगा।

9— (1) किसी क्षेत्र के मण्डी—क्षेत्र घोषित किये जाने के दिनांक से, कोई स्थानीय निकाय या अन्य व्यक्ति संबद्ध समिति द्वारा दिये गये लाइसेन्स के बिना या उसकी शर्तों के अनुसरण से अन्यथा, मण्डी—क्षेत्र के भीतर निर्दिष्ट कृषि—उत्पादन के विक्रय, क्रय या संग्रह करने या तौलने या उस पर प्रक्रिया करने के लिये किसी स्थान की न स्थापना करेगा, न उसे बनाये रखेगा और न उसकी स्थापना करने या उसे बनाये रखने की अनुमित देगा, भले ही किसी अन्य विधि, रुढ़ि, प्रथा या अनुबन्ध में कोई विपरीत बात हों :

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा के उपबन्ध स्वंय उत्पादक पर उसके द्वारा उत्पादित, पाले—पोषे, या प्रक्रिया किये गये कृषि—उत्पादन के सम्बन्ध में, या ऐसे व्यक्ति पर जो अपने घरेलू उपभोग के लिये किसी कृषि—उत्पादन का क्रय अथवा संग्रह करता हो, लागू हों।

(2) कोई व्यक्ति सम्बद्ध समिति से तदर्थ लाइसेन्स गजट में प्राप्त किये बिना तथा लाइसेन्सों को शर्तों के विरूद्ध किसी प्रधान मण्डी—स्थल में किसी निर्दिष्ट कृषि—उत्पादन के सम्बनध में व्यापारी दलाल, आढतिया, गोदाम—परिचालक तोलक, पल्लेदार या किसी ऐसे अन्य रूप में, जो नियत किया जाय, न तो कारोबार करेगा और न काम करेगा।

मण्डी—क्षेत्र की घोषणा का प्रभाव

उ०प्र० अधिनियम संख्या ३०, १९७४ द्वारा पुनः अधिनियमित राष्ट्रपति अधिनियम सं० १३, १९७३ की धारा ५ द्वारा प्रतिस्थापित।

धारा 10-13}

{(3) उपधारा (1) और (2) के उपबन्ध किसी ऐसे निर्दिष्ट कृषि उत्पादन के सम्बन्ध में, जिसे किसी बैंक के पक्ष में ऐसे बैंक द्वारा दी गई धनराशि के लिए प्रतिभूति के रूप में गिरवी या दृष्टिबन्धक रखा जाय, लागू न होंगे।

स्पष्टीकरण — इस धारा के प्रयोजनों के लिए शब्द ''बैंक'' का वही अर्थ होगा, जो उत्तर प्रदेश साह्कारी विनियमन अधिनियम, 1976 में उसके लिए दिया गया है।}⁴

10— (1) उस दिनांक से जो राज्य सरकार, गजट में विज्ञापित करे {***} कोई व्यक्ति, प्रधान मण्डी—स्थल या उप मण्डी—स्थल में, निर्दिष्ट कृषि—उत्पादन के विक्रय या क्रय के किसी सौदे के सम्बन्ध में, इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों या उपविधियों द्वारा नियत व्यापारिक परिव्ययों से भिन्न कोई, कोई व्यापारिक परिव्यय न तो आरोपित करेगा और न लेगा तथा कोई न्यायालय, किसी ऐसे सौदे से उत्पन्न होने वाले किसी वाद या कार्यवाही में, किसी दावे या प्रतिदावे में, कोई व्यापारिक परिव्यय, जो इस प्रकार नियत न हो, नहीं दिलायेगा।

नियमों या उप—विधियों द्वारा नियत व्यापारिक परिव्यय से भिन्न परिव्यय नहीं लिये जा सकेंगे

(2) सभी व्यापारिक परिव्यय केता द्वारा वहन किये जायेंगे।

11— राज्य सरकार, यदि वह ऐसा करना लोक—हित में आवश्यक या इष्टकर समझे, तो गजट में विज्ञप्ति द्वारा और ऐसी रीति से तो नियत की जाय, यह घोषणा कर सकती है कि धारा 9 की उपधारा (2) और धारा 10 के उपबन्ध प्रधान मण्डी—स्थल और मण्डी—स्थलों के बाहर मण्डी—क्षेत्र के विज्ञप्ति में निर्दिष्ट सम्पूर्ण या किसी भाग पर भी लागू होंगे और तदुपरान्त उक्त उपबन्ध, विज्ञप्ति में निर्दिष्ट दिनांक से तदनुसार लागू होंगे और प्रधान मण्डी—स्थल या उप मण्डी—स्थल से संबद्व इस अधिनियम के शेष उपबन्ध भी, उसी दिनांक से, आवश्यक परिवर्तनों के साथ इस प्रकार निर्दिष्ट क्षेत्र पर लागू होंगे।

मण्डी—स्थलों से सम्बद्घ कतिपय उपबन्धों की मण्डी— क्षेत्र के शेषभाग में लागू करना

अध्याय- 3

मण्डी समिति

12— (1) प्रत्येक मण्डी— क्षेत्र के लिये समिति होगी जो कि उस मण्डी—क्षेत्र की मण्डी समिति कहलायेगी जो सतत अनुक्रम वाली एक निगमित निकाय होगी, उसकी एक अधिकृत मुहर होगी, इसे या किसी अन्य अधिनियमिति द्वारा आरोपित निर्बन्धनों के, यदि कोई उसके विरूद्व वाद प्रस्तुत किया जा सकेगा और वह सम्पत्ति का अर्जन कर सकेगी। उसे धारण कर सकेगी तथा उसका निस्तारण कर सकेगी और संविदा कर सकेगी:

समिति की स्थापना और उसका निगमन

प्रतिबन्ध यह है कि समिति किसी अचल सम्पत्ति का हस्तान्तरण अपने सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम तीन—चौथाई सदस्यों के बहुमत द्वारा समिति को किसी बैठक में यथाविधि पारित संख्या के अनुसरण तथा {परिषद}² के लिखित पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं करेगी।

(2) समिति, लैण्ड एक्वीजीशन ऐक्ट, 1894 (और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि)³ के प्रयोजनों के लिये, स्थानीय प्राधिकारी समझी जायगा।

ऐक्ट सं0 1,1894

^{1.} उ०प्र० अधिनियम सं० 10, 1970 की धारा 5 द्वारा निकाला गया।

उ०प्र० अधिनियम संख्या ३०, १९७४ द्वारा पुनः अधिनियमित राष्ट्रपित अधिनियम सं० १३, १९७४ की धारा ६ (१) द्वारा प्रतिस्थापित।

^{3.} उपर्युक्त की धारा 6 (2) द्वारा अन्तःस्थापित किये गये।

^{4.} उ०प्र० अधिनियम संख्या ७ वर्ष १९७८ द्वारा प्रतिस्थापित।

{13 - (1) धारा 14 के अधीन संघटित प्रथम समिति से भिन्न समिति में ऐसी अर्हतायें, जो नियत की जायं, रखने वाले निम्नलिखित सदस्य होंगे — समिति का संघटन

- (एक) प्रधान मंडी—स्थल या उपमंडी स्थल या उनमें से किसी के भाग पर क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाले {जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत} से भिन्न स्थानीय निकायों का एक प्रतिनिधि;
- (दो) मंडी क्षेत्र में कार्य करने के लिये लाइसेंस प्राप्त सहकारी क्रय—विक्रय समितियों का एक प्रतिनिधि ;
- (तीन) भारतीय खाद्य निगम द्वारा नाम—निर्दिष्ट एक व्यक्ति यदि उसके पास मंडी क्षेत्र में कार्य करने के लिए लाइसेंस हो;
- (चार) केन्द्रीय गोदाम निगम द्वारा द्वारा नाम–निर्दिष्ट एक व्यक्ति, यदि मंडी क्षेत्र में उस निगम का गोदाम हो;
- (पांच) राज्य गोदाम निगम द्वारा द्वारा नाम—निर्दिष्ट एक व्यक्ति, यदि मंडी क्षेत्र मे उस निगम का गोदाम हो;
- (छः) मंडी क्षेत्र के भीतर कारोबार करने वाले और उसके लिये इस अधिनियम के अधीन लाइसेंस प्राप्त आढितियों का एक प्रतिनिधि;
- (सात) निम्नलिखित संख्या में मंडी क्षेत्र के भीतर कारोबार करने वाले और उसके लिये इस अधिनियम के अधीन लाइसेंस प्राप्त व्यापारियों के प्रतिनिधि ;
 - (क) यदि मंडी क्षेत्र के अन्तर्गत 20 एक;
 - (ख) यदि मंडी क्षेत्र के अन्तर्गत 20 अधिक न्याय पंचायतें न हों तो दो;
 - (आठ) निम्ननिलिखित संख्या में मंडी क्षेत्र के उत्पादक :--
- {(क) यदि मंडी क्षेत्र के अन्तर्गत 20 से अधिक ग्राम पंचायतें न हो, तो पांच, जिनमें से
 - (एक) एक अनुस्चित जाति या अनुस्चित जनजाति का होगा;
 - (दो) एक नागरिकों के अन्य पिछडे वर्गों का होगा; और
 - (तीन) एक ऐसी महिला, जो अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछडे वर्गों की न हो, होगी;
- (ख) यदि मंडी क्षेत्र के अन्तर्गत 20 से अधिक किन्तु 30 से अनिधक ग्राम पंचायतें हो तो सात, जिनमें से ——
 - (एक) एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का होगा;
 - (दो) एक नागरिकों के अन्य पिछडे वर्गों का होगा;
 - (तीन) एक ऐसी महिला, जो अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछडे वर्गों की न हो, होगी; और
 - (चार) एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की महिला होगी;

(धारा 13)

- (ग) यदि मंडी क्षेत्र के अन्तर्गत 30 से अधिक किन्तु 40 से अनधिक ग्राम पंचायतें हो तो नौ, जिनमें से ——
 - (एक) एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का होगा;
 - (दो) एक नागरिकों के अन्य पिछडे वर्गों का होगा;
 - (तीन) दो ऐसी महिलाएं, जो अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछडे वर्गों की न हो, होगी; और
 - (चार) एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की महिला होगी।
- (घ) यदि मंडी क्षेत्र के अन्तर्गत 40 से अधिक किन्तु ग्राम पंचायतें हो तो ग्यारह, जिनमें से —
 - (एक) दो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के होंगे;
 - (दो) एक नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों का होगा;
 - (तीन) दो ऐसी महिलाएं, जो अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछडे वर्गों की न हो;
 - (चार) एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की महिला होगी; और
- (पांच) एक नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों की महिला होगी,}¹ जो निम्नलिखित द्वारा निर्वाचित कियें जायेंगे—
- (ब) {ग्राम पंचायत} के प्रधान जिनका क्षेत्राधिकार मंडी क्षेत्र के किसी भाग पर हो;
- (भ) लोक सभा के और विधान सभा के ऐसे सदस्य जो उस निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित है, जिसमें मंडी क्षेत्र या उसका भाग सम्मिलित है;
- (म) ऐसी {जिला पंचायत} के सदस्य, जो मंडी क्षेत्र या उसके भाग पर क्षेत्राधिकार का प्रयोग करती है;
- (य) राज्य सभा {***} के ऐसे सदस्य और {जिला पंचायत} के ऐसे अध्यक्ष और क्षित्र पंचायत} के ऐसे प्रमुख, जो मंडी क्षेत्र के भीतर किसी स्थान के निवासी हों।

स्पष्टीकरण— निवास स्थान वही समझा जायगा जो, यथास्थिति, सदस्य, अध्यक्ष, या प्रमुख के रूप में उनके निर्वाचन की विज्ञप्ति मे उल्लिखित हो :

प्रतिबन्ध यह है कि खंड (भ) या खंड (म) मे निर्दिष्ट मामलों में, जहां एक से अधिक मंडी क्षेत्र में सम्मिलित है या यथास्थिति, {जिला पंचायत} के क्षेत्राधिकार में स्थित है, वहां मताधिकार का प्रयोग ऐसी मंडी क्षेत्र के संबंध में किया जायगा, जिसका संकेत ऐसे सदस्य द्वारा यथाविहित समय मे और रीति से किया जाय:

(अग्रेत्तर प्रतिबन्ध यह है कि इस खण्ड के अधीन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों (सीटों) का आरक्षण ''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट कालाविध की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा।

उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या ०६ वर्ष २००४ की धारा ४ द्वारा प्रतिस्थापित।

^{2.} उपर्युक्त की धारा 4 द्वारा निरसित।

- (नौ) राज्य सरकार द्वारा नाम—निर्दिष्ट दो सरकारी पदधारी, जिनमें से एक कृषि विपणन विभाग का और दूसरा खाद्य तथा रसद विभाग का प्रतिनिधि होगा।
- (2) (एक) उपधारा (1) के खंड (एक), (दो), (छः), (सात) और (आठ) के अधीन निर्वाचित के लिये पात्र व्यक्तियों की अर्हता और उनके निर्वाचन की और उनके निर्वाचन क्षेत्र के परिसीमन की रीति ऐसी होगी, जो नियत की जाय;
 - (दो) इस अधिनियम के अधीन निर्वाचन निदेशक का सामान्य अधीक्षण और नियंत्रण होगा।
- (3) उपधारा (1) के खंड (तीन), (चार), (पांच) और (नौ) के अधीन सदस्यों का नाम—निर्दिष्ट ऐसी रीति से और ऐसी अवधि के भीतर किया जायगा, जो नियत की जाय।
- (4) उपधारा (1) के अधीन निर्वाचित और नाम–निर्दिष्ट प्रत्येक सदस्य का नाम, यथास्थिति, निर्वाचन या नाम–निर्देशन के इक्कीस दिन के भीतर निदेशक के यहां रिजस्ट्रीकृत किया जायगा।
- (5) उपधारा (1) के खण्ड (एक), (दो), (छः), (सात) या (आठ) के अधीन निर्वाचित सदस्य, उसके इस प्रकार निर्वाचन के लिये पात्र न रहने पर सदस्य न रहेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि उपधारा (1) के खण्ड (तीन) या खंड (सात) के अधीन निर्वाचित सदस्य की सदस्यता केवल इसी कारण समाप्त न हो जायगी कि उसका लाइसेन्स समाप्त हो गया है, यदि उसने लाइसेन्स के नवीकरण के लिये तदर्थ नियत समय के भीतर प्रार्थना—पत्र दे दिया हो और वह अस्वीकृत न किया गया हो।

- (6) निदेशक, यथाशक्य शीघ्र, निर्वाचित या नाम—निर्दिष्ट व्यक्तियों के नाम और पता गजट में विज्ञप्ति द्वारा प्रकाशित करेगा, और ऐसे दिनांक भी विज्ञापित करेगा, जिस दिनांक को समिति सम्यक् रूप से संघटित की गई हो किन्तु ऐसा दिनांक, समिति के कम से कम तीन चौथाई सदस्यों के नाम इस प्रकार प्रकाशित हो जाने के दिनांक से पूर्व का न होगा।
- (7) उपधारा (6) के अधीन संघटित समिति {के निर्वाचित सदस्य विहित} रीति से अपने उत्पादक सदस्यों में से अपने सभापति का निर्वाचन करेगी।
- (8) समिति के सदस्यों का कार्यकाल उपधारा (6) के अधीन उनके नाम के प्रकाशन के दिनांक से प्रारम्भ होगा और जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, उपधारा (6) के अधीन विज्ञापित समिति के संघटन के दिनाक से पांच वर्ष की अवधि की समाप्ति पर समाप्त होगा:

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार, जहां लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, विज्ञप्ति द्वारा समिति का कार्यकाल कुल दो वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा सकती है, किन्तु एक बार में यह अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायगी।

- (9) सभापति और उपसभापति का कार्यकाल कलेक्टर या उसके नाम—निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा शपथ दिलाए जाने के दिनांक से प्रारम्भ होगा और इस अधिनियम में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, समिति में उनकी सदस्यता के कार्यकाल के साथ समाप्त होगा।
- (10) समिति की किसी कार्यवाही पर या उसके द्वारा या उसकी ओर से किये गये किसी कार्य पर इस आधार पर आपित नहीं की जायगी कि समिति के सभापित, उपसभापित या सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति के निर्वाचित या नाम—निर्दिष्ट होने के लिये किसी अर्हता का अभाव या उसक निर्वाचन या नाम—निर्देशन में कोई त्रुटि हुई या यह कि समिति में कोई रिक्ति थी या उसके संघटन में कोई अन्य त्रुटि हुई।

धारा 14-15}

- (11) उपधारा (1) या उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, यदि कोई सदस्य नियत अविध के भीतर यथाविधि निर्वाचित न किया जाय तो राज्य सरकार उस वर्ग में आने वाले किसी उपयुक्त व्यक्ति को समिति का सदस्य नियुक्ति कर सकती है।}²
- {(12) इस धारा के उपर्युक्त प्राविधानों में किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, भविष्यलक्षी अथवा भूतलक्षी प्रभाव से, जैसा उचित समझा जाय, सम्बन्धित जिले के कलक्टर को ''प्रशासक'' के रूप में, निर्वाचित मण्डी समिति का संघटन होने तक अथवा एक बार में छः माह के लिए और सकल रूप से दो वर्ष से अनिधक अविध के लिए, जो भी पहले हो, मण्डी समिति की कार्याविध के ऐसे अवसान की तारीख पर, विद्यमान मण्डी क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित उपबन्धों के अधीन रहते हुए, नियुक्त कर सकती है, अर्थात् :--
 - (क) उपखण्ड (ख) में यथा उपबन्धित के सिवाय किसी मण्डी समिति के समस्त अधिकारों का प्रयोग, कृत्यों का सम्पादन और कर्तव्यों का पालन राज्य सरकार द्वारा नाम—निर्दिष्ट प्रशासक द्वारा किया जाएगा;
 - (ख) राज्य सरकार की पूर्व अनुज्ञा के बिना किसी स्थावर सम्पत्ति का अन्तरण या अर्जन प्रशासक द्वारा नहीं किया जा सकेगा;
 - (ग) राज्य सरकार, इस उपधारा के अधीन प्रशासक द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों की रीति के लिए समय—समय पर अधिसूचना द्वारा, ऐसे आनुषंगिक या पारिमाणिक उपबन्ध कर सकेगी:
 - (घ) खण्ड (ग) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना जारी किए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष रखी जायेगी। $\}^4$

{13-क-- (1) इस अधिनियम के अधीन किसी निर्वाचन के संबंध में, सिवाय ऐसी याचिका के, जो ऐसे समय के भीतर जो नियत किया जाय, प्रस्तुत की जाय, कोई आपित नहीं की जायगी।

निर्वाचन याचिका

- (2) उपधारा (1) के अधीन किसी याचिका पर नियत प्राधिकारी के आदेश से व्यथित कोई पक्ष, ऐसे आदेश के दिनांक से तीन दिन के भीतर जिला न्यायाधीश को पुनरीक्षण के लिये आवेदन कर सकता है।
- (3) संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा 12—ग के उपबन्ध, आवश्यक परिवर्तनों सिहत, उपधारा (1) के अधीन विर्वाचन याचिका पर लागू होंगे और जहां उस अधिनियम की धारा 12—ग के अधीन किसी बात का नियत किया जाना अपेक्षित हो, इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों में वही बात नियत की जा सकती है।
- (4) इस धारा के अधीन पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा दिये गये किसी आदेश के अधीन नियत प्राधिकारी का विनिश्चय, और इस धारा के अधीन पुनरीक्षण का प्रत्येक विनिश्चय अन्तिम होगा।}³
- [14—— (1) राज्य सरकार, गजट में विज्ञप्ति द्वारा, प्रथम समिति के, सभापित तथा उप—सभापित सिहत, सभी सदस्यों की नियुक्ति, उन व्यक्तियों में से करेगी, जो राज्य सरकार की राय में धारा 13 की उपधारा (1) में अभिदिष्ट विभिन्न स्वत्वों का प्रतिनिधित्व करने के लिए उपयुक्त हों। 3

प्रथम समिति या नयी समिति का संघटन

उ० प्र० अधिनियम संख्या 10, 1970 की धारा 7 द्वारा प्रतिस्थापित और सदैव से प्रतिस्थापित समझी जाय।

^{2.} उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ६, १९७७ की धारा ५ द्वारा प्रतिस्थापित।

उपर्यक्त की धारा 6 द्वारा प्रतिस्थापित।

^{4.} उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या ०५ वर्ष २०११ की धारा २ द्वारा बढ़ाया गया।

धारा 14 -15}

- (2) प्रथम समिति का कार्यकाल, उपधारा (1) के अधीन उसके संघटन के दिनांक से एक वर्ष होगा, किन्तु राज्य सरकार लोकहित में, उसका कार्यकाल इस प्रकार बढ़ा सकती है अथवा और आगे बढ़ाया गया कार्यकाल, धारा 13 के अधीन समिति के संघटन के दिनांक को समाप्त हो जाय।
- (3) प्रथम समिति के सभापित और उपसभापित सिहत सदस्यों की पदाविध वह होगी जो राज्य सरकार द्वारा तदर्थ निश्चित की जाय, किन्तु प्रथम सिमित के कार्यकाल से अधिक न होगी।

{14-क-- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के भाग 7 के अध्याय-1 की धारा 123 के उपबन्ध यथा आवश्यक परिवर्तन सहित मण्डी समिति के निर्वाचन पर लागू होंगे। भ्रष्ट आचरण

14—ख— लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के भाग—7 के अध्याय—3 की धारा 125, 126, 127, 127—क, 128, 129, 130, 131, 132, 132—क, 134, 134—क, 135, 135—क और 136 के उपबन्ध इस प्रकार प्रभावी होंगे; मानों —

निर्वाचन अपराध

- (क) उनमें किसी निर्वाचन के प्रति निर्देश इस अधिनियम के अधीन आयोजित निर्वाचन के प्रति निर्देश हों;
- (ख) धारा 127-क में उपधारा (2) के खण्ड (ख) के उपखण्ड (एक) में शब्द "मुख्य निर्वाचन ऑफिसर" के स्थान पर शब्द "निर्वाचन निदेशक" रख दिये गये हों;
- (ग) धारा 134 और 136 में शब्द ''इस अधिनियम के द्वारा या अधीन'' के स्थान पर शब्द ''उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 द्वारा या उसके अधीन'' रख दिये गये हों;
 - (घ) धारा 135-क में --

(एक) शब्द "सरकार" के स्थान पर "सरकार, परिषद् या किसी मण्डी समिति" रख दिये गये हों;

(दो) स्पष्टीकरण में शब्द ''इस उपधारा और धारा 20—ख'' के स्थान पर शब्द ''इस धारा'' रख दिये गये हों।]²

15— यदि किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने, उसके त्याग—पत्र दे देने या हटाये जाने के कारण अथवा किसी अन्य कारण से कोई रिक्ति हो जाये, तो उसकी पूर्ति उसी वर्ग क व्यक्ति द्वारा की जायगी जिस वर्ग का यह व्यक्ति रहा हो जो सदस्य न रह गया हो और इस प्रकार निर्वाचित नाम—निर्दिष्ट या नियुक्त व्यक्ति उस व्यक्ति के कार्यकाल की शेष अविध के लिये सदस्य होगा, जिसकी रिक्ति में वह सदस्य हुआ हो :

आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति

प्रतिबन्ध यह है कि यदि निदेशक द्वारा आदेश द्वारा दिया जाय, तो ऐसी रिक्ति की पूर्ति नहीं की जायगी जो छः मास से अधिक के लिये न हो :

[अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार द्वारा नाम—निर्दिष्ट करके पूर्ति की जाने वाली रिक्तियों के संबंध में, प्रथम प्रतिबन्धात्मक खण्ड का इस प्रकार अर्थ किया जायगा मानो के शब्द "निदेशक" के स्थान पर शब्द "राज्य सरकार" रखे गये हों।}1

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10, 1970 की धारा 8 द्वारा बढ़ायी गयी और सदैव से प्रतिस्थापित समझी जाय।

^{2.} उत्तराखण्ड अधिनियम की धारा ०६ वर्ष २००४ की धारा ५ द्वारा प्रतिस्थापित।

(धारा 16)

16— (1) सिमिति, मण्डी—क्षेत्र में इस अधिनियम तदधीन बनाये गये नियमों और उपविधियों को लागू करेगी, वहां पर निर्दिष्ट कृषि—उत्पादक के क्रय तथा विक्रय के लिये ऐसी सुविधाओं की, {जो परिषद् द्वारा समय—समय पर सिमित को दिये गये किसी निदेश में निर्दिष्ट की जायें} अथवा सिमित द्वारा आवश्यक समझी जायें व्यवस्था करेगी और ऐसे कार्य करेगी, जो उस मण्डी—क्षेत्र में, निर्दिष्ट कृषि—उत्पादन के क्रय तथा विक्रय को विनियमित करने के लिए आवश्यक हो और उक्त प्रयोजन के लिये ऐसे अधिकारों का प्रयोग तथा कर्त्तव्यों का पालन और कृत्यों का सम्पादन करेगी, जिनकी इस अधिनियम द्वारा या उनके अधीन व्यवस्था की जाय।

समिति के कृत्य और कर्त्तव्य

- (2) उपधारा (1) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, समिति,
- (1) निर्दिष्ट कृषि—उत्पादक के उत्पादकों और उसके विक्रय या क्रय में लगे हुए व्यक्तियों के बीच न्यायपूर्ण व्यवहार सुनिश्चित करेगी;
- (2) प्रधान मण्डी—स्थल या उप—मण्डी—स्थलों में {विकेताओं} द्वारा बिकी किये गये निर्दिष्ट कृषि—उत्पादन के संबंध में {विकेताओं} को तत्काल भुगतान किया जाना सुनिश्चित करेगी;
 - (3) निर्दिष्ट कृषि उत्पादन का वर्गीकरण तथा माप-स्थापन करेगी;
- (4) मण्डी—क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाले वाटों मापों और तौलने तथा मापन के यंत्रों की जांच और सत्यापन करेगी और उत्तर प्रदेश वाट तथा माप (प्रचलन) अधिनियम, 1959 के उपबन्धों के उल्लंघन की सूचना सम्बद्ध प्राधिकारी की देगी;

उ० प्र० अधिनियम संख्या 5, 1959

- (5) ऐसी समस्त सूचना का संग्रह और प्रचार करेगी, जो निर्दिष्ट कृषि— उत्पादन के उत्पादकों और उसके क्रय—विक्रय में लगे हुए व्यक्तियों के लिए लाभप्रद हो, और विशेष रूप से, ऐसे कृषि—उत्पादन के उन स्थान में प्रचलित मूल्यों की सूचना रखेगी, जहां उसका निर्यात लाभप्रद हो अथवा जहां से उसका सम्बद्ध मण्डी—क्षेत्र में आयात करना मितव्ययिता पूर्ण हो;
- (6) व्यापारिक परिव्ययों, मण्डी परिपाटियों और निर्दिष्ट कृषि उत्पादन के क्रय—विक्रय की प्रथाओं तथा रूढ़ियों को स्थिर और विनियमित करेगी;
- (7) प्रधान मण्डी—स्थल और मण्डी—स्थलों में उत्पादकों और वहां पर क्रय या विक्रय के सौदों में लगे हुए व्यक्तियों के लिये उचित सुख—सुविधाओं की व्यवस्था करेगी और विशेष रूप से सड़कों, मार्गों, मण्डी ही गलियों और छोटी गलियों, दुकानों, आश्रय—स्थानों अड्डों, संग्रह—स्थानों का निर्माण, मरम्मत और अनुरक्षण करेगी तथा ऐसी अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करेगी, जो तदर्थ नियत की जायें;
- {(7-क) मण्डी क्षेत्र में हाट और पैंठ के समुचित विकास और वहां पर क्रय और विक्रय के सौदों में लगे हुए व्यक्तियों के लिए उचित सुविधाओं, की व्यवस्था करेगी;
- (7—ख) मण्डी क्षेत्र में सम्पर्क सड़कों, मार्गों, मण्डी की गलियों और छोटी गलियों का निर्माण, मरम्मत और अनुरक्षण करेगी।}3
- (8) प्रधान मण्डी—स्थल या उप—मण्डी—स्थलों में लाइसेंसधारियों तथा उन व्यक्तियों के बीच, जो क्रय या विक्रय के सौदे करे, मतभेदों या विवादों के सभी मामलों में मध्यस्थ या विवाचक के रूप में काम करेगी।

उ०प्र० अधिनियम संख्या ३०, १९७४ द्वारा पुनः अधिनियमित राष्ट्रपित अधिनियम सं० १३, १९७७ की धारा ८ (एक) द्वारा प्रतिस्थापित।

^{2.} उपर्युक्त की धारा 8 (दो) द्वारा प्रतिस्थापित।

^{3.} उ०प्र० अधिनियम सं० 10 वर्ष 1991 की धारा 2 द्वारा अन्तःस्थापित।

(धारा 17)

- (9) उचित रूप से लेखा रखेगी और उसकी ऐसी रीति से, जो नियत की जाय, नियमित रूप से लेखा–परीक्षा करायेगी।
- (10) वार्षिक बजट तैयार करेगी, जिसमें आगामी वर्ष के सभी अग्रिम धन, ऋण, अनुदान, और किये जाने वाले व्यय के प्राक्कलन दिखाये जायेंगे तथा जिसमें खिसके द्वारा राज्य सरकार, परिषद् अथवा राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस रूप में मान्यता प्राप्त किसी वित्तीय संख्या से, जिसके अन्तर्गत कोई सहकारी बैंक भी है, (जिसे आगे मान्यता प्राप्त वित्तीय संख्या कहा गया हैं,) लिये गये ऋण पर या इनके द्वारा उसे दिये गये अगिम धन पर ब्याज के भुगतान को या ऐसे ऋण के प्रतिदान की व्यवस्था की जायगी और उक्त बजट परिषद् के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करेगी;}
- (11) ऐसे निर्माण कार्यो के नक्शे और प्राक्कलन तैयार करेगी जो प्रधान मण्डी—स्थल तथा उप—मण्डी—स्थलों में करने का उसका विचार हो और उक्त प्रयोजन के लिये लैण्ड एक्वीजिशन ऐक्ट, 1894 के अधीन भूमि अर्जन करने के लिये आवश्यक कार्यवाही करेगी ।

ऐक्ट सं0 1,1894

- (12) अपने मामलों से संबंधित अथवा इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों के उल्लंघन का कोई वाद, अभियोग या कार्यवाही चलायेगी या उसका प्रतिवाद करेगी
- (13) अपनी मुहर, लेखा—पुस्तिकाओं तथा अन्य अभिलेखों की अभिरक्षा तथा उन्हें रखने की व्यवस्था करेगी
- (14) प्रधान मण्डी—स्थल तथा उप—मण्डी—स्थलों में प्रवेश करने तथा उनका उपयोग करने को नियंत्रित और विनियमित करेगी: और
- (15) ऐसे अन्य कृत्यों का सम्पादन और कर्त्तव्यों का पालन करेगी, जो नियत किये जायं।

17-- इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये समिति के निम्नलिखित अधिकार होंगे :--

समिति के अधिकार

- (1) इस अधिनियम के अधीन ऐसी शर्तों पर प्रतिबन्धों पर तथा ऐसे निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए जो नियत किये जायें, लाइसेंस जारी या नवीकृत करना, अथवा उन कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, किसी ऐसे अन्य लाइसेंस को जारी या नवीकृत करने से इंकार करना;
- (2) इस अधिनियम के अधीन जारी या नवीकृत किये गये लाइसेंसों को निलम्बित या रद्द करना;

प्रतिबन्ध यह है कि सिवाय ऐसे आचरण के आधार पर, जिससे लाइसेंसधारी को धारा 37 के अधीन दोषी सिद्ध किया गया हो, लाइसेंस रद्द करने के पूर्व समिति उसे प्रस्तावित कार्यवाही के विरूद्ध कारण प्रकट करने का समुचित अवसर देगी;

- (3) (क) लाइसेंस देने या उसका नवीकरण करने के लिए ऐसे शुल्क लगाना, जो नियत किये जायं और उन्हें वसूल करना; और
- (ख) मण्डी शुल्क, जो मण्डी क्षेत्र में निर्दिष्ट कृषि उत्पादन के सौदों पर ऐसी दरों पर, जो इस प्रकार बेचे गये कृषि उत्पादन के मूल्य के, एक प्रतिशत से कम और ढाई प्रतिशत से अधिक न हो, जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे और विकास सेस, जो ऐसे सौदों पर, इस प्रकार बेचे गये कृषि उत्पादन के मूल्य के आधा प्रतिशत की दर पर, लगााना और वसूल करना और ऐसा शुल्क या विकास सेस निम्नलिखित रीति से वसूल किया जायेगा :—

उ०प्र० अधिनियम संख्या ३०, १९७४ द्वारा पुनः अधिनियमित राष्ट्रपित अधिनियम सं० १३, १९७४ की धारा ४ (एक) द्वारा प्रतिस्थापित।

- (1) यदि उत्पादन, आढ़ितया के माध्यम से बेचा जाय तो आढ़ितया केता से मण्डी शुल्क और विकास सेस वसूल कर सकता है और वह समिति को उसका देनदार होगा;
- (2) यदि कोई व्यापारी सीधे उत्पादन से उत्पादन क्रय करे तो वह व्यापारी समिति को मण्डी शुल्क और विकास सेस का देनदार होगा;
- (3) यदि एक व्यापारी दूसरे व्यापारी से उत्पादन क्रय करे तो उत्पादन बेचने वाला व्यापारी उसे केता से वसूल कर सकता है और वह समिति को मण्डी शुल्क और विकास सेस का देनदार होगा:

प्रतिबन्ध यह है कि किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिकी या आदेश में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी उत्पादन बेचने वाला व्यापारी समिति को मण्डी शुल्क का देनदार होगा और 12 जून, 1973 के सदैव से देनदार हुआ समझा जायेगा और इस आधार पर कि उसने उसे केता से वसूल नहीं किया है, ऐसे दायित्व से मुक्त न होगा:

अग्रत्तर प्रतिबन्ध यह है कि उत्पादन बेचने वाला व्यापारी विकास सेस का भुगतान करने के दायित्व से, इस आधार पर कि उसने उसे केता से वसूल नहीं किया है, मुक्त न होगा।

> (4) ऐसे उत्पादन के विक्रय की किसी अन्य स्थिति में, केता समिति को मण्डी शुल्क और विकास सेस का देनदार होगा :

प्रतिबन्ध यह है कि किसी निर्दिष्ट कृषि उत्पादन के फुटकर विक्रय पर कोई मण्डी शुल्क या विकास सेस नहीं लगाया जायगा न वसूल किया जायगा, यदि ऐसा विक्रय उपभोक्ता को केवल उसके घरेलू उपभोग के लिये किया जाय:

अग्रत्तर प्रतिबन्ध यह है कि इस अधिनियम में में किसी बात के होते हुए भी, सिमित, यथास्थिति, आढ़ितयां, व्यापारी या केता, जिसने लाइसेंस प्राप्त किया हो, के विकल्प पर, किसी कृषि वर्ष के लिए, उसके द्वारा देय मण्डी शुल्क की धनराशि के बदले में एकमुश्त धनराशि ऐसे विनिर्दिष्ट कृषि उत्पादन के सम्बन्ध में, ऐसी अविध के लिए, ऐसी शर्तों पर और ऐसी रीति से, जैसी कि राज्य सरकार अधिसूचित आदेश द्वारा, विनिर्दिष्ट करे, स्वीकार कर सकती है:

प्रतिबन्ध यह भी है कि {***}³ ऐसे निर्दिष्ट कृषि उत्पादन के सौदों पर कोई मण्डी शुल्क या विकास सेस नहीं लगाया जायगा, जिस पर किसी मण्डी क्षेत्र में मण्डी शुल्क या विकास सेस लगाया जा चुका है, यदि व्यापारी विहित प्रारूप और रीति से घोषणा—पत्र या प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करे कि ऐसे विनिर्दिष्ट कृषि उत्पादन पर मण्डी शुल्क या विकास सेस किसी अन्य मण्डी क्षेत्र में पहले ही लगाया जा चुका है।}²

- {(3-क) उपविधियों में मण्डी शुल्क के भुगतान के लिए नियत अविध के ठीक अविध के दिनांक से मण्डी शुल्क की अदत्त धनराशि पर दो प्रतिशत प्रतिमास की दर से ब्याज वसूल करना जिसकी गणना उपविधियों में नियत रीति से की जायेगी;}
- (4) इस अधिनियम के सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिये मण्डी समिति—निधि का लेन—देन और उपयोग करना;

^{1.} उ०प्र० अधिनियम सं० 10 वर्ष 1991 की धारा ३ (ख) द्वारा अन्तःस्थापित।

^{2.} उ०प्र० अधिनियम सं० ४ वर्ष 1999 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

^{3.} उ०प्र० अधिनियम सं० 1 वर्ष २००० की धारा २ द्वारा निरसित।

{धारा 18-19}

- {(5) इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करने के लिये अपेक्षित धनराशि राज्य सरकार या परिषद् से या परिषद् की पूर्व स्वीकृति के अधीन रहते हुए किसी अन्य समिति या मान्यता प्राप्त वित्तीय संस्था से जुटाना;
- (5—क) परिषद् को, ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, जो परिषद् और समिति के मध्य परस्पर सम्मत हों, उधार देना ;
- (5—ख) निदेशक की पूर्व स्वीकृत के अधीन रहते हुए ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर जिन्हें परिषद् अवधारित करे, किसी अन्य समिति को उधार देना;}¹
- (6) धारा 23 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए समिति के अधिकारियों और सेवकों को नियोजित करना;
- (7) सिमति के दो या अधिक सदस्यों की उपसिमतियां नियुक्त करना जो ऐसे अधिकारों का प्रयोग, कर्त्तव्यों का पालन और कृत्यों का सम्पदान करे, जो सिमति द्वारा उन्हें सीपे जायें: और
 - (8) ऐसे अन्य अधिकारों का प्रयोग करना, जो नियत किये जाये।

स्पष्टीकरण— खण्ड (3) के प्रयोजनों के लिए, जब तक कि इसके प्रतिकूल साबित न कर दिया जाय, किसी लाइसेंस प्राप्त व्यापारी द्वारा या उसकी ओर से किसी मण्डी क्षेत्र के बाहर ले जाये गये या ले जाने के लिए प्रस्तावित किसी विनिर्दिष्ट कृषि उत्पादन के सम्बन्ध में यह उपधारणा की जायेगी कि उसे ऐसे क्षेत्र के भीतर बेचा गया है और ऐसी स्थिति में, ऐसे उत्पादन के, जिसके बेचे जाने की उपधारणा की जाय, मूल्य को ऐसा युक्तियुक्त मूल्य समझा जायगा जैसा नियत रीति से अभिनिश्चित किया जाय।}

18—— (1) समिति द्वारा या उसकी ओर से प्रत्येक संविदा नियत रीति से निष्पादित की जायगी।

समिति की ओर से संविदा

- (2) उपधारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन करके समिति द्वारा या उसकी ओर से निष्पादित कोई भी संविदा उस पर बंधनकारी न होगी।
- (3) समिति प्रत्येक आज्ञा सभापित के हस्ताक्षर से या उसके अनुपस्थित अथवा असमर्थ होने पर उस सभापित के, या जब समिति द्वारा प्राधिकार दिया गया हो तो सचिव के हस्ताक्षर से और समिति की आधिकारिक मुहर लगाकर प्रमाणित को जायेगी।
- 19— (1) प्रत्येक समिति के लिये एक निधि स्थापित की जायगी, जो मण्डी समिति निधि कहलायेगी तथा जिसमें समिति द्वारा प्राप्त सभी धनराशियां, जिनके अन्तर्गत उसके द्वारा लिये गये सभी ऋण तथा उसे दिये गये अग्रिम धन और धनराशि हो, जमा की जायेगी।

मण्डी समिति निधि और उसका उपयोग

- (2) इस अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने के लिये समिति द्वारा किये गये सभी व्यय उक्त निधि से किये जायेंगे, यदि कोई अधिशेष धनराशि हो, तो वह ऐसी रीति से विनियोजित की जायेगी जो नियत की जाये।
- (3) धारा 16 के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना समिति अपनी निधि का उपयोग निम्नलिखित सभी या किसी एक का भुगतान करने के लिये कर सकती है—
 - (1) समिति के लेखों की लेखा-परीक्षा में हुए व्यय;

^{1.} उ०प्र० अधिनियम सं० ६ वर्ष १९७७ की धारा ७ द्वारा प्रतिस्थापित।

^{2.} उ० प्र० अधिनियम संख्या 12 वर्ष 1987 की धारा 2 द्वारा बढ़ाया गया।

(धारा 19)

- (2) समिति द्वारा या उसके लिये नियोजित अधिकारियों तथा सेवकों के वेतन, पेन्शन और भत्ते, जिनके अन्तर्गत अवकाश—भत्ते, उपदान कारूण्य भत्ते, चिकित्सा— सहायता और भविष्य निधि तथा पेंशन में अशंदान भी है;
 - (3) इस अधिनियम के अधीन निर्वाचन के व्यय और उसके प्रांसगिक व्यय;
- {(4) धारा 16 की उपधारा (2) के खंड (10) में अभिदिष्ट ऋण तथा अग्रिम धन की मूल धनराशि अथवा उन पर ब्याज;
- (4-a) सिमिति के कब्जे में किसी भूमि या भवन का किराया और उसके कर; $\}^1$
- (5) प्रत्येक समिति, अपनी निधियों, से उनके 10 प्रतिशत से अनधिक ऐसी धनराशि, जिसे परिषद् समय—समय पर निश्चित करे, परिषद् को अशंदान के रूप में देगी।
 - (6) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये अर्जित भूमि या भवनों का व्यय ;
- (7) मण्डी—स्थलों के लिये और उनका प्रयोग करने वाले व्यक्तियों के स्वास्थ्य, सुविधा तथा सुरक्षा के लिये आवश्यक भवनों के निर्माण और मरम्मत का व्यय;
 - (8) मण्डी-स्थलों के अनुरक्षण, विकास और सुधार का व्यय;
- {(9) मण्डी क्षेत्र में आने वाले व्यक्तियों, भारवाही पशुओं, लद्दू पशुओं और वाहनों के लिए आश्रय स्थल, शेड, गाड़ी खड़ी करने की जगह और जल जैसी सुविधाओं और सुख—साधन की व्यवस्था करने पर और मण्डी क्षेत्र में कृषि सुधार और कृषि विपणन के विकास पर, जिसके अन्तर्गत सम्पर्क सड़क, पुलिया, पुल का निर्माण, अनुरक्षण और मरम्मत और अन्य ऐसे प्रयोजन भी हैं, व्यय;}
 - (10) मण्डी समिति के सदस्यों को यात्रा भत्ता तथा अन्य भत्तें ;
 - (11) मण्डी समिति के कर्मचारियों को ऋण और अग्रिम धन;
- {(11-क) परिषद् द्वारा अनमोदित पूर्व संस्थाओं अथवा मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं को पिछले वित्तीय वर्ष से अपनी सम्पूर्ण वार्षिक प्राप्तियों (धारा 17 के खंड (5) अन्तर्गत प्राप्त तथा सरकार द्वारा अनुदान में दी गयी धनराशि को छोड़कर) के अधिकतम दो प्रतिशत तक वित्तीय सहायता}² और
 - (12) ऐसे अन्य व्यय जो नियत किये जाये;

्प्रितिबन्ध यह है कि खण्ड (2) में निर्दिष्ट विषयों के संबंध में वार्षिक व्यय, सिमित को कुल वार्षिक प्राप्तियों के, जिसके अन्तर्गत उसके द्वारा लिये गये ऋण और उसे दिये गये अग्रिम धन धन या अनुदान नहीं है, दस प्रतिशत से अधिक, सिवाय (परिषद्) के पूर्वानमोदन के, न होगा :}

[अग्रत्तर प्रतिबन्ध यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) अध्यादेश, 1983 के अधीन अतिरिक्त मण्डी शुल्क के रूप में वसूल की गई समस्त धनराशि का उपयोग मण्डी क्षेत्र में केवल खण्ड (9) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए किया जायेगा।}

^{1.} उ०प्र० अधिनियम संख्या 10, 1970 की धारा 9 द्वारा बढ़ाया गया।

उ०प्र० अधिनियम संख्या ३०, १९७४ द्वारा पुनः अधिनियमित राष्ट्रपित अधिनियम सं० १३, १९७७ की धारा १० (एक) (क) द्वारा प्रतिस्थापित।

^{3.} उ० प्र० अधिनियम सं० 12, 1985 की धारा 2 (क) द्वारा प्रतिस्थापित।

^{4.} उपर्युक्त की धारा 2 (ख) द्वारा बढ़ाया गया।

धारा १९क-१९ख}

- (4) (क) प्रत्येक समिति, धारा 23 की उपधारा (3) के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्तियों के नियोजन के व्यय का भुगतान, अपनी निधियों में से राज्य सरकार को करेगी।
- (ख) राज्य सरकार अपने द्वारा नियुक्त व्यक्तियों के नियोजन का व्यय अवधारित करेगी और, यदि उन्हें एक से अधिक समितियों के लिये नियोजित किया जाय तो व्यय को सम्बद्ध मितियों के बीच ऐसी रीति से विभाजित करेगी जो वह उचित समझे। इस विषय में राज्य सरकार का निर्णय अंतिम होगा।
- {(5) प्रत्येक समिति वित्तीय वर्ष की कुल प्राप्तियों (जिसके अन्तर्गत धारा 17 के खण्ड (5) के अधीन जुटाई गई धनराशि विकास सेस के रूप में वसूल की गयी धनराशि और राज्य या केन्द्रीय सरकार द्वारा दिया गया अनुदान} नहीं है) में से परिषद् को, अशंदान के रूप में, ऐसी धनराशि, जो प्रथम पचास लाख रूपये की प्राप्तियों में से पचास प्रतिशत से अधिक न हो जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, समय—समय पर घोषित करें, और पचास लाख रूपये से अधिक की सभी प्राप्तियों का भुगतान करेगी।}
- {(6) प्रत्येक समिति विकास सेस के रूप में वसूल की गयी समस्त धनराशि को प्रत्येक माह परिषद् को भुगतान करेगी, जिसे धारा 26—ततत के अधीन स्थापित केन्द्रीय मण्डी निधि में जमा किया जायगा।}⁵

[19—क— समिति के परिचालन, अनुरक्षण तथा प्रबन्ध संबंधी व्ययों को पूरा करने के पश्चात् उसकी यथा उपलब्ध आय का उपयोग निम्नलिखित कम में किया जायगा, अर्थात—

समिति के दायित्वों की पूर्विकता

- (1) ऐसे ऋण के, जो राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूत न हो, मूल धन और उस पर ब्याज का प्रतिसंदाय;
- (2) राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूत ऋण का मूलधन और उस पर ब्याज का प्रतिसंदायः
- (3) राज्य सरकार द्वारा दी गयी प्रत्याभूतियों, यदि कोई हों, के अधीन, उस सरकार द्वारा संदत्त मूलधन और उस पर ब्याज का प्रतिसंदायः
- (4) राज्य सरकार से लिये गये ऋण का मूलधन और उस पर ब्याज का प्रतिसंदायः
- (5) शेष धनराशि का उपयोग इस अधिनियम के अधीन समिति को संदेय शुल्कों को कटौती करने के लिये अथवा समिति के किन्ही भी कृत्यों का निर्वहन करने में उपगत व्ययों के लिये, जैसा समिति ठीक समझे अथवा जैसा परिषद् निर्देश दे।}1

{19-ख-- (1) प्रत्येक समिति के लिए एक निधि स्थापित की जायेगी, जिसे ''मण्डी विकास निधि'' कहा जायेगा. जिसमें निम्नलिखित धनराशि जमा की जायेगी --

मण्डी विकास निधि

- (क) उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी विधि (संशोधन) अधिनियम, 1978 के प्रारम्भ के ठीक पूर्व मण्डी समिति निधि में जमा धनराशि का पैंसठ प्रतिशत;
- (ख) ऐसी अन्य धनराशि, जिसे इस निधि में जमा करने के लिए परिषद् द्वारा समय–समय पर निर्देश दिया जाय।
- (2) मण्डी विकास निधि का उपयोग मण्डी क्षेत्र के विकास के प्रयोजनार्थ किया जायगा और निधि से कोई धनराशि, सिवाय परिषद् द्वारा समय—समय पर दिए गए निर्देशों के अनुसार न तो व्यय और न विनिहित की जायेगी।}²
 - 1. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0 30 वर्ष 1974 की धारा 11 द्वारा अन्तःस्थापित।
 - 2. उ०प्र० अधिनियम सं० ७ वर्ष १९७८ की धारा ६ द्वारा बढ़ाया गया।
 - उ०प्र० अधिनियम सं० 1० वर्ष 1991 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित।
 - 4. उ०प्र० अधिनियम सं० ४ वर्ष 1999 की धारा ३ (क) द्वारा प्रतिस्थापित।
 - उपर्युक्त की धारा 3 (ख) द्वारा बढ़ाया गया।

धारा 20-22}

- {(3) उपधारा (2) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मण्डी विकास निधि का उपयोग निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए किया जायेगा, अर्थात् —
 - (1) कृषकों, अन्य उत्पादकों और मण्डी शुल्क देने वालों को निम्नलिखित रूपो में स्विधाएं प्रदान करना —

सुख सुविधाएं, मण्डी विषयक आसूचनाएं, उचित तौर, वर्दीकरण, क्वालिटी नियंत्रण, भण्डारण, उपयोगितावर्द्धन क्रियाकलाप के लिए आधारभूत संरचनाएं, कुपद्धितयों, बहुव्यापार प्रभार, उद्ग्रहण तथा अन्य आहरण में कमी लाना, नवीन मण्डी स्थल में विभिन्न व्यापारों के लिए विशेष सुविधाएं तथा अन्य ऐसी सुविधाएं देना, जो अधिनियम के उपबन्धों के अधीन मण्डी क्षेत्र में आवश्यक समझी जाय:

- (2) प्रधान मण्डी स्थलों, उपमण्डी स्थलों, हाट और पैठ का विकास करना और नवीन मण्डी स्थलों का निर्माण करना और मण्डी क्षेत्र में सम्पर्क सड़कों और अन्य विकास कार्यों का निर्माण, अनुरक्षण और मरम्मत करना;
 - (3) अधिनियम के अधीन अन्य विकास और सुव्यवस्था विषयक प्रयोजन।

स्पष्टीकरण—— "नवीन मण्डी स्थल" का तात्पर्य थोक सौदा करने के लिए धारा 7 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) के अधीन विनिर्दिष्ट स्थान या स्थानों से है। }2

- 20— (1) यदि नियत अवधि के भीतर समिति को देय किसी धनराशि का भुगतान न किया गया हो तो वह मालगुजारी के बकाया के रूप में वसूल की जा सकती है।
- (2) समिति किसी धनराशि को बट्टे खाते डाल सकती है जो उसे देय हो, यदि कलेक्टर प्रमाणित कर दे कि वह वसूल होने के योग्य नहीं है :

प्रतिबन्ध यह है कि 200 रू0 से अधिक कोई भी धनराशि, निदेशक से पूर्व अनुमोदन के बट्टे खाते नहीं डाली जायगी।

- [21— (1) सिमिति का सभापित, उपसभापित, प्रत्येक सदस्य, अधिकारी और सेवक, सिमिति को किसी धनराशि या सम्पत्ति की हानि, अपव्यय या दुरूप्रयोग होने पर अधिभार के लिए उत्तरदायी होगा, यदि ऐसी हानि अपव्यय या दुरूप्रयोग ऐसे सभापित, उपसभापित, सदस्य, अधिकारी या सेवक के रूप में कार्य करते हुए उसकी उपेक्षा या दुराचरण का सीधा परिणाम हो।
- (2) अधिभार के लिए प्रक्रिया और हानि, अपव्यय या दुरूप्रयोग हुई धनराशि का वसूली ऐसी रीति से की जायगी जो नियत की जाय।
- (3) किसी ऐसे धनराशि की वसूली कि लिए, जो उपधारा (2) के अधीन विहित रीति से वसूल की जा सकती है, किसी न्यायालय में कोई वाद प्रस्तुत नहीं किया जायगा।}1

अध्याय – 4 समिति के अधिकारी तथा सेवक

22— (1) सभापति, और उसकी अनुपस्थिति में उपसभापति, इस अधिनियम के उपबन्धों तथा तद्धीन बनाए गए नियमों और उपविधियों तथा समिति के संकल्पों, यदि कोई हों, के अधीन रहते हुए, समिति के अधिकारियों तथा सेवकों का अधीक्षण और नियंत्रण करेगा तथा ऐसे अन्य अधिकारी का प्रयोग और कर्त्तव्यों का पालन करेगा, जो नियम किय जायें या समिति द्वारा तदर्थ पारित संकल्प द्वारा उसे प्रतिनिहित किए जायं।

समिति को देय धनराशियों की मालगुजारी के बकाया के रूप में वसूली न होने योग्य देयों के बटट् खाते डालने का अधिकार

अधिभार

सभापति तथा उपसभापति के अधिकारी और कर्त्तव्य

उ०प्र० अधिनियम संख्या ३०, १९७४ द्वारा पुनः अधिनियमित राष्ट्रपति अधिनियम सं० १३, १९७३ की धारा १२ प्रतिस्थापित एवं सदैव से प्रतिस्थापित समझी जाय।

^{2.} उ०प्र० अधिनियम सं० 10 वर्ष 1991 की धारा 5 द्वारा अन्तःस्थापित।

धारा 23-23क}

(2) सभापति, और उसकी अनुपस्थिति में उपसभापति, समिति की बैठकों की अध्यक्षता करेगा। दोनों की अनुपस्थिति में, बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा चुना गया कोई सदस्य, उस बैठक की अध्यक्षता करेगा।

23— (1) इस अधिनियम के उपबन्धों के तथा तदर्थ बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए, सिमित द्वारा पारित संकल्प द्वारा या उपविधियों द्वारा अधिकृत सीमा तक सिमित, उसका सभापित या सिचव ऐसे अधिकारियों और सेवकों को, जो इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हों, सेवा की ऐसी शर्तों पर, जिनकी व्यवस्था सिमित की उपविधियों में की जाय, नियुक्त कर सकता है।

समिति के अधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति तथा उनकी सेवा की शर्तें

{(2) प्रत्येक समिति {कं उतने सचिव}³ और ऐसे अन्य अधिकारी होंगे जिन्हें परिषद् समिति के कृत्यों का दक्षता से निर्वहन करने के लिए आवश्यक समझे, जो परिषद् द्वारा बनाए गए विनियमों द्वारा उपबन्धित शर्तों तथा निबन्धनों पर नियुक्ति किए जा सकेगे।}²

(3)
$$\{ * * * * \}^1$$

[23—क—— (1) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में किसी बात के होते हुए भी, परिषद् सभी समितियों के लिए सचिवों और ऐसे अन्य अधिकारियों का एक सामान्य संवर्ग संघटित करेगी, जिन्हें वह धारा 23 की उपधारा (2) के अधीन नियुक्त करना ठीक समझे।

केन्द्रीय सेवा का संघटन तथा कर्मचारियों का स्थानान्तरण

- ((2) उपधारा (2—ख) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए—
- (क) किसी समिति में प्रतिनियुक्ति पर सेवारत सरकारी सेवक से भिन्न प्रत्येक व्यक्ति, जो उपधारा (1) में निर्दिष्ट संवर्ग में समाविष्ट कोई पर धारक करता हो, और
- (ख) उक्त संवर्ग में किसी पद पर प्रतिनियुक्ति पर किसी समिति में सेवारत प्रत्येक सरकारी सेवक, जो अनुपयुक्त न पाया जाय, उसकी उपयुक्तता ऐसी रीति से अवधारित की जायगी जैसी विनियमों में निर्धारित की जाय,

उक्त संवर्ग के गठन के दिनांक की और उसी दिनांक से (जिसे आगे इस धारा में उक्त दिनांक कहा गया है) उपधारा (2—क) में उल्लिखित दिनांक और शर्तो पर संवर्ग का सदस्य हो जायगा।

(2—क) प्रत्येक व्यक्ति, जो उपधारा (2) के अधीन संवर्ग का सदस्य हो जाता है उतनी ही पदाविध के लिए, एसी पारिश्रमिक पर, उन्हीं निबंधनों और शर्तों पर और पेंशन, उपदान और अन्य विषयों के सम्बन्ध में उन्हीं अधिकारों और विशेषाधिकारों के साथ पद धारण करेगा जिन पर वह उक्त दिनांक का हकदार होता यदि संवर्ग का गठन न हुआ होता, और इस प्रकार हकदार बना रहेगा जब तक कि संवर्ग के सदस्य के रूप में उसका सेवायोजन समाप्त न कर दिया जाय या जब तक कि किसी विधि के अधीन या उसके अनुसरण में या किसी ऐसे उपबन्ध के अनुसार, जिससे तत्समय उसकी सेवा नियंत्रित होती है परिषद् द्वारा उसके पारिश्रमिक या सेवा के अन्य निबंधनों और शर्तों का पुनरीक्षण या परिवर्तन न कर दिया जाय।

(2—ख) उपधारा (2) की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति पर लागू नहीं, होगी जो राज्य सरकार को, ऐसे समय के भीतर, जैसा राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे, दी गई लिखित सूचना द्वारा उक्त संवर्ग का सदस्य न होने के अपने आशय की सूचना दे।

उ०प्र० अधिनियम संख्या ३०, १९७४ द्वारा पुनः अधिनियमित राष्ट्रपित अधिनियम सं० १३, १९७४ की धारा १३ (दो) द्वारा निकाली गई।

^{2.} उपर्युक्त की धारा 13 (एक) द्वारा रखी गई।

^{3.} उ०प्र० अधिनियम सं० 10 वर्ष 1991 की धारा 6 द्वारा प्रतिस्थापित।

(धारा 23क)

- (2—ग) किसी समिति के अधीन किसी कर्मचारी की सेवायें, जो आमेलन के विरूद्ध विकल्प करता है, पद समाप्त किये जाने के आधार पर समाप्त हो जायेगी और इस प्रकार सेवा समाप्ति पर, वह सम्बद्ध समिति से निम्नलिखित के बराबर प्रतिकर पाने का हकदार होगा—
 - (क) किसी स्थायी कर्मचारी की स्थिति में, तीन मास की परिलब्धियां;
 - (ख) किसी अस्थायी कर्मचारी की स्थिति, में एक मास की परिलब्धियां;
- (2—घ) किसी सरकारी सेवक को, जो उपधारा (1) में निर्दिष्ट संवर्ग में किसी पद पर प्रतिनियुक्ति पर किसी समिति में सेवारत हो, आमेलन के विरुद्ध विकल्प करता है या जिसे उपयुक्त न पाया जाय, उसके मूल विभाग में प्रत्यावर्तित कर दिया जायेगा और, यदि उसकी ज्येष्ठता को ध्यान में रखते हुए, मूल विभाग में उसके लिए कोई पद उपलब्ध नहीं है तो उसकी सेवायें पद के समाप्त किये जाने के आधार पर प्रत्यावर्तन के आदेश के दिनांक से समाप्त हो जायेगी और इस प्रकार सेवा की समाप्ति पर, वह राज्य सरकार से उपधारा (2—ग) में उल्लिखित धनराशि के बराबर प्रतिकर पाने का हकदार होगा;}

परन्तु इस धारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति पर लागू न होगी, जो राज्य सरकार को ऐसे समय के भीतर, जिसे राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा निर्दिष्ट करें, लिखित सूचना द्वारा उक्त संवर्ग सदस्य न होने के अपने आशय की सूचना दे:

परन्तु यह और कि यथास्थिति राज्य सरकार अथवा सिमति, के अधीन पूर्ववर्ती परन्तुक में निर्दिष्ट किसी कर्मचारी की सेवा उसके द्वारा धृत पद के समाप्त होने के कारण समाप्त हो जायगी और वह यथास्थिति राज्य सरकार या सिमति से, ऐसे प्रतिकर का हकदार होगा, जो —

- (क) किसी स्थायी कर्मचारी की दशा में, तीन मास के पारिश्रमिक;
- (ख) किसी अस्थायी कर्मचारी की दशा में एक मास पारिश्रमिक, के बराबर होगा।
- (3) उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए, किन्तु किसी अभिव्यक्त प्रतिकूल करार के अधीन रहते हुए, उसमें निर्दिष्ट कोई व्यक्ति जो संवर्ग का सदस्य हो जाय किसी समिति के जिसमें वह उक्त तारीख के ठीक पूर्व नियोजित था, किसी अन्य समिति में उसी पारिश्रमिक तथा उन्हीं निबन्धनों एवं शर्तों पर जिनसें वह ऐसे स्थानान्तरण के ठीक पूर्व नियंत्रित होता था, स्थानान्तरित किया जा सकेगा।
- (4) उपधारा (2) में निर्दिष्ट कर्मचारियों के लिए गठित किसी पेंन्षन, भविष्य निधि, उपदान अथवा तत्सदृश अन्य निधियों में उनके नाम जमा धनराशि, यथास्थिति, राज्य सरकार या संबद्घ समिति द्वारा उक्त तारीख तक शोध्य संचयित ब्याज और ऐसी निधि से संबन्धित लेखे सिंहत परिषद् को अन्तरित कर दी जायगी और राज्य सरकार तथा किसी समिति को छोड़कर, परिषद् ऐसे कर्मचारियों को निवृत्त वेतन, भविष्य निधि, उपदान या अन्य तत्सदृश शोध्यों को, जो उनकी सेवा की शर्तों के अनुसार, समुचित समय पर, उन्हें संदेय हो, संदाय करने के लिए दायी होगी।
- (5) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (2) के अधीन किसी संवर्ग में किसी कर्मचारी की सेवाओं के स्थानान्तरण से कोई ऐसा कर्मचारी ऐसी विधि के अधीन किसी प्रतिकर का हकदार न होगा, और ऐसा कोई दावा किसी न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकरण द्वारा ग्रहण नहीं किया जायगा।

(धारा 24)

- (6) राज्य सरकार अथवा किसी समिति का प्रत्येक स्थायी या अस्थायी कर्मचारी उपधारा (2) के अधीन संवर्ग का सदस्य होने पर उक्त तारीख को और से स्थायी या अस्थायी पद के प्रति, जो उक्त तारीख से ऐसे संवर्ग में सृजित हो जाएगा, संवर्ग का यथास्थिति, स्थायी या अस्थायी सदस्य हो जायगा।
- (7) राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति के नियत्रंणाधीन सरकारी सेवको पर लागू सिविल रेंग्युलेशन्स के पैरा 426 या 436 अथवा पदों कर छंटनी अन्य नियमों की कोई बात, इस धारा में उपबन्धित विस्तार के सिवाय उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट किसी कर्मचारियों पर लागू न होगी |}1
- 24— {(1) समिति का सचिव उसका मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा और इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, ऐसे कृत्यों का संपादन, ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करेगा, जो नियत किए जायें या जो उपविधियों में उपबन्धित किये जायं या जैसा परिषद् या निदेशक लिखित आदेश द्वारा निर्देश दें :

सचिव के कृत्य, अधिकार और कर्त्तव्य

प्रतिबन्ध यह है कि जब किसी एक सिमित में एक से अधिक सिचव तैनात किए जायं, तब निदेशक सिचवों में से एक सिचव को उसका मुख्य कार्यपालक अधिकारी नामांकित करेगा और उनमें से प्रत्येक द्वारा सम्पादित किए जाने वाले कृत्यों, प्रयोग की जाने वाली शक्तियों और पालन किए जाने वाले कर्तव्यों को अवधारित करेगा।

- (2) पूर्वाक्त उपबन्धों की व्यापकता पर विपरीत प्रभाव डाले बिना, किन्तु इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों और उपविधियों के उपबन्धों के अधीन रहतें हुए सचिव—
 - (क) यह सुनिश्चित करने के लिए कि -
 - (1) इस अधिनियम द्वारा अथवा इसके अधीन सौंपे गए कर्त्तव्यों का पालन उचित रूप से तथा दक्षतापूर्वक हो, समिति के समस्त अधिकारियों और सेवकों के; तथा
 - (2) समिति के मामलों के, अधीक्षण और नियंत्रण के सभी अधिकारों का प्रयोग करेगा।
 - {(ख) समिति के किसी कर्मचारी के उपेक्षा, दुराचरण या कर्त्तव्यच्युति के मामलों की रिपोर्ट नियुक्ति प्राधिकारी को आवश्यक कार्यवाही के लिये देगा और यदि इसके लिये अधिकृत किया गया हो तो समिति के किसी भी कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासन संबंधी कार्यवाही करेगा;}²
 - (ग) वह सुनिश्चित करेगा कि-
 - (1) समिति की ओर से प्राप्त या व्यय की गई सभी धनराशियों का लेखे;
 - (2) इस अधिनियम, या तद्धीन बनाए गए नियमों या उपविधियों के अधीन निर्णय के लिए आए हुए विवादों का अभिलेख; और
 - (3) उसके द्वारा निपटाए गए विवादों का अभिलेख ऐसे प्रपत्र में, जो नियत किया जाय, समुचित रूप से रखे जाये।
 - (3) इस अधिनियम के अधीन सभी लाइसेंस उसके हस्ताक्षर से जारी किए जायेंगे।

उ०प्र० अधिनियम संख्या ३०, १९७४ द्वारा पुनः अधिनियमित राष्ट्रपति अधिनियम सं० १३, १९७७ की धारा १४ द्वारा अन्तःस्थापित।

^{2.} उ० प्र० अधिनियम सं० ६, १९७७ की धारा ९ द्वारा प्रतिस्थापित।

^{3.} उ० प्र० अधिनियम सं० १०, १९९१ की धारा ७ द्वारा प्रतिस्थापित।

धारा 25- 26ख}

[25— इस अधिनियम के अधीन इस निमित्त बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए, कोई व्यक्ति जो धारा 17 के खण्ड (1) या खण्ड (2) के अधीन समिति द्वारा दिए गए आदेश से व्यक्ति हो, ऐसे आदेश से 30 दिन के भीतर, परिषद् को ऐसी रीति से, जो नियत की जाय, अपील कर सकता है और परिषद् अपीलार्थी तथा समिति दोनों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उसका विनिश्चिय करेगी।]

अपील

{25-क— इस अधिनियम के अधीन इस निमित्त बनाए जाने वाले नियमों के रहते हुए, धारा 23-क के अधीन गठित किसी संवर्ग के सदस्यों के नियोजन की शर्ते तथा निबन्धन ओर ऐसे अधिकारियों के अनुशासन, नियंत्रण तथा दण्ड जिसके अन्तर्गत पदच्युत किया जाना तथा पद हटाया जाना भी है से सम्बन्धित विषय परिषद् द्वारा बनाए, गए विनियमों से शास्ति होंगे।}²

समितियों के अधिकारियों की शर्ते तथा निबन्धन

26— ${ \{ { t परिषद् या समिति \}}^4 }$ का प्रत्येक अधिकारी या सेवक, इण्डियन पीनल कोड, 1860 की धारा 21 के अर्थ में 'पब्लिक सर्वेन्ट' (लोक—सेवक) समझा जायगा।

इस अधिनियम के अधीन काम करने वाले व्यक्तियों का संरक्षण

अध्याय - 5

³{26-क-- (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा और उसमें निर्दिष्ट तारीख से राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् के नाम से एक परिषद्, जिसका में मुख्यालय लखनऊ में होगा, स्थापित करेगी।

परिषद की स्थापना

- (2) परिषद् उक्त नाम से शास्वत उत्तराधिकार वाली एक निगमित निकाय होगी और उसकी एक सामान्य मुद्रा होगी तथा उक्त नाम से वह वाद प्रस्तुत कर सकेगी अथवा उसके विरूद्ध वाद प्रस्तुत किया जा सकेगा तथा संपत्ति का अर्जन, धारण तथा उसका व्ययन करेगी और संविदा करेगी।
 - (3) परिषद् सभी प्रयोजनों के लिए स्थानीय प्राधिकरण समझी जायगी।

26—ख——(1) परिषद् में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अध्यक्ष के अतिरिक्त निम्नलिखित अन्य सदस्य होंगे, अर्थात् :— परिषद् का गठन

- $\{(\sigma) \ \sigma \neq 0 \ \sigma \neq$
- (ख) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, वित्त विभाग;
- (ग) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, खाद्य तथा रसद विभाग;
- $\{(u)$ राज्य सरकार के कृषि विभाग का सचिव या जहां उक्त विभाग के लिये कोई पृथक सचिव न हो, वहां उक्त विभाग का, यथास्थिति, विशेष सचिव या संयुक्त सचिव $\{u\}^6$
 - (ङ) रजिस्टार, सहकारी समितियां उत्तर प्रदेश ;
 - (च) कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश ;
 - {(च -1) कृषि विपणन सलाहकार, भारत ;
 - (च-2) निदेशक औद्यानिकी एवं फलोपयोग, उत्तर प्रदेश ;
 - (च-3) राज्य कृषि विपणन अधिकारी, उत्तर प्रदेश ;

- 2. उपर्युक्त की धारा 17 द्वारा अन्तःस्थापित।
- 3. उपर्युक्त द्वारा पुनः अधिनियमित राष्ट्रपति अधिनियम सं० 13, 1973 की धारा 18 द्वारा नई धाराएं 26—क से 26—अ तक अन्तःस्थापित।
- 4. उ० प्र० अधिनियम सं० ६, 1977 की धारा 10 द्वारा प्रतिस्थापित।
- 5. उपर्युक्त की धारा 11(क)(एक) द्वारा प्रतिस्थापित।
- ठपर्युक्त की धारा 11 (क)(दो) द्वारा प्रतिस्थापित।

उठप्र० अधिनियम संख्या ३०, १९७४ द्वारा पुनः अधिनियमित राष्ट्रपति अधिनियम सं० १३, १९७७ की धारा १५ द्वारा प्रतिस्थापित।

(धारा 26 ग)

- (च-4) उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 के अधीन स्थापित किसी विश्वविद्यालय का कुलपत्ति, जो राज्य सरकर द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जायगा $\}^1$
- (छ) राज्य सरकार द्वारा ऐसे उत्पादकों में से जो मण्डी समितियों के सदस्यों के रूप में निर्वाचित हों, नियुक्त {छः}² व्यक्ति, और जब तक कि ऐसे निर्वाचित सदस्य उपलब्ध न हों, उक्त सरकार द्वारा नियुक्त कोई तीन उत्पादक;
- (ज) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त {दो व्यक्ति}³, जो व्यापारियों अथवा आढ़ितयों में से मण्डी समिति सदस्य के रूप में निर्वाचित हों और जब तक कि ऐसे निर्वाचित सदस्य उपलब्ध न हों, उक्त सरकार द्वारा नियुक्त {कोई व्यापारी अथवा आढ़ती;}³
- (झ) मण्डी निदेशक, जो परिषद् का पदेन सचिव होगा, (जिसे इसके पश्चात् इस अध्याय में सदस्य–सचिव के रूप में निर्दिष्ट किया गया है);
- (2) अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति राजपत्र में अधिसूचना की जायगी ।
- (3) खण्ड (क), खण्ड (ख), खण्ड (ग) या खण्ड (घ) में निर्दिष्ट सदस्य, परिषद् के किसी अधिवेशन में स्वंय उपस्थिति होने के बजाय किसी अधिकारी को, जो उप सचिव के पद से नीचे का न हो, प्रतिनियुक्त कर सकता है और खण्ड (ङ) में निर्दिष्ट सदस्य, इसी प्रकार किसी अधिकारी को जो अपर रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों के पद से नीचे का न हो, प्रति नियुक्त कर सकता है (और खण्ड (च-1) में निर्दिष्ट सदस्य, किसी अधिकारी को, जो भारत सरकार के संयुक्त कृषि विपणन सलाहकार के पद से नीचे का न हो, प्रतिनियुक्ति कर सकता है और खण्ड (च-2) में निर्दिष्ट सदस्य किसी अधिकारी को, जो अपर निदेशक, औद्यानिकी तथा फलोपयोग के पद से नीचे का न हो, प्रतिनियुक्ति कर सकता है और इस प्रकार प्रतिनियुक्त अधिकारी को मत देने का भी अधिकार होगा।

26-ग-- कोई व्यक्ति परिषद् का अध्यक्ष या अन्य सदस्य चुने जाने या होने के लिये अनर्ह होगा, यदि वह -

अध्यक्ष या अन्य सदस्य होने के लिए अनर्हता

- (क) नैतिक अधमता वाले अपराध के लिये सिद्व दोष हुआ हो;
- (ख) अनुन्मुक्त दिवालिया हो;
- (ग) विकृत—चित्त का हो और किसी सक्षम न्यायालय द्वारा इस प्रकार घोषित किया गया हो;
- (घ) धारा 26—घ और धारा 26—ङ में किये गये उपबन्ध को छोड़कर परिषद् के अधीन किसी लाभ के पद पर हो;
- (ङ) स्वयं या किसी भागीदार, नियोजक या कर्मचारी द्वारा परिषद् के साथ द्वारा या उसकी ओर से किसी संविदा या नियोजन में, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में, आर्थिक या किसी अन्य प्रकार का कोई अंश या हित रखता हो ; या
- (च) किसी ऐसी कम्पनी का निदेशक या सचिव, प्रबन्धक या अधिकारी हो, जो परिषद् के साथ, द्वारा या उसकी ओर से किसी संविदा या नियोजन में कोई अंश या हित रखता हों :

परन्तु खण्ड (ङ) या खण्ड (च) के अधीन कोई व्यक्ति केवल इस कारण से अनर्ह नहीं होगा कि उसका या उस कम्पनी का जिसका वह निदेशक, सचिव प्रबन्धक या अन्य अधिकारी हों :——

^{1.} उ० प्र० अधिनियम सं० ६, १९७७ की धारा ११ (क)(तीन) द्वारा बढ़ाया गया।

^{2.} उपर्युक्त की धारा 11(क)(चार) द्वारा प्रतिस्थापित।

^{3.} उपर्युक्त की धारा 11(क)(पांच) द्वारा प्रतिस्थापित।

उपर्युक्त की धारा 11(ख) द्वारा प्रतिस्थापित।

धारा 26घ- 26छ}

- (एक) किसी स्थावर सम्पत्ति की बिकी, क्रय, उसे पट्टे पर देने या उसके विनिमय अथवा उसके लिये किये गये किसी करार में:
- (दो) धनराशि के उधार के लिये किसी करार मे या केवल धनराशि के संदाय के लिये किसी प्रतिभूति में;
- (तीन) किसी ऐसे समाचार-पत्र में, जिसमें परिषद् के कार्यकलाप के सम्बन्ध में कोई विज्ञापन प्रकाशित हो;
- (चार) परिषद् को किसी एक वर्ष में दस हजार रूपये से अनधिक मूल्य तक की किसी ऐसी वस्तु में, जिसमें वह या कम्पनी नियमित रूप से व्यापार करती हों, यदा—कदा विक्रय में; कोई अंश या हित है।
- 26—घ—— (1) उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, परिषद् का अध्यक्ष तथा अन्य सदस्य, जो उसके पदेन सदस्य न हों, दो वर्ष के लिये पद धारण करेंगे जब तक कि राज्य सरकार द्वारा अध्यक्ष या अन्य सदस्य की पदाविध राजपत्र में, अधिसचूना द्वारा पहले ही समाप्त न कर दी जाय, और वे पुननियुक्ति के लिये पात्र होंगे।

अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की पदावधि

- {(2) धारा 26—ख की उपधारा (1) के खंड (च–4) या खंड (ज) के अधीन नियुक्त सदस्य, यथास्थिति, वैसे कुलपति पद पर न रह जाने पर या मण्डी समिति का निर्वाचित सदस्य न रह जाने पर समाप्त हो जायगी।}¹
- (3) अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य जो पदेन सदस्य न हो, किसी समय राज्य सरकार को सम्बोधित स्वहस्ताक्षतारित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है और ऐसा त्याग—पत्र स्वीकार कर लिये जाने पर यह क्षेत्र पर यह समझा जायगा कि उसने अपना पद रिक्त कर दिया है।
- 26—ङ—— (1) अध्यक्ष तथा ऐसे सदस्यों को जो पदेन सदस्य न हों, परिषद् की निधि से ऐसा पारिश्रमिक, यदि कोई हो, दिया जायगा जो राज्य सरकार द्वारा नियत किया जाय।

अध्यक्ष तथा पदेन सदस्य से निम्न अन्य सदस्यों के पद के सम्बन्ध में अन्य उपबन्ध

- (2) यदि अध्यक्ष अथवा उपर्युक्त कोई अन्य सदस्य अंग शैथिल्य के कारण या अन्यथा अपने कृत्यों का निर्वहन करने मे अस्थायी रूप से असमर्थ है अथवा छुट्टी पर ऐसी परिस्थितियों में अनुपस्थिति है, जिससे उसका पद रिक्त न हों, तो राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के निर्वहन के लिये किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त कर सकेगी।
- 26—च— (1) परिषद् अपने कृत्यों के दक्ष निर्वहन के लिये ऐसे अधिकारियों और सेवकों को ऐसी शर्तों तथा निबन्धनों पर जो परिषद् द्वारा बनाये गये विनियमों में उपबन्धित किये जायें, नियुक्त कर सकेगी।

अधिकारियों तथा सेवकों की नियुक्ति

- (2) परिषद्, राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी सेवक को ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, जिन्हें वह ठीक समझे परिषद् या किसी समिति का अधिकारी या सेवक नियुक्त कर सकेगी।
- 26—छ—— परिषद् के अधीक्षण के अधीन रहते हुए, परिषद् के समस्त अधिकारियों और सेवकों पर सामान्य नियंत्रण तथा उनको निदेश देना निदेशक में निहित होगा।

निदेशक द्वारा पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण

धारा 26ज— 26ठ}

26—ज— परिषद् की सभी कार्यवाहियां अध्यक्ष या सदस्य—सचिव के हस्ताक्षर से अधिप्रमाणीकृत कर जायेंगी और परिषद् द्वारा जारी किये गये सभी आदेश तथा अन्य लिखत सदस्य सचिव या परिषद् के ऐसे अन्य अधिकारी के, जिसे विनियमों द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाय, हस्ताक्षर से प्रमाणीकृत किये जायेंगे।

परिषद् के आदेशों तथा अन्य लिखतों का अधिप्रमाणी करण

26—झ— इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, परिषद सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, या तो बिना शर्तों के अधीन रहते हुए जो आदेश में विर्निदिष्ट को जायं, {अपने द्वारा नियुक्ति किसी उपसमिति या निदेशक या} सदस्य सचिव अथवा परिषद् के किसी अन्य अधिकारी को, इस अधिनियम के अधीन अपनी ऐसी शक्तियों तथा कर्त्तव्यों को प्रत्यायोजित कर सकेगी, जिन्हें वह ठीक समझे।

शक्तियों का प्रत्यायोजन

26—ञ—— (1) परिषद् या उसके द्वारा नियुक्त किसी उपसमिति का अध्यक्ष या कोई सदस्य :— हित होने के कारण कार्यवाहियों में भाग लेने से अनर्हता

- (क) जिसका किसी मामले के सम्बन्ध में धारा 26—ग के खण्ड (ड) या खण्ड (च) में वर्णित प्रकार का कोई अंश या हित हों;
- (ख) जिसने किसी मामलें के सम्बन्ध में, किसी व्यक्ति की ओर से जिसका उस मामले में यथापूर्वोक्त प्रकार का कोई अंश या हित हो, वृत्ति रूप से काम किया हो, धारा 26—ग के परन्तुक में अन्तविष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसे मामले के सम्बन्ध में परिषद या समिति की किसी कार्यवाही में न ही मत देगा और न भाग लेगा।
- (2) यदि परिषद् या उसके द्वारा नियुक्त किसी समिति के किसी सदस्य का, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, जिसमें इस अधिनियम के किन्ही भी प्रयोजनों के लिये भूमि अर्जित करना प्रस्थापित है, कोई हित मे तो वह परिषद् की उप समिति की किसी ऐसी बैठक में भाग नहीं लेगा जिसमें ऐसी भूमि से सम्बद्ध किसी मामले पर विचार किया जाय।
- (3) उपधारा (1) या उपधारा (2) की कोई बात परिषद् या उप समिति के किसी सदस्य को उक्त उप—खण्डों में निर्दिष्ट विषय से भिन्न किसी अन्य विषय से सम्बद्ध किसी संकल्प या प्रश्न पर मत देने या उस पर विचार—विमर्श में भाग लेने से निषिद्ध नहीं करेगी।

26—ट— परिषद् या उसके द्वारा नियुक्त किसी उप समिति द्वारा इस अधिनियम के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही केवल —

अनौपचारिकता, रिक्ति आदि के कारण किये गये कार्य अविधिमान्य न होना

- (क) परिषद् या उप समिति में कोई रिक्ति या उसके गठन में कोई त्रुटि होने; या
- (ख) किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति में, जो उसके सदस्य के रूप में कार्य कर रहा हो, कोई त्रुटि या अनियमितता होने; या
- (ग) किसी ऐसे कार्य या कार्यवाही में, जिसका मूल तत्व पर प्रभाव न पड़ता हो, कोई त्रुटि या अनियमितता होने, के कारण अविधिमान्य न होगी ।
- 26—30— (1) परिषद् के इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए निम्नलिखित कृत्य होंगे और उसे ऐसा कोई कार्य करने की शक्ति होगी जो उन कृत्यों को कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक अथवा समीचीन हो—

परिषद् की शक्तियां तथा कत्य

- (1) मण्डी समितियों के कार्य संचालन तथा उनके अन्य कार्य—कलापों, जिनके अन्तर्गत ऐसी समितियों द्वारा मण्डियों तथा [नये मन्डी स्थलों के निर्माण और वर्तमान मंडियों तथा मण्डी क्षेत्रों के विकास]² के लिये व्यवसित कार्यक्रम भी है, का पर्यवेक्षण और नियंत्रण;
 - उ० प्र० अधिनियम सं० ६, 1977 की धारा 13 द्वारा प्रतिस्थापित।
 - 2. उपर्युक्त की धारा 14 (क) द्वारा प्रतिस्थापित।

धारा 26ड- 26ढ}

- (2) समितियों को सामान्य रूप से अथवा किसी समिति को विशेषतः उसकी दक्षता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निर्देश देना;
 - (3) कोई अन्य कृत्य, जो उसे इस अधिनियम द्वारा सौपें जायें;
- (4) ऐसे अन्य कृत्य, जो राज्य सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा परिषद् को सौपें जायं।
- (2) पूर्ववर्ती उपबन्ध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसी शक्ति के अन्तर्गत निम्नलिखित शक्ति भी होगी :--
 - (1) मण्डियों के विकास के लिये समितियों द्वारा चुने गये नये स्थलों के प्रस्तावों का अनुमोदन करना;
 - (2) स्थल-नक्शों और समिति द्वारा व्यसित निर्माण कार्य-क्रमों के तखमीने तैयार करने में समितियों का पर्यवेक्षण तथा पद-प्रदर्शन करना;
 - (3) परिषद् की निधि पर प्रभार्य समस्त निर्माण-कार्यो को निष्पादित करना;
 - (4) ऐसे प्ररूपों में जो नियत किये जायं, लेखे रखना और उनकी लेखा परीक्षा ऐसी रीति से जैसी परिषद् के विनियमों में निर्धारित की जायं कराना,
 - (5) वर्ष की समाप्ति पर अपनी प्रगति रिपोर्ट, तुलन—पत्र तथा आस्तियों और दायित्वों का विवरण प्रति वर्ष प्रकाशित करना और उसकी प्रतियां परिषद् के प्रत्येक सदस्य तथा सभी मण्डी समितियों के सभापतियों को भेजना;
 - (6) कृषि उत्पादन के विनियमित क्रय—विक्रय से सम्बद्ध विषयों का प्रचार तथा विज्ञापन करन के लिये आवश्यक प्रबन्ध करना;
 - (7) मण्डी समितियों के अधिकारियों तथा सेवकों के प्रशिक्षण के लिये स्विधाओं की व्यवस्था करना;
 - (8) आगामी वर्ष का बजट तैयार करना और अंगीकृत करना;
 - (9) इस अधिनियम के प्रयोजनों ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों पर, जैसा परिषद् अवधारिता करे, मण्डी समितियों को {और उधार} वेना;
 - (10) ऐसे सभी अन्य कार्य करना जो मण्डी समितियों के सामान्य हित में अथवा परिषद् के दक्षतापूर्वक कार्य करने के लिये आवश्यक समझे जायं अथवा राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर निर्दिष्ट किये जायं।

26—ड— (1) अपने कर्त्तव्यों का पालन करने में परिषद् के नीति विषयक प्रश्नों पर ऐसे निर्देशों मार्ग—दर्शन प्राप्त करेगी जो उसे राज्य सरकार द्वारा दिये जायं। नीति विषयक प्रश्नों पर निदेश

- (2) यदि कोई ऐसा प्रश्न उठे कि कोई विषय है या नहीं, जिसके सम्बन्ध में राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन निदेश जारी कर सकती है तो राज्य सरकार का विनिश्चय अन्तिम होगा।
- 26—6— (1) परिषद् प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के यथाशीघ्र ऐसी तारीख से पूर्व और पूर्व और ऐसे प्रपत्र में, जैसा राज्य सरकार निदेश दे, एक रिपोर्ट, जिसमें पिछले वित्तीय सरकार को प्रस्तुत करेगी और रिपोर्ट में ऐसे कार्यकलापों का भी, यदि कोई हो, यदि कोई हो,लेखा दिया जायगा जिन्हें आगामी वित्तीय वर्ष में द्वारा किये जाने की सम्भावना हो और राज्य सरकार प्रत्येक ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त उसे, यथाशक्यशीघ्र, राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखवायेगी।

वार्षिक रिपोर्ट, आंकडें, विवरणियां तथा अन्य जानकारी

धारा 26ण- 26तत}

(2) परिषद्, राज्य सरकार को ऐसे समय पर और ऐसे प्रारूप में तथा ऐसी रीति से जैसी राज्य सरकार निदेश दे, ऐसे आंकडे तथा विवरणियां और परिषद् के किसी प्रस्तावित या वर्तमान कार्यकलापों अथवा परिषद् के नियंत्रणाधीन किसी अन्य विषय के सम्बन्ध में ऐसे ब्योरे, जिसकी राज्य सरकार समय—समय पर अपेक्षा करे, प्रस्तुत करेगी।

26—ण— परिषद् की ओर से प्रत्येक संविदा अथवा सम्पत्ति हस्तान्तरण—पत्र लिखित रूप से होगा तथा ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसे रीति से, जिनकी व्यवस्था विनियमों द्वारा की जायं, निष्पादित किया जायगा।

संविदा आदि का निष्पादन तथा रजिस्ट्रीकरण

परिषद् की निधि

- [26—त— (1) परिषद् की एक अपनी निधि होगी, जो स्थानीय निधि समझी जायगी और जिसमें परिषद् द्वारा या उनकी ओर से प्राप्त धारा 26—तत के अधीन उत्तर प्रदेश राज्य मण्डी विकास निधि में जमा की जाने वाली धनराशि को दोड़कर, समस्त धनराशि, जमा की जायेंगी।
- (2) विशेष रूप से और विनियोजन और निस्तारण के प्रयोजन और रीति से सम्बन्धित इस अधिनियम के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उपधारा (1) में निर्दिष्ट निधि का उपयोग परिषद् द्वारा निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए किया जायेगा, अर्थात्—
 - (1) परिषद् द्वारा नियोजित अधिकारियों और सेवकों को वेतन, छुट्टी भत्ता, आनुतोषिक, अन्य भत्तों, ऋण और अग्रिम और भविष्य निधि और उन सरकारी सेवकों को, जो प्रतिनियुक्ति पर हों, पेन्शन और अन्य अंशदान का भुगतान;
 - (2) परिषद् के सदस्यों को यात्रा और अन्य भत्तों का भुगतान;
 - (3) परिषद् के अधिष्ठान से सम्बन्धित अन्य प्रयोजनों या सामान्यतया इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए।}¹

[26-तत— (1) परिषद् के लिए एक निधि की स्थापना की जाएगी, जिसे उत्तर प्रदेश राज्य मण्डी विकास निधि कहा जायेगा, जिसमें निम्नलिखित धनराशि जमा की जायेगी, अर्थात—

उत्तर प्रदेश राज्य मण्डी विकास निधि

- (क) धारा 19 की उपधारा (5) के अधीन समितियों से प्राप्त समस्त अंशदान उसके उतने प्रतिशत को छोड़कर जितने राज्य सरकार परिषद् की निधि में जमा करने के लिए निदेश दे;
 - (ख) ऐसी अन्य धनराशि जिसे राज्य सरकार या परिषद निदेश दे;
- (2) उपधारा (1) के अधीन स्थापित निधि का उपयोग, अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए किया जायगा; अर्थात् —
 - (1) मण्डी क्षेत्र में कृषकों, अन्य उत्पादकों और मण्डी शुल्क देने वालो को सुविधाएं;
 - (2) मण्डी क्षेत्र में प्रधान मण्डी स्थल, उप मण्डी स्थल, हाट और पैंठ का विकास और नवीन मण्डी स्थलों का निर्माण;
 - (3) मण्डी क्षेत्र में सम्पर्क सड़कों, मण्डी की गलियों और अन्य विकाय कार्यों का निर्माण, अनुरक्षण और मरम्मत
 - (4) निर्दिष्ट कृषि उत्पादन का मण्ड सर्वेक्षण और अनुसंधान वर्गीकरण और मानकीकरण;
 - (5) प्रचार, प्रख्यापन और विस्तार सेवा और निर्दिष्ट कृषि उत्पादन के क्रय और विक्रय की स्थिति में सामान्य सुधार से सम्बन्धित विषय;

धारा 26ततत- 26थ)

- (6) वित्तीय वर्ष से कमजोर और अल्प विकसित समितियों को ऋण और अनुदान के रूप में सहायता;
- (7) परिषद् के कर्तव्यों का पालन करने के लिए भवन या भूमि का अर्जन या निर्माण या पट्टे पर या अन्यथा लेना;
 - (8) मण्ड क्षेत्रों का बेहतर विकास और मण्डी समितियों का नियंत्रण;
 - (9) बैठक और विधिक मामलों पर व्यय:
 - (10) राज्य में मण्डी समितियों के अधिकारियों और कर्मचारियों का प्रशिक्षण;
- (11) प्रधान मण्डी स्थलों और उप मण्डी स्थलों और मण्डी क्षेत्रों के विकास के लिए स्थल नक्शा और निर्माण प्राक्कलन तैयार करने में और महायोजना की परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में मण्डी समितियों को तकनीकी सहायता:
 - (12) परिषद् और मण्डी समितियों की आन्तरिक लेखा परीक्षा;
- (13) धारा 16, 19 और 19—ख में निर्दिष्ट ऐसे विषय, जो पूर्ववर्ती खण्डों के अन्तर्गत न आते हों;
- (14) इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी बनाने या निर्दिष्ट कृषि उत्पादन के क्रय–विक्रय को सामान्य रूप में विनियमित करने के लिए कोई अन्य प्रयोजन।}¹
- {26——ततत (1) एक निधि स्थापित की जायगी, जिसे ''केन्द्रीय मण्डी निधि'' कहा जायगा, जिसमें निम्नलिखित धनराशि जमा की जायगी, अर्थात् :—
 - (क) धारा 19 की उपधारा (6) के अधीन परिषद् को दी गई समस्त धनराशि;
 - (ख) ऐसी अन्य धनराशि, जिसे राज्य सरकार या परिषद् निर्देश दे।
- (2) केन्द्रीय मण्डी निधि का उपयोग निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए किया जायगा, अर्थात :--
 - (क) वित्तीय रूप से कमजोर और अविकसित समितियों को ऋण या अनुदान के रूप में सहायता;
 - (ख) मण्डी क्षेत्र में मण्डी स्थल, सम्पर्क सड़क, पुलिया और अन्य विकास कार्यों का निर्माण, अनुरक्षण और मरम्मत;
 - (ग) विकास कार्यों के लिए समितियों को अनुदान या ऋण;
 - (घ) ऐसे अन्य प्रयोजन, जैसे राज्य सरकार या परिषद् द्वारा, ऐसी रीति से, जैसी विहित की जाय, निर्देशित किये जायं।}²

26—थ— उस दशा को छोड़कर, जब परिषद् की राय में अत्यावश्यक परिस्थितियां उत्पन्न हो जायं किसी वित्तीय वर्ष में कोई भी धनराशि जो राज्य सरकार द्वारा आवर्ती अथवा अनावर्ती व्यय के लेखे में समय—समय पर इस निमित्त निश्चितकी गयी धनराशि से अधिक हो परिषद् द्वारा तब तक व्यय नहीं की जायगी जब कि ऐसी धनराशि धारा 26—फ की उपधारा (1) के अधीन प्रस्तुत विवरण में सम्मिलित न कर ली गई हो।

(2) यदि अत्यावश्यक परिस्थितियों में कोई ऐसी धनराशि व्यय की जाय तो उसके सम्बन्ध में एक रिपोर्ट जिसमें ऐसा व्यय पूरा करने के प्रस्तावित साधनों को विनिर्दिष्ट किया गया हो, राज्य सरकार को यथासाध्य शीघ्र जायगा।

ऐसे व्यय पर निर्बन्धन जिनकी व्यवस्था पहले से बजट में न हो

^{1.} उ० प्र० अधिनियम सं० १० वर्ष १९९१ की धारा ८ द्वारा प्रतिस्थापित।

^{2.} उ० प्र० अधिनियम सं० ४ वर्ष १९९९ की धारा ८ द्वारा अन्तःस्थापित।

धारा 26द- 26फ}

26—द— राज्य सरकार, राज्य विधान मण्डल के यथोचित वित्तीय विनियोजन के पश्चात् समय—समय पर इस अधिनियम से प्रयोजनार्थ वित्तीय सहायता ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों पर, जिन्हें राज्य सरकार अवधारित करे. दे सकेगी। परिषद् को वित्तीय सहायता

26—ध— राज्य सरकार, समय—समय पर, परिषद् को ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों पर जो इस अधिनियम के उपबन्धों के असंगत न हो, जिन्हें राज्य सरकार अवधारित करे, ऋण दे सकती है। परिषद् की ऋण

26—न— (1) परिषद्, समय—समय पर, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से और इस अधिनियम के उपबन्धों और ऐसी शर्तों, जिन्हें राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा अवधारित करे, के अधीन रहते हुए इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अपेक्षित धनराशि या तो बन्ध—पत्र या स्टाक जारी करके अथवा अन्य प्रकार से या बैकरों से प्रबंध करके, उधार ले सकेगी।

परिषद् को उधार लेने की

- (2) परिषद् राज्य सरकार से प्राप्त उधारों की रकमों के अतिरिक्त किसी भी समय उपधारा (1) के अधीन कोई ऐसी रकम उधार नहीं ले सकेगी जो राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर इस निमित्त नियत रकम से अधिक हो।
- (3) परिषद् द्वारा इस धारा के अधीन जारी किया गया स्टाक ऐसी रीति से जारी या अन्तरित किया जायेगा अथवा उसके सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी या उसे मोचित किया जायेगा, जैसा राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा निदेश दे।

26—प— परिषद् की आय का उपयोग उसके व्ययों को पूरा कर लेने के पश्चात् जहां तक उपलब्ध हो, निम्नलिखित क्रम से किया जायेगाः— परिषद् के दायित्वों को प्राथमिकता

- (1) बन्ध-पत्र के, जिनकी राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूति न दी गई हो, मूलधन और उनके ब्याज का प्रतिसंदाय करनाः
- (2) स्टाक के जिनकी राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूति न दी गई हो, मूलधन और उनके ब्याज का प्रतिसंदाय करना;
- (3) बन्ध-पत्र के, जिनकी राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूति दी गई हो, मूलधन तथा उनके ब्याज का प्रतिसंदाय करना;
- (4) स्टाक के जो इस प्रकार प्रत्याभूति हो, मूलधन तथा उनके ब्याज का प्रतिसंदाय करना;
- (5) राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूति, यदि कोई हो, के अधीन दी गई धनराशियों के मूलधन तथा उनके ब्याज का प्रतिसंदाय करना;
- (6) राज्य सरकार द्वारा परिषद् को दिये गये उधार के मूलधन और उस पर ब्याज का, जिनके अन्तर्गत ब्याज की बकाया भी है, प्रतिसंदाय करना।

26—फ—— (1) परिषद्, वित्तीय वर्ष के दौरान अपने कार्यकलापों के कार्यक्रम का, यथास्थिति, एक विवरण अथवा अनुपूरक विवरण, तथा उनके सम्बन्ध में एक वित्तीय अनुमान उस वर्ष के प्रारम्भ होने के पूर्व तैयार करेगी तथा उसके दौरान किसी समय तैयार कर सकेगी और उन्हें सरकार को ऐसी रीति से तथा ऐसी तारीख तक जैसी वह साधारण या विशेष आदेश द्वारा निदेश दे, उसके पूर्वानुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगी।

लेखे और लेखा परीक्षा

धारा 26ब- 26भ}

- (2) परिषद् उचित लेखा बही और अपने लेखों के सम्बन्ध में अन्य बहियां रखवायेगी और वार्षिक तुलनपत्र तैयार करेगी।
- (3) परिषद् के लेखों की संपरीक्षा ऐसे संपरीक्षक द्वारा की जायगी, जैसा राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा निदेश दे और इस प्रकार नियुक्त संपरीक्षक को सभी विषयों के सम्बन्ध में दस्तावेजों को प्रस्तुत किये जाने और जानकारी दिये जाने की अपेक्षा करने की शक्ति होगी।
- (4) संपरीक्षक द्वारा यथाप्रमाणित परिषद् की लेखाओं और उनके सम्बन्ध में संपरीक्षा रिपोर्ट प्रतिवर्ष राज्य सरकार को भेजी जायगी, जो उनके सम्बन्ध में परिषद् को ऐसे निदेश जारी कर सकेगी जो वह ठीक समझे और परिषद् ऐसे निदेशों का पालन करेगी।
 - (5) राज्य सरकार-
 - (क) उपधारा (4) के अधीन उसे प्राप्त परिषद् के लेखाओं, उनके सम्बन्ध में लेखा परीक्षा रिपोर्ट सहित, प्रतिवर्ष राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवायेगी; और
 - (ख) परिषद् के लेखाओं को ऐसी रीति से प्रकाशित करायेगी, जैसा वह ठीक समझे।

26—ब — परिषद् के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्य, अधिकारी और सेवक परिषद् की किसी धनराशि या सम्पत्ति की हानि, दुर्व्यय या दुरूपयोग के लिए अधिभार के दायी होंगे, यदि ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुरूपयोग ऐसे अध्यक्ष, या अन्य सदस्य, अधिकारी या सेवक के रूप में इस प्रकार कार्य करते हुए उसकी उपेक्षा या दुराचार का प्रत्यक्ष परिणाम हो।

अधिभार

- (2) अधिभार की प्रक्रिया ऐसी होगी जो विहित की जाय।
- (3) कोई धनराशि, जो ऐसी हानि, दुव्यय या दुरूप्रयोग में अधिभार की प्रक्रियाओं के परिणामस्वरूप पाई जाय, भू—राजस्व की बकाया के रूप में वसूल की जा सकेगी और ऐसी धनराशि की वसूली के लिये किसी सिविल न्यायालय में कोई वाद संस्थित नहीं किया जा सकेगा।
- (4) परिषद् को उपधारा (3) की कोई बात उसमें निर्दिष्ट धनराशि को ऐसे अध्यक्ष या अन्य सदस्य, अधिकारी या सेवक को पारिश्रमिक के मद्धे में या अन्य प्रकार से परिषद् द्वारा संदेय किसी धनराशि में से कटौती करने से नहीं रोकेगी।
- 26—भ— (1) परिषद्, राज्य सरकार के पूर्वामोदन से परिषद् के कार्यकलापों के प्रशासन के लिए ऐसे विनियम बना सकती है, जो इस अधिनियम और तद्धीन बनाये गये नियमों से असंगत न हो ।

विनियम

- (2) विशिष्टतया और पूर्ववर्ती शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे विनियमों में निम्नलिखित सभी या किसी विषय के लिए उपबन्ध किये जा सकेंगे; अर्थात् :-
 - (क) परिषद् का अधिवेशन बुलाना और करना, समय और स्थान जहां पर ऐसे अधिवेशन किये जाने है। ऐसे अधिवेशनों में कार्य—संचालन और अधिवेशनों की गणपूर्ति के लिये व्यक्तियों की आवश्यक संख्या;
 - (ख) परिषद् के अधिकारियों तथा सेवकों की शक्ति कर्त्तव्यों;
 - (ग) परिषद् के अधिकारियों तथा सेवकों और धारा 23 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट अधिकारियों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्ते :

धारा 27-28}

- (घ) परिषद की सम्पत्ति का प्रबंध;
- (ङ) परिषद की ओर से संविदा और सम्पत्ति सम्बन्धी हस्तान्तरण–पत्रों का निष्पादन ;
 - (च) परिषद द्वारा लेखाओं का रखना और तूलनपत्र तैयार किया जाना;
- (छ) इस अधिनियम के अधीन परिषद् के कृत्यों को कार्यान्वित करने की प्रक्रिया:
- (ज) कोई अन्य विषय, जिसके लिये विनियमों में उपबन्ध हो या किया जा सके।
- (3) जब तक कि परिषद् द्वारा उपधारा (1) के अधीन कोई ऐसे विनियम न बनाये जायं, जो इस प्रकार उसके द्वारा बनाए जा सकते हों, राज्य सरकार द्वारा बनाए जा सकेंगे और इस प्रकार बनाए गए किन्हीं विनियमों में परिषद् उपधारा (1) के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करके परिवर्तन कर सकेगी या उन्हें विखण्डित कर सकेगी।}1

वाह्य - नियंत्रण

- [27-(1) धारा 23 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट समिति, उसका सभापति, उपसभापति और अन्य सदस्यों, उनके सचिव और अन्य अधिकारियों पर सामान्य अधीक्षण इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, परिषद् में निहित होगा।}²
- (2) {परिषद या निदेशक}² समिति के मामलों से सम्बद्ध सभी लेखों या अभिलेखों का निरीक्षण कर सकता है या करवा सकता है और समिति, उनके सभापति, उपसभापति, सदस्यों, अधिकारियों या सेवकों से ऐसी सूचना या सामग्री देने की अपेक्षा कर सकता है जो वह आवश्यक समझे।
- (3) सिमति के मामलों से सम्बद्ध किसी कार्य के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त होने पर, राज्य सरकार निदेशक से समिति, उसके सभापति, उपसभापति, सदस्य सचिव या अधिकारी के विरुद्ध जांच करने या कार्यवाही प्रारम्भ करने की अपेक्षा कर सकती है, और निदेशक तदनुसार कार्य करेगा।
- (4) निदेशक, को इस अधिनियम के अधीन कोई जांच करने के प्रयोजन के लिए वही अधिकार प्राप्त होंगे जो किसी वाद पर विचार करते समय निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में कोड आफ सिविल प्रोसीजर, 1908 के अधीन किसी दीवानी न्यायालय में निहित है, अर्थात
 - (क) किसी व्यक्ति को सम्मान जारी करना और उसे उपस्थित होने के लिए बाध्य करना तथा शपथ पर उसका बयान लेना,
 - (ख) लेख्य प्रकट करने और उन्हें प्रस्तृत करने की अपेक्षा करना; और
 - (ग) कोई अन्य विषय, जो नियत किये जायें;

28-(1) {परिषद} समिति के सदस्य, सभापति या उपसभापति को हटा सकती है, यदि उसकी राय में वह-

(क) सदस्य, सभापति या उप-सभापति के रूप में द्राचरण या कर्त्तव्य की

समिति के किसी सदस्य को हटाने का (परिषद) का अधिकार

ऐक्ट संख्या 5,1908

- घोर उपेक्षा का दोषी हो; या
- उ०प्र० अधिनियम संख्या ३०, १९७४ द्वारा पुनः अधिनियमित राष्ट्रपति अधिनियम सं० १३, १९७७ की धारा 18 द्वारा धाराएं 26क-26भ तक प्रतिस्थापित।
- उपर्युक्त की धारा 19 (क) तथा (ख) द्वारा प्रतिस्थापित।
- उपर्युक्त की धारा 20 द्वारा प्रतिस्थापित।

धारा 29-31}

- (ख) उन अर्हताओं से सम्पन्न नहीं है जो उनके सदस्य, सभापित या उप सभापित होने के लिए आवश्यक है।
- (2) उपधारा (1) के अधीन हटाये जाने की कोई आज्ञा तब तक न दी जायगी जब तक कि सम्बद्ध व्यक्ति को अपने विरूद्ध आरोपों के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का समुचित अवसर न दे दिया गया हो ।

29— जब {परिषद्} की यह राय हो कि किसी समिति ने अपने कृत्यों का सम्पदान या अपने कर्त्तव्यों का पालन नहीं किया है या उसने इस अधिनियम द्वारा अथवा इसके अधीन प्राप्त अधिकारों का अतिक्रमण किया है या उनका दुरूप्रयोग किया है तो {परिषद्} गजट में विज्ञप्ति द्वारा समिति को अवक्रांत कर सकती है;

समिति का अतिक्रमण

प्रतिबन्ध यह है कि अतिक्रमण को कोई तब तक नहीं दी जायगी जब तक {परिषद्}¹ ने समिति को अपने विरूद्व आरोपों के सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का समुचित अवसर न दे दिया हो।

30— धारा 29 के अधीन समिति के अवक्रमण की विज्ञप्ति के प्रकाशित होने पर निम्नलिखित परिणाम उत्पन्न होंगे— अवक्रमण के परिणाम

- (1) सिमति के सभापित तथा उपसभापित सिहत समस्त सदस्यों के सम्बन्ध में यह समझा जायगा कि उन्होंने विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के दिनांक से अपने—अपने पद रिक्त कर दिये है;
- (2) राज्य सरकार, निदेश देगी कि धारा 13 के अधीन नयी समिति संघटित करने के लिए कार्यवाही की जाय और उस समय तक जब तक उपर्युक्त धारा 13 के अधीन नयी समिति संघटित न हो जाय, [परिषद्] समिति के कृत्यों के सम्पादन के लिए ऐसा प्रबन्ध करेगी जो वह उचित समझे और इस प्रयोजन के लिए निदेश दे सकती है कि इस अधिनियम के अधीन समिति और उसके सभापति के सभी कृत्यों का सम्पादन, अधिकारों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन, ऐसे व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा किया जायगा, जिसे [परिषद्] तदर्थ नियुक्त करे और ऐसा व्यक्ति या प्राधिकारी, यथास्थिति, समिति या सभापति समझा जायगा।
- 31—(1) {परिषद्} स्वतः या कोई रिपोर्ट अथवा शिकायत प्राप्त होने पर, सिमित द्वारा या उसके सभापित या किसी अधिकारी या सेवक द्वारा पारित संकल्प या दी गयी आज्ञा के निष्दपादन या आगे निष्पादन का आदेश द्वारा निषेध कर सकती है यदि उसकी यह राय हो कि वह संकल्प या आज्ञा लोक—िहत के प्रतिकूल है अथवा उससे किसी मण्डी—क्षेत्र, प्रधान मण्डी स्थल या उपमण्डी स्थल में कारोबार के दक्षतापूर्वक चलाने में बाधा पड़ने की सम्भावना है अथवा वह इस अधिनियम अथवा तद्धीन बनाये गये नियमों या उपविधियों के उपबन्धों के विरूद्ध है।
- (2) यदि उपधारा (1) के अधीन दिये गये आदेश द्वारा किसी संकल्प या आज्ञा का निष्पादन या आगे निष्पादन निषिद्ध किया जाये और वह आदेश प्रचलित हो तो {परिषद} विद्या एसी अपेक्षा की जाने पर समिति का यह कर्त्तव्य होगा कि वह कोई ऐसी कार्यवाही करे, जिसे करने का अधिकार समिति को संकल्प न पारित किये जाने या आज्ञा न दिये जाने की दशा में होता और जो सभापित या उसके किसी अधिकारी या कर्मचारी को ऐसे संकल्प या आज्ञा के अधीन किसी काम को करने या उसके जारी रखने को रोकने के लिए आवश्यक हो।

समिति द्वारा पारित संकल्प या दी गयी या आज्ञा के निष्पादन करने का (परिषद्) के अधिकार

उ०प्र० अधिनियम संख्या ३०, १९७४ द्वारा पुनः अधिनियमित राष्ट्रपति अधिनियम सं० १३, १९७३ की धारा २१ द्वारा प्रतिस्थापित।

^{2.} उपर्युक्त की धारा 22 द्वारा प्रतिस्थापित।

उपर्युक्त की धारा 23 द्वारा प्रतिस्थापित।

धारा 32-34}

32— {परिषद्}² किसी भी समय समिति द्वारा दिये गये किसी निर्णय या आज्ञा की वैधता या औचित्य के संबंध में अपना समाधान करने के प्रयोजन से समिति की कार्यवाहियां मंगा सकती है और यदि उसकी यह राय हो कि समिति का निर्णय या उसकी आज्ञा परिकृष्त या रद्द होनी चाहिये या उल्टी जानी चाहिए तो {परिषद्}² उस पर ऐसी आज्ञा दे सकती है, जो वह उचित समझे।

समिति की कार्यवाहियां मंगाने और उन पर आज्ञा देने के (परिषद्) के अधिकार

{33— परिषद् विनियमों द्वारा, ऐसी शर्तों और निबन्धनों के अधीन रहते हुए और ऐसी रीति से, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाय, अपनी कोई शक्ति निदेशक को प्रतिनिहित कर सकती है। शक्तियों का प्रत्यायोजन

33-क-- (1) जहां निदेशक का, उसकी की गई किसी शिकायत पर या अन्यथा, यह समधान हो जाय कि किसी मण्डी समिति में इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अरोपित किसी कर्तव्य का पालन नहीं किया है, वहां वह उस समिति से ऐसे कर्तव्य का लान विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर करने की अपेक्षा कर सकता है।

मण्डी समितियों के कर्तव्यों का पालन सुनिश्चित करने की निदेशक की शक्तियां

- (2) यदि ऐसे कर्तव्य का पालन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर न किया जाय तो निदेशक उसे कराने के लिये किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है और यह निदेश दे सकता है कि ऐसे पालन में उपगत व्यय का, जिसके अन्तर्गत ऐसे व्यक्ति के लिए उपयुक्त पारिश्रमिक भी है, भुगतान समिति द्वारा तुरन्त किया जायेगा।
- (3) यदि ऐसे व्यय का भुगतान इस प्रकार न किया जाय तो निदेशक परिषद् से भुगतान की अपेक्षा करेगा और परिषद् इस प्रकार भुगतान की गई धनराशि को समिति से वसूल करने का हकदार होगी।
- 33—ख— (1) राज्य सरकार, अपना यह समाधान करने की दृष्टि से कि परिषद् या सिमित इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपनी शक्तियों, कृत्यों और कर्तव्यों का समुचित रूप से प्रयोग या निर्वहन करती है, आयुक्त या कलेक्टर या किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों से ऐसी रीति से, जैसी नियत की जाय, परिषद् या सिमित को किसी सम्पत्ति, कार्यालय, दरस्तावेज या किसी कार्य का निरीक्षण करने या कराने या परिषद् या सिमित के सभी या किसी कार्यकलाप की जांच करने या कराने और ऐसी जांच के परिणाम की रिपोर्ट, ऐसी अवधि के भीतर, जैसी विनिर्दिष्ट की जाय, देने की अपेक्षा कर सकती है।

राज्य सरकार की शक्तियां

(2) यथास्थिति, परिषद् या समिति ऐसे आयुक्त या कलक्टर या अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को निरीक्षण के दौरान और समुचित रूप से जांच करने के लिए सभी सुविधाएं देगी और यथास्थिति ऐसे निरीक्षण या जांच के प्रयोजन के लिए जब किसी ऐसे दस्तावेज या सूचना की मांग की जाय, जो उसके कब्जे में हो, तब उसे प्रस्तुत करेगी।}

अध्याय—6 विविध

34— (1) किसी समिति, उसके सभापति, उपसभापति, या उसके किसी सदस्य, अधिकारी या सेवक के विरूद्ध उसके द्वारा अपने आधिकारिक रूप में किये गये या किए जाने के लिये अभिप्रेत किसी कार्य के संबंध में तब तक कोई वाद प्रस्तुत न किया जायगा जब तक एक लिखित नोटिस के, जिसमें वाद—कारण हो और वादी का नाम तथा निवास—स्थान और प्रार्थित अनुतोष का उल्लेख हो, तामील किये जाने के दिनांक से दो माह न व्यतीत हो गये हों।

समिति के विघट वाद

- (2) उपधारा (1) के अधीन नोटिस -
- (1) यदि वह समिति के लिये हो तो काम के किसी भी दिन उसके कार्यालय में दिया जायगा या उसके सभापति, उपसभापति अथवा सचिव को दे दिया जायगा, अथवा रजिस्टी डाक द्वारा भेजा जायगा:

^{1.} उ०प्र० अधिनियम संख्या ३०, १९७४ द्वारा पुनः अधिनियमित राष्ट्रपति अधिनियम सं० १३, १९७३ की धारा उपर्युक्त की धारा २४ द्वारा प्रतिस्थापित।

उ०प्र० अधिनियम सं० 10 वर्ष 1991 की धारा 9 द्वारा प्रतिस्थापित।

धारा 35-36}

- (2) प्रत्येक अन्य दशा में सम्बद्ध व्यक्ति को दिया जायगा या रजिस्ट्री डाक द्वारा भेजा जायगा;
- (3) उपधारा (1) में उल्लिखित कोई वाद—कारण उत्पन्न होने के छः महीने के पश्चात् प्रारम्भ न किया जायगा जब तक वह अचल सम्पत्ति की प्राप्ति या उसके आगम की घोषणा के लिये न हो।
- (4) उपधारा (1) की किसी बात का यह अर्थ न लगाया जायगा कि वह किसी ऐसे वाद पर प्रवृत्त होती है, जिसमें प्रार्थित अनुतोष केवल व्यादेश हो, जिसका उद्देश्य नोटिस दिये जाने से या वाद अथवा कार्यवाही का प्रारम्भ स्थगित किये जाने से विफल हो जायगा।

[35— परिषद् या किसी समिति द्वारा राज्य सरकर को, या किसी समिति द्वारा परिषद् को या किसी समिति द्वारा किसी अन्य समिति को, देय कोई भी धनराशि मालगुजारी के बकाये के रूप में वसूल की जा सकती है।]1

मालगुजारी के रूप में देयों की वस्ती

[36— (1) मण्डी समिति का सचिव या राज्य सरकार या परिषद् द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी — प्रवेश करने तलाशी लेने और अभिग्रहण करने का अधिकार

- (क) इस अधिनियम के अधीन मडी समिति को आरोपित किन्हीं भी कर्त्तव्यों का पालन करने के लिये किसी भी उचित समय पर कृषि उत्पादन के क्रय और विक्रय से संबंधित सभी लेखा—बहियों, रिजस्टरों और अन्य दस्तावेजों का निरीक्षण कर सकता है और किसी ऐसे दुकान, गोदा, कारखाना, या अन्य स्थान म प्रवेश कर सकता है जहां पर ऐसी लेखाबही रिजस्टर या अन्य दस्तावेजों से ऐसी प्रतिलिपियां या उद्वरण जो आवश्यक समझे जाय, या लिवा सकता है;
- (ख) किसी लेखा—बही रिजस्टर या अन्य कारणों को अभिलिखित करते हुए अभिग्रहण कर सकता है और ऐसी लेख—बही रिजस्टर और अन्य दस्तावजे की तालिका को तैयार कर सकता है :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी तालिका की एक प्रति ऐसी लेखा–बही, रजिस्टर या अन्य दस्तावेज के प्रभारी व्यक्ति को दे जायगी;

- (ग) किसी ऐसे कृषि उत्पादन को अधिगृहीता कर सकता है, जिसके संबंध में उसे यह विशेष करने का कारण हो कि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया गया है या किया जा रहा है या किया जाने वाला है:
- (घ) किसी ऐसी गाड़ी या पशु को अभिगृहीता कर सकता है, जिसके संबंध में उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि वह ऐसे कृषि उत्पादन को ले जाने के लिये प्रयोग में है या प्रयोग में रहा है और उसे उतने समय तक निरूद्ध कर सकता है, जो इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही या अभियोजन के संबंध में आवश्यक हो :

प्रतिबन्ध यह है कि किसी ऐसे कृषि उत्पादन, गाडी, या पशु को अभिग्रहीत करने वाला व्यक्ति अभिगहण की रिपोर्ट तुरन्त उस मजिस्ट्रेट को देगा जिसका इस अधिनियम के अधीन अपराध पर विचारण करने का क्षेत्राधिकार हो और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 457, 458 और 459 के उपबन्ध, यथाशक्य, उपर्युक्त अभिगृहीत कृषि उत्पादन गाड़ी या पशु के सम्बन्ध में उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे किसी पुलिस अधिकारी द्वारा अभिगृहीत सम्पत्ति पर लागू होते है :

(धारा 37-37क)

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि किसी ऐसे कृषि उत्पादन, गाड़ी, या पशु को अभिगृहीत करने के आधार की संसूचना उस व्यक्ति को जिसके पास से वह अभिगृहीत किया गया हो और उस मजिस्ट्रेट को, जिसका इस अधिनियम के अधीन अपराधों पर विचारण करने का क्षेत्राधिकार हों, अभिग्रहण किये जाने के चौबीस घंटे के भीतर लिखित रूप में दी जायगी।

(2) तलाशी लेने और अभिग्रहण से सम्बन्धित दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 100 के उपबन्ध यथाशक्य, इस धारा के अधीन दी गई तलाशी और अभिग्रहण पर लागू होंगे।}1

अधिनियम सं0 2 वर्ष 1974

शास्ति

[37—— (1) कोई व्यक्ति, जो धारा 9 या धारा 10 के या उसके अधीन बनाये गये नियमों या उपविधियों के किसी उपबन्ध का उल्लंघन करता है, सिद्ध दोष होने पर ——

(क) प्रथम अपराध के लिए जुर्माना से, जो पांच हजार रूपये तक हो सकता

(ख) उसी प्रकार के द्वितीय और किसी अनुवर्ती अपराध के लिए कारावास के दण्ड से, जो एक वर्ष तक हो सकता है या जुर्माना से, जो दस हजार रूपये तक हो सकता है या दोनों से और उल्लंघन जारी रहने की स्थिति में अग्रत्तर जुर्माना से, जो दूसरी दोषसिद्धि या किसी अनुवर्ती दोषसिद्धि के दिनांक के पश्चात् प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, जिसमें उल्लंघन जारी रहे, एक हजार रूपये तक हो सकता है,

दण्डनीय होगाः

훙.

प्रतिबन्ध यह है कि यदि कोई विशेष और पर्याप्त प्रतिकूल कारण, जो न्यायालय के निर्णय में उल्लिखित किया जायगा, न हो तो प्रथम अपराध के लिए जुर्मानो दो सौ पचास रूपये से कम और द्वितीय या अनुवर्ती अपराध के लिए पांच सौ रूपये से कम न होगा।

- (2) कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों या उपविधियों के किसी उपबन्धों का, धारा 9 और 10 और इसके अधीन बनाये गये नियमों और उपविधियों के उपबन्धों को छोड़कर, उल्लंघन करता है तो वह जुर्माना से जो दो हजार रूपये तक हो सकता है, दण्डनीय होगा और उल्लंघन जारी रहने की स्थिति में प्रथम बार सिद्ध दोष होने के दिनांक के पश्चात् प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, जिसमें उल्लंघन जारी रहे, दो सौ रूपये के अग्रत्तर जुर्माना से दण्डनीय होगा।
- (3) जब कभी कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध किया जाय, तब मिजस्ट्रेट किसी जुर्माना के अतिरिक्त, जो आरोपित किया जाय, इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों और उपविधियों के अधीन उसके द्वारा देय फीस की धनराशि या अन्य कोई धनराशि सरसरी तौर पर वसूल करेगा और मण्डी समिति को भुगतान करेगा और स्वविवेकानुसार अभियोजन का व्यय भी सरसरी तौर से वसूल कर सकता है और मण्डी समिति को भुगतान कर सकता है।}²

[37—क—— (1) कोई मण्डी समिति या उसकी उपसमिति का समिति के किसी संकल्प द्वारा प्राप्त अधिकार से उसका सभापित किसी व्यक्ति से, जिसने कोई ऐसा अपराध किया हो या जिसके सम्बन्ध में ऐसा अपराध करने का युक्तियुक्त सन्देह हो, जो इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय है, उसने प्राप्य फीस या अन्य धनराशि के अतिरिक्त, शमन फीस के रूप में [बीस हजार] रूपये से अनिधक की धनराशि स्वीकार कर सकता है और अपराध का शमन कर सकता है।

अपराध का शमन

^{1.} उ० प्र० अधिनियम सं० ६, १९७७ की धारा १७ द्वारा प्रतिस्थापित।

^{2.} उ० प्र० अधिनियम सं० ४, 1999 की धारा 5 द्वारा प्रतिस्थापित।

उपर्युक्त की धारा 6 द्वारा प्रतिस्थापित।

धारा 38-39क}

- (2) उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध का शमन किये जाने पर ऐसे अपराध से सम्बन्धित व्यक्ति के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जायगी न जारी रखी जायेगी और यदि उस अपराध के सम्बन्ध में किसी न्यायालय में उसके विरूद्ध कोई कार्यवाही और यदि उस अपराध के सम्बन्ध में किसी न्यायालय में उसके विरूद्ध कोई कार्यवाही पहले से ही संस्थित की गई हो तो उक्त शमन के प्रभाव से, वह दोषमुक्त हो जायगा।}3
- 38—— (1) इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध पर ऐसे न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया जायगा, जो प्रथम श्रेणी के मैजिस्ट्रेट के न्यायालय से निम्न श्रेणी का हो।

अपराधों पर विचार

- (2) जब तक निदेशक या सचिव या किसी ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा, जिसे समिति ने तदर्थ संकल्प पारित करके प्राधिकृत किया हो, परिवाद प्रस्तुत न किया जाय, तब तक कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी भी अपराध का संज्ञान न करेगा।
- 39—— (1) मण्डी समिति, इस अधिनियम और तद्धीन बनाये गये नियमों से असंगत न होते हुए निम्नलिखित की व्यवस्था के लिये उपविधियों बना सकती है: —

उपविधियां

- (1) अपने कार्यों का विनियमन ;
- (2) धारा 17 के खण्ड (7) के अधीन नियुक्त की जाने वाली उपसमिति, यदि कोई हो, की नियुक्ति उसके अधिकार, कर्त्तव्य और कृत्य;
 - (3) व्यापारियों, आढितयों, दलालें, तोलकों और पल्लेदारों के कर्त्तव्यों; और
- (4) कोई अन्य विषय, जिसकी व्यवस्था इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन उपविधियों द्वारा की जानी अपेक्षित हो :

[प्रतिबन्ध यह है कि उस उपविधि से, [परिषद्]² द्वारा सुझाई गई प्रारूप या प्रतिमान उपविधि को अंगीकार करके बनाई गई हो, भिन्न कोई उपविधि तब तक वैध न होगी जब तक कि वह [परिषद्]² द्वारा अनुमोदित न कर दी जाय।]¹

- (2) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी विषय के संबंध में, समिति ने कोई उपविधियां नहीं बनायी है अथवा यदि समिति द्वारा बनायी गयी उपविधियां, {परिषद} की राय में पर्याप्त नहीं है तो {परिषद} उपविधियां बना सकती है, जिसमें ऐसे विषयों की उस प्रकम तक व्यवस्था होगी, जो वह उचित समझे।
- {(3) इस धारा के अधीन उपविधियों बनाने की शक्ति का प्रयोग राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त जारी किये गये किन्हीं सामान्य या विशेष निदेशों के अधीन रहते हुए किया जायगा।}⁴

[39—क—— प्रत्येक थोक व्यापारी या आढ़ितया प्रत्येक वर्ष तीस अप्रैल के पूर्व मण्डी सिमित की पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान उसके द्वारा या उसके माध्यम से किये गये निर्दिष्ट कृषि उत्पादन के क्रय और विक्रय का विवरण ऐसे प्रपत्र में और ऐसी रीति से और ऐसी अन्य विशिष्टियां उपवर्णित करते हुए, जैसी कि उपविधियों में निर्दिष्ट की जायें, प्रस्तुत करेगा।

क्रय और विक्रय का विवरण प्रस्तुत करना

स्पष्टीकरण—— इस धारा के प्रयोजन के लिए ''पूर्ववर्ती वर्ष'' का तात्पर्य ऐसे वित्तीय वर्ष से है, जो उस वर्ष के ठीक पूर्ववर्ती हो, जिसमें ऐसा विवरण प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित हो।}⁵

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10, 1970 की धारा 10 द्वारा प्रतिस्थापित और सदैव से प्रतिस्थापित समझी जाय।

^{2.} उठप्रठ अधिनियम संख्या ३०, १९७४ द्वारा पुनः अधिनियमित राष्ट्रपति अधिनियम संठ १३, १९७४ की धारा १० (एक) (क) द्वारा अन्तःस्थापित।

^{3.} उ० प्र० अधिनियम सं० ६, १९७७ की धारा १९ द्वारा अन्तःस्थापित।

^{4.} उ० प्र० अधिनियम सं० 19, 1979 की धारा 5 द्वारा बढ़ाया गया।

^{5.} उ०प्र० अधिनियम सं० ४ वर्ष 1999 की धारा ७ द्वारा प्रतिस्थापित।

(धारा 40)

40— $\{(1)$ राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, नियम बना सकती है। $\}^1$

नियम

- (2) विशेष रूप से और पूर्वोक्त अधिकारों की व्यापकता पर विपरीत प्रभाव डाले बिना, नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों की व्यवस्था की जा सकती है –
 - (1) समिति के सदस्यों के निर्वाचन का संचालन और उससे सम्बद्ध मामले, जिनके अन्तर्गत मतदाताओं की सूची तैयार करना और उसका पुनरीक्षण और समिति के संघटन से सम्बद्ध अन्य विषय भी है;
 - (2) किसी समिति के सभापति, उपसभापति या अन्य सदस्यों के पद की रिक्त की पूर्ति;
 - (3) समिति के सभापति, उपसभापति का निर्वाचन ;
 - (4) समिति की बैठकों से सम्बद्ध प्रक्रिया, जिसके अन्तर्गत गणपूर्ति भी है;
 - (5) यात्रा-भत्ता तथा अन्य भत्ते, जो किसी समिति के सदस्यों को दिये जायें;
 - (6) समिति तथा उसके सभापति, सदस्य, अधिकारियों और सेवकों के कृत्यों, अधिकारों और कर्त्तव्यों से सम्बद्ध मामले;
 - (7) लाइसेंस शुल्क और मण्डी–शुल्क, जो समिति द्वारा लगाये तथा वसूल किये जा सकते है और उनकी वसूली की रीति ;
 - (8) इस अधिनियम के अधीन लाइसेंसों के जारी किये जाने और उनके नवीकरण की शर्तें ;
 - (9) इस अधिनियम के अधीन मतभेदों और विवादों को निपटाने के सम्बन्ध में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ;
 - (10) रीति, जिसके अनुसार इस अधिनियम के अधीन समिति द्वारा दिये किये जाने वाले निर्माण–कार्य के लिए नक्शे और प्राक्कलन तैयार किये जायेंगे तथा स्वीकृति या अनुमोदन के लिये प्रस्तुत किये जायेंगे;
 - (11) समिति द्वारा रखे जाने वाले रजिस्टर तथा पुस्तिकाएं;
 - (12) प्रपत्र, जिसमें समिति के लेखे रखे जायेंगे, रीति जिसके अनुसार उनकी लेखा—परीक्षा की जायगी, और वह समय अथवा वे समय जब वे प्रकाशित किये जायेंगे;
 - (13) किसी समिति द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले प्रतिवेदनों और विवरणियों के प्रपत्र तथा उनमें उल्लिखित किये जाने वाले ब्योरे;
 - (14) सिमति की अधिशेष निधियों के विनियोजन और उनका निस्तारण करने की रीति;
 - {(14-क) उत्तर प्रदेश राज्य मण्डी विकास निधि में जमा करने, उससे निकालने और उसके अनुरक्षण और उपयोग की रीति;}²
 - (15) मण्डी—क्षेत्र में प्रयोग किये जाने वाले बाट तथा माप और तौलने तथा मापने के यंत्रों का निरीक्षण करने से सम्बद्ध विषय;
 - (16) व्यापारिक परिव्यय, जो प्रधान मण्डी—स्थलों या उप—मण्डी—स्थलों में निर्दिष्ट कृषि—उत्पादन के किसी सौदे में किसी व्यक्ति प्राप्त किये जा सकेगें;
 - (17) निर्दिष्ट-कृषि-उत्पादन का वर्गीकरण और मान-स्थापन;

^{1.} उ० प्र० अधिनियम सं० २० वर्ष 1984 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित।

^{2.} उ० प्र० अधिनियम सं० १० वर्ष १९९१ की धारा ११ द्वारा प्रतिस्थापित।

- (18) व्यापारियों, द्वारा निर्दिष्ट कृषि-उत्पादन की मूल्य-सूची रखना;
- (19) रीति, जिसके अनुसार मण्डी—क्षेत्र में निर्दिष्ट कृषि—उत्पादन की बिकी या उसका नीलाम किया जायगा और बोलियां लगायी जायेंगी तथा उन्हें स्वीकार किया जायगा;
- (20) शर्तें, जिनके अधीन समिति किसी सम्पत्ति को पट्टे पर दे सकती है, बेच सकती है या अन्य रूप से उसका हस्तान्तरण कर सकती है;
- (21) समिति की ओर से संविदा करने के लिये प्राधिकार और उसे करने की रीति;
- (22) समिति के अधिकारियों और सेवकों के नियोजन की शर्ते और ऐसे अधिकारियों तथा सेवकों के अनुशासन, नियंत्रण, दण्ड, पदच्युति, सेवान्मुक्ति, तथा हटाये जाने से सम्बद्ध विषय;
- (23) इस अधिनियम के अधीन अपील सुनने और उनका निस्तारण करने की प्रक्रियाः
- (24) दलालों, आढ़तियों या व्यापारियों द्वारा कृषकों को दी जाने वाली अग्रिम राशियों का, यदि कोई हो, विनियमन;
 - (25) विवाचन और अपीलों का शुल्क ;
- (26) व्यापारियों, आढ़तियों, दलालों और तोलकों द्वारा लेखा—पुस्तिकाओं का रखा जाना, उनका प्रस्तुत किया जाना तथा निरीक्षण ;
- (27) नमूना बनाने, विक्रय, क्रय, तुलाई और सौदों को अभिलिखित करने के समय, स्थान तथा रीति और भुगतान करने का ढ़ंग ;
- (28) मण्डी—क्षेत्र में लाये गये किसी निर्दिष्ट कृषि—उत्पादन का संग्रह करने के लिए स्थान की व्यवस्था ;
- (29) वार्षिक बजट तैयार करने और अनुमोदन के लिये उसे प्रस्तुत करने की प्रक्रिया;
 - (30) समितियों के कृत्य सम्पादन का निरीक्षण करने से सम्बद्ध विषय ;
- (31) दलालों का निर्दिष्ट कृषि—उत्पादन के सम्बन्ध में क्रेता और विक्रेता दोनों की ओर से किसी सौदे में काम करने का निषेध करना; {* * *}²
- {(31—क) धारा 13 की उपधारा (2) के अधीन समितियों के सदस्यों के निर्वाचन से सम्बद्ध विषय;
 - (31-ख) धारा 23-क के अधीन केन्द्रीय सेवा का संघटन;
 - (31-ग) धारा 25 के अधीन अधिकार के संबंध में प्रक्रिया;}3
- (32) कोई अन्य विषय, जो नियत किया जाना हो या नियत किया जा सकता हो।
- (3) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम, बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब उसका सत्र हो रहा हो उसके एक सत्र या एकाधिक आनुकिमक सत्रों में कुल चौदह दिन की अविध पर्यन्त रखे जायेंगे, और जब तक कोई वाद का दिनांक निर्धारित न किया जाय गजट में प्रकाशन के दिनांक से ऐसे परिष्कारों या संशोधनों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे, जो विधान मण्डल के दोनों सदन करने के लिये सहमत हों किन्तु इस प्रकार का कोई ऐसा परिष्कार या संशोधन नियमों के अधीन पहले की गयी किसी कार्यवाही की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा।

उ०प्र० अधिनियम संख्या ३०, १९७४ द्वारा पुनः अधिनियमित राष्ट्रपति अधिनियम सं० १३, १९७३ की धारा २७ द्वारा लोप किया गया।

^{2.} उपर्युक्त द्वारा पुनः अधिनियमित राष्ट्रपति अधिनियम सं० 13, 1973 की धारा 27 द्वारा अन्तःस्थापित किया गया।

(अनुसूची)

¹{अनुसूची

(धारा 2 (क) और 4 — क)

क-कृषि		
1— अन्त –		
1 - गेहूं	2 — जौ	
3 — धान	4- चावल	
5 — ज्वार	6 — बाजरा	
7 — मक्का	८ – बेझर	
9 — मंडवा	10 — जई	
11— काकुन	12 — कोदों	
ू १३— कुटकी	14 — सावां	
2–द्वि –दलीय उत्पाद –		
1 — चना	2 – मटर	
3 — अरहर 	4 – उरद	
5 — 中 ₁	6 — मसूर	
7 —लोबिया (बीज)	8 — सोयाबीन	
9 — खेसारी	10— सनई (बीज)	
11 — ढ़ेंचा (बीच)	12 — ग्वार	
13 — मोठ	14 — कुलथी	
3 – तिलहन –	2— सेहंवा (बीज)	
1— सभी प्रकार की सरसों तथा लाही, (जिसमें राई, दुवा, तारामीरा और तोरिया सम्मिलित है।)	2— सहुपा (बाज)	
त्रः, युपा, तारामारा आर तारिया सान्मालत हा) 3— अलसी	४ — अण्डी	
5— मूंगफली	6 — तिल	
7 – महुआ का गुठली 9 – बिनौला	8 – गुल्लू 10 र्क्ना	(-1)
9 — 1बनाला 4 — रेशे —	10— बर्र अथवा कुसुम	(बाज)
	2 – सनई का रेशा	
1 — जूट 4 — रूई (ओटी हुई और बिना ओटी)	2 — सन्द का रशा 4 — पटसन	
५ — ७३ (जाटा हुई जार विशा जाटा) 5 — ढैचा	४ — ५८राग 6 — रामबांस	
७ — ७५। ७ — मेस्टा	0 — रागवारा	
5 — स्वायक —		
1 – तम्बाकू		
6 – मसाले		
1 — धनियां	2 – पकी मिर्च	
3 — मेंथी (बीज)	4 — सोंठ	
5 — सौंफ	6 – हल्दी	
7 — खटाई, अमचूर	8 – जीरा	
7 – घास तथा चारा	5 -11 (1	
सूखा हुआ)		
2— भूसा		
C)		

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10, 1970 की धारा 11 द्वारा बढ़ायी गयी और सदैव से बढ़ाई गई समझी जाय।

{ अनुसूची}

८ — विविध	
1 — चौलाई (बीज)	2— पोस्ता
3 - रामदाना	4— अखरोट
5 — बान	6 — निमकौली
7 – सेलेरी का बीज	8 — अम्ब्रि बीज
	10— चिरौजी
9— महवा का फूल (सूखा)	
11 –बरसीम (बीज)	12 —ल्यूसर्न (बीज)
13 —मखाना	14-गत्रा
15 —मेस्टा बीज	
ख – उद्यान–कर्म	
1 — शाक	
1 –आलू	2— प्याज
3 —लहसन	4— शकरकन्द
5 — अरवी	6— अदरक (हरी)
7 — कचालू	8 – मिर्च
9 — टमाटर	 10 —बंद गोभी, फूल गोभी, गांठ गोभी
11—गाजर	12— मूली
13— बैंगन	12 रूसा 14 – टिन्डा
15 —लौकी	14 - हिरी 16 - हरी मटर
	18 — घरवल 18 — परवल
17 —शलजम 19 —सेम	
	20 — साग (सब प्रकार के)
21 —पान 22 जनान	22— चुकन्दर 24 — जिमीकन्द
23 — रतालू 25 — सम्बन	
25 —सलाद	26 —सोया
२७ –कटहल (कच्चा)	28 — ककड़ी —खीरा
29 –चिचिण्डा	30 — करेला
31 —तरोई	32— पेठा
33 —भिन्डी	34 —कद्दू
35 − ¹ वार	36 — इमली
37 — बण्डा	38 —सिंघाड़ा
39 — लोबिया (हरी)	
2 — फल	
1 — नींबू	2— नारंगी
3 — मुसम्बी	4— माल्टा
5— ग्रेप फूट	6 — केला
7 – अनार	8 – स्ट्रावेरी
१ – खरबूज	
	10 —तरबूज 12 —पपीता
11 –ਯੂਟ	
13 —फालसा	14— पोस्ता
15 —सेब	16 —अम्रूद
17 —बेर	18 —आंवला
19 — लीची	20 —चिकू
21 –आडू	22 —लोकाट
23 —बेल	24 —अनत्रास
25 —आम	26 —आलू—बुखारा
27 –अंजीर	28 –कटहल (पका)
29 —कमरख	30 –करोंदा
31 —खजूर	32 —खिरनी
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

(अनुसूची)

33 — खुबाना	34 — जामुन
35 — नाशपती व नाख	36 — शरीफ
37 — शहतूत	38 — चकोतरा
ग –द्राक्षा– कृषि–	
1 –अंगूर	
घ — मधु —मक्खी पालन—	
1 — शहद	2 -मोम
ङ –कोशकीट पालन –	
1— रेशम	
च- मत्स्य संवर्धन -	
1 — ਸछली	
छ – पशुपालन –उत्पाद	
1 — कुक्कुट	2 — अण्डा `
३ – पशु	4— भेड़
5 — बकरी	6 — मक्खन
7 — घी	8 – खोया
9— पनीर	10- दूध
11 –चमड़ा और खाल	12 –हड्डी
13— गोश्त	14 —सुअर का बाल
15 — ऊन	
ज –वन उत्पाद –	_
1 - गोंद	2 — लकड़ी
3 — तेन्दु की पत्ती	4 — लाख
5 — रीटा	6 — कत्था

THE UTTAR PRADESH KRISHI UTPADAN MANDI ADHINIYAM, 1964¹ [U.P. ACT No. XXV OF 1964]

Amended by-

U. P. Act no. 10 of 1970

President's Act no. 13 of 1973 (as re-enacted with modifications by U.P. Act no. 30, 1974).

[Passed in Hindi by the Uttar Pradesh Legislative Assembly on August 7, 1964 and by the Uttar-Pradesh Legislative council on September 8, 1964.

Received, the assent of the President on October 28, 1964, under Article 201 of 'the Constitution of India' and was published in the Uttar Pradesh Gazette, Extraordinary, dated November 10, 1964.]

AN ACT

to provide for the regulation of sale and purchase of agricultural produce and for the establishment, superintendence and control of markets therefor in Uttar Pradesh.

It is hereby enacted in the Fifteenth Year of the Republic of India as follows:-

CHAPTER I Preliminary

Short title and extent

1.

- (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Adhiniyam, 1964.
 - (2) It extends to the whole of Uttar Pradesh.
- Definitions
- 2. In this Act, unless there is anything repugnant in the subject or context:
 - [(a) "agricultural produce" means such items of produce of agriculture, horticulture, viticulture, apiculture, sericulture, pisciculture, animal husbandry or forest as are specified in the Schedule, and includes admixture of two or more of such items, and also includes any such item in processed form, and further includes gur, rab, shakkar, khandsari and jaggery; 1²
 - [4(a-l) "Board" means the State Agricultural Produce Markets Board constituted under section 26-A;]³
 - (b) "broker" or "Dalal" means a person who, in the ordinary course of business, negotiates or arranges contracts for the purchase or sale of agricultural produce, on behalf of his principal on payment of commission or remuneration, whether in cash or kind, but does not include the servant of such principal whether engaged in negotiating or arranging such contracts;
 - (c) "bye-laws" means by-laws made in accordance with the provisions of section 39;
 - (d) "Central Warehousing Corporation" means the Central Warehousing Corporation established or deemed to be established under the Warehousing Corporations Act, 1962;
 - For Statement of Objects and Reasons, see Uttar Pradesh Gazette, Extraordinary, dated December 10, 1983.
 - 2. Subs. and be deemed always to have been subs, by Section 2 of U.P. Act no. 10, 1970.
 - 3. Ins. by section 2(i) of President Act No. 13 of 1973 as re-enacted by U.P. Act no. 30 of 1974.
 - 4. Renumbered by item 2(b) of the Schedule of U.P. Act No. 30 of 1974.

[Section

- $[(d-1)^3]$ "Collector", in relation to a Committee for a Market area means the Collector of the District where the Principal Market Yard of that Market Area 'is situated, and includes such other officer as may be authorized by him in that behalf;] 1
- (e) "commission agent" or "Aarhatiya" means a person who, in the ordinary course of business, makes or offers to make, a purchase or sale of agricultural produce, on behalf of the owner or seller or purchaser of agricultural produce, for Arhat or commission;
- [(ee) 'wholesale transaction' in relation to any specified agricultural produce means sale and purchase of that produce exceeding such quantity as a market committee may specify in its bye-laws to be the limit of retail sale;]⁶
 - (f) "Committee" means a Committee constituted under this Act;
- (g) "Co-operative Marketing Society" means a co-operative society of producers [registered or deemed to be registered under the Uttar Pradesh Co-operative Societies Act, 1965]⁴, which has, as its principal object, the promotion of sale or purchase of agricultural produce;
- [(h) "Director" means an officer appointed by the State Government as Director of Mandis and includes any other officer authorized by the Director to perform all or any of his functions under this Act;]²
- [(h-1) Director of Elections means an officer appointed by the State Government in this behalf by general or special order, and includes any other officers authorized by the Director of Elections to perform all or any of his functions under this Act;]⁵
 - (i) "licensee" means a person who is granted a licence under this Act;
- [(j) "Local Body" means a Nagar Nigam, Nagar Palika Parishad, Nagar Panchayat or Gram Panchayat constituted or established under any Act for the time being in force in Uttarakhand;]⁷
- (k) "Market Area" means an 'area notified as such under Section 6 or as modified under section 8:
 - (l) "member" means a member of the Committee;
- [(1-1) "Other Backward Classes of Citizens" means other backward classes of citizens specified in Scheduled-1 of the Uttarakhand [The Uttar Pradesh Public Service (Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes Reservation) Act, 1994, Adaptation and Modification Order, 2001;]⁸

^{1.} Ins. by section 2(ii) of President Act No. XII of 1973 as re-enacted by U.P. Act No. 30, 1974.

^{2.} Subs. by section 2 (iii) ibid.

^{3.} Renumbered by items of 2(b) of the Schedule of U.P. Act No. 30, 1974.

^{4.} Subs. by section 2 (a) of U.P. Act No. 6 of 1977.

^{5.} Ins. by section 2 (b) ibid.

^{6.} Subs. by section 2 (ii) U.P. Act No. 19 of 1979.

^{7.} Ins. by section 2 (a) of U.P. Act No. 6 of 2004.

8. Ins. by section 2 (b) ibid.

[The Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Act, 1964] [Section 2]

- (m) "Palledar" means a labourer engaged for "Dara- making", loading, unloading, filling, emptying or carrying any agricultural produce;
 - (n) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;
- (o) "Principal Market Yard" means the portion of a Market Area, declared as such under section 7;
- (p) "producer" means a person who, whether by himself or through hired labour, produces, rears or catches, any a agricultural produce, not being a producer who also 'works a trader, broker or Dalal, commission agent or Aarhatiya or who is otherwise ordinarily engaged in the business of storage of agricultural produce:

Provided that if a question arises as to whether any person is a producer or not for the imposes of ,this Act, the decision of the Director, made after e n enquiry conducted in such manner as may be prescribed shall be final.

- (q) "purchase" includes barter or receipt of goods by way of pledge or as security for the amount advanced;
- $[(q-1)^1]$ "Regulations" means regulations made by the Board in accordance with the provisions of section 26- x; $]^2$
- [(q-2) "retail sale" in relation to any specified agricultural produce means sail of that produce, not exceeding such quantity, as a market committee may specify in its bye laws to be the limit of retail sale;]³
- (r) 'Sale' includes barter or deposit of goods by way of pledge or as security for the amount received as advance;
 - (s) "Secretary" means the person appointed as such under section 23;
- (t) "Specified agricultural produce" means a agricultural produce specified in the notification under section 6 or as modified under section 8;
 - (u) "State Government" means the Government of Uttar Pradesh;

Act no. 58 of 1962

- (v) "State Warehousing corporation" means the State warehousing corporation for Uttar Pradesh established or deemed to be established under the Warehousing Corporations Act, 1962;
- (w) "Sub-Market Yard" means a portion of a market Area, declared as such under section 7;
- [(x) "trade-charge" means any charge, by whatever name called, which is releases or may be realized by, or may be payable to, a trader in respect of any transaction of sale or purchase of any specified agricultural produce under or purporting to be under any custom or usage of trade, or otherwise.

- 2. Ins. by section 2 (iv) of President Act No. 13 of 1973 as re-enacted by U.P. Act No. 30 of 1974.
- 3. Ins. by section 2 (i) of Act No. 19 of 1979.

[The Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Act, 1964] 2]

[Section

Explanation- Every deduction other than a deduction made on account of, deviation from sample when the purchase is made by sample or on account of deviation from standard when the purchase is made by reference to a known standard or on account of difference between actual and the standard weight or measure shall be deemed as a trade charge.]⁵

- (y) 'trader' means a person who in the ordinary course of business in engaged in buying or selling agricultural produce as a principal or as a duly authorized agent of one or more principals and includes a person, engaged in processing of agricultural produce;
- [(aa) 'village' shall have the same meaning as in the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950;]³
- (bb) 'weigh man" means a person who, in the ordinary course of business, is engaged in weighing of agricultural produce in connection with a transaction of sale or purchase thereof;

U.P. Act No. 5 of 1959

- (cc) "weighing or measuring instrument" means a weighing instrument or a measuring instrument as defined in the Uttar Pradesh Weights' and Measures (Enforcement) Act, 1959;
- (dd) "weight or measure" means commercial weight or measure or a standard weight or measure, as defined in the U. P. Weights and Measures (Enforcement) Act, 1959.
- 3. $[***]^1$

4.

4-A

5.

Repugnancy with other law

- (1) Subject to the provisions of sub-section (2), the provisions of this Act shall have effect, notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other law, custom, usage or agreement.
 - (2) The provisions of section 3 of the essential Commodities Act, 1955, and the orders made thereunder shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in this Act or in any rule, by-law or order made thereunder.

[Power to amend schedule

The State Government may by notification in the Gazette, add to, amend or omit any of the items of agricultural produce, specified in the Schedule, and thereupon the Schedule shall stand amended accordingly.]²

CHAPTER II

Market Area and Market Yards

Declaration of intention to regulate and control sale and purchase of agricultural produce in any area

(1) Where the State Government is of opinion that it is necessary or expedient in the public interest to regulate the sale and purchase of any agricultural produce in any area, [***]⁴, and for that purpose to declare that area as a Market Area, it may, by notification in the Gazette, and in such other manner as may be prescribed, declare its intention so to do, and invite objections against the proposed declaration.

- 2. Ins by section 3 of U.P. Act No. 10 of 1970.
- 3. Subs. by section 2 (c) of U.P. Act No. 6 of 1977
- 4. Omitted by section 3 ibid.
- 5. Subs. by section 3 of U.P. Act No. 7 of 1978.

[The Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Act, 1964] 6-8]

[Section

(2) Any objection under sub-section (1) may be preferred within such period as may be prescribed and shall be addressed to the Director, who shall forward the same, with his comments thereon, to the State Government.

Declaration of Market Area

6.

On the expiry of the period referred to in section 5, the State Government shall consider the objections received within the said period and may thereupon declare, by notification in the Gazette, and in such other manner as may be prescribed, that the whole or any specified portion of the area mentioned in the notification under section 5 shall be the Market Area in respect of such agricultural produce, and with effect from such date as may be specified in the declaration.

7. [(1) As soon as may be after the publication of the, notification under section 6, the, State Government may by notification in the Gazette, declare such portion of the market area as may be specified as the principal market yard and such other portions as may be specified as sub-market yard;]¹

[Provided that the whole of the Principal Market. Yard shall be located within the limits of one district only.]²

- [(2) The State Government, where it considers necessary or expedient in the public interest so to do, may, by notification
 - (a) include any area in or exclude any area from the area of a principal market yard or sub-market yard or abolish the existing Principal Market Yard or Sub-Market Yards and declare a new Principal Market Yard or Sub-Market Yards;
 - (b) declare that the whole-sale transactions of all or any of the specified agricultural produce in respect of a market area shall be carried on only at a specified place or places within its principal market yard or sub-market yards.]³

Alteration of Market Area and modification of the list of agricultural produce

- 8. (1) The State Government, where it considers necessary or expedient in the public interest so to do, may, by notification in the gazette and in such other manner as may be prescribed and with effect from the date specified in the notification ---
 - (a) include any agricultural produce in, or exclude any agricultural produce from, the list of agricultural produce specified in the notification under section 6;
 - (b) include any area in, or exclude any area from, the Market Area specified in the notification under section 6;
 - (c) divide a Market Area specified in the notification under section 6 into two or more separate Market Areas;
 - (d) amalgamate two or more Market Areas specified in the notification under section 6 into one Market Area; or
 - (e) declare that a Market Area specified in the notification under section 6 shall cease to be such area:

- 1. Subs. by section 4 U.P. Act No. 10 of 1970
- 2. Ins by section 4 of President Act No. 13 of 1973 as re-enacted by U.P. Act No. 30 of 1974.
- 3. Subs. by section 3 of U.P. Act No. 19 of 1979.

[The Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Act, 1964] [Section 9]

Provided that before action under this sub-section is taken the State Government shall invite and consider, in the prescribed manner, objections, if any, against the proposed action.

- (2) When during the term of a market committee the limits of the Market Area for which it is established are altered under, clause (b), clause (c) or clause (d) of sub-section (1), the following consequences shall, with effect from the date specified in the notification, follow:-.
 - (a) the Market Committee shall stand dissolved and its members shall vacate their offices as such members :
 - (b) a new Market Committee shall be constituted for the modified or newly created Market Area. according to the provisions of section 14;
 - [(c) all property and assets, all rights, liabilities and obligations of the dissolved Market Committee in respect of civil or criminal proceedings, contracts, agreements or any other matter or thing arising in relation to any part of the Market Area of a dissolved Market Committee shall be vested in and stand transferred to the new Market Committee having jurisdiction over that part.]¹
- (3) Where a Market Area ceases to be such area under clause (e) of subsection (1), the following consequences shall, with effect from the date specified in the notification, follow:-
 - (a) the Market Committee shall stand dissolved and its members shall vacate their offices as such members:
 - (b) the Principal Market Yard and Sub-Market Yards, if any, established therein shall cease to be such;
 - (c) the unspent balances of the Market Committee Fund and other assets and liabilities of the Market Committee shall vest in 'the State Government:

Provided that the liability of the State Government shall not extend beyond the assets so vested.

Effects of declaration of Market Area 9. (1) As from the date of declaration of an -area as Market Area no Local Body or other person shall, within the Market Area set up, establish or continue, or allow to be set up, established or continued, any place for the sale, purchase, storage, weighment or processing of the specified agricultural produce, except under and in accordance with the conditions of a licence granted by the Committee concerned, anything to the contrary contained in any other law, custom, usage or agreement notwithstanding:

Provided that, the provisions of this sub-section shall not apply to a producer in respect of agricultural produce, produced, cared, caught, or processed reared, caught or processed by him or to any person who purchases or stores any agricultural produce for his domestic consumption.

(2) No person shall, in a Principal Market Yard or any Sub- Market Yard, carryon business or work as a trader, broker, commission agent, warehouseman, weighman, palledar or in such other capacity as may be prescribed, in respect of

any specified agricultural produce except under and in accordance with the conditions of a licence obtained therefore from the Committee concerned.

1. Ins. by section 4 of President Act No. 13 of 1973 as re-enacted by U.P. Act No. 30 of 1974. [The Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Act, 1964] [Section 10-13]

[(3) The provisions of sub-sections (1) and (2) shall not apply in relation to any specified agricultural produce pledged or hypothecated in favour of a bank as security for any amount advanced by such bank.

Explanation— For the purposes of this sub-section, the word "bank" shall have the meaning assigned to it in the Uttar Pradesh Regulation of Money Lending Act, 1976.]⁴

No trade charges permissible except as prescribed by rules or bye-laws 10.

11.

- (1) As from the date to be notified by the State Government in the Gazette, [***]¹ no person shall, in a Principal Market Yard or Sub-Market Yard, levy, charge or realize, any trade charges other than those prescribed by rules or byelaws made under this Act, in respect of any transaction of sale or purchase of the specified agricultural produce and no Court shall, in any suit or proceeding arising out of any such transaction, allow in any claim or counter claim, any trade charges not so prescribed.
 - (2) All trade charges shall be payable by the purchaser.

Application of certain provisions relating to Market Yards to the remaining part of Market Area The State Government, where it considers necessary or expedient in the public interest so to do, may, by notification in the Gazette and in such other manner as may be prescribed, declare that the provisions of sub-section (2) of section 9 and the provisions of section 10 shall also apply to the whole or any part of the Market Area outside the Principal Market Yard and Sub-Market Yards as may be specified in the notification and thereupon the said provisions shall, With effect from the date specified in the notification apply accordingly, and the remaining provisions of this Act relating to a Principal Market Yard or Sub-Market Yards shall also, with effect from the same date, *mutatis mutandis*, apply to the area so specified.

CHAPTER III

Market Committee

Establishment and incorporation of Committee 12. (1) For every Market Area there shall be a Committee to be called the Mandi Samiti of that Market Area, which shall be a body corporate having perpetual succession and an official seal and, subject to such restrictions or qualifications, if any, as may be imposed by this or any other enactment, may sue or be sued in its corporate name and acquire, hold and dispose of property and enter into contracts:

Provided that the Committee shall not transfer any movable property except in accordance with a resolution duly passed at any of its meetings by a majority of not less than three-fourths of the total number of its members and with the previous approval in writing of [the Board].²

Act no. 1, 1894

(2) The Committee shall be deemed to be a local authority for the purposes of Land Acquisition Act, 1894 [and any other law for the time being in force.]³

- Ins. by section 4 of President Act No. 13 of 1973 as re-enacted by U.P. Act No. 30 of 1974.
- 3. Ins. by section 6(ii) ibid.
- 4. Subs. by section 4 of U.P. Act No. 7 of 1978.

[The Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Act, 1964] 13]

[Section

Constitution of the Committee

- 13. [(1) A committee, other than the first Committee constituted under section 14, shall consist of the following members possessing such qualifications as may be prescribed-
 - (i) one representative of each of the local bodies, other than the [Zilla Panchayat, Kshettra Panchayat and Gram Panchayat]¹, exercising jurisdiction over the Principal Market Yard or sub-Market Yard, or part of either;
 - (ii) one representative of the Co-operative Marketing Societies holding licence for transacting business in the Market Area;
 - (iii) one nominee of the Food Corporation of India if his holding a licence for transacting business in the Market Area;
 - (iv) one nominee of the Central Warehousing Corporation if it runs a warehouse in the Market Area;
 - (v) one nominee of the State Warehousing Corporation if it rum a warehouse in the Market Area;
 - (vi) one representative of commission agents carrying on business in the Market Area and holding licence therefor under this Act;
 - (vii) following number of representatives of trader carrying business in the Market Area and holding licence therefor under this Act;
 - (a) one if the Market Area covers not more than 20 Nyaya Panchayats;
 - (b) two, if the Market Area cover a more than 20 Nyaya Panchayats;
 - (viii) following number of producers of the Market Area:-
 - (a) if the Market Area covers not more than 20 Gram Panchayats, five, out of which—
 - (one) One from Scheduled Castes or Scheduled Tribes;
 - (two) One from Other Backward Classes of the Citizens; and
 - (Three) One woman who does not belong to the Scheduled Caste, Scheduled Tribes and Other Backward Classes of Citizens.
 - (b) if the Market Area covers more than 20 but not more than 30 Gram Panchayats, seven, out of which—
 - (one) One from Scheduled Castes or Scheduled Tribes;
 - (two) One from Other Backward Classes of the Citizens;
 - (Three) One woman who does not belong to the Scheduled Caste, Scheduled Tribes and Other Backward Classes of Citizens; and
 - (four) One woman who belongs to Scheduled Caste or Scheduled

Tribe.

1. Substituted by section 3 of U.P. Act No. 06 of 2004.

[The Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Act, 1964] [Section 13]

- (c) if the Market Area covers more than 30 but not more than 40 Gram Panchayats, nine, out of which—
 - (one) One Scheduled Castes or Scheduled Tribes;
 - (two) One from Other Backward Classes of the Citizens;
 - (Three) Two woman who does not belong to the Scheduled Caste, Scheduled Tribes and Other Backward Classes of Citizens; and
 - (four) One woman who belongs to Scheduled Caste or Scheduled Tribe.
- (d) if the Market Area covers more than 40 Gram Panchayats, eleven, out of which—
 - (one) Two Scheduled Castes or Scheduled Tribes;
 - (two) One from Other Backward Classes of the Citizens;
 - (three) Two woman who does not belong to the Scheduled Caste, Scheduled Tribes and Other Backward Classes of Citizens;
 - (four) One woman who belongs to Scheduled Caste or Scheduled Tribe; and
- (five) One woman from Backward Classes of the Citizens.]¹ to be elected by-
- (w) Pradhans of the [Gram Panchayat]¹ giving jurisdiction over any part of the Market Area;
- (x) such members of the House of the People and of the State Legislative Assembly as are elected from a constituency comprising the market area or part thereof;
- (y) the members of the [Zila Panchayat]¹ exercising jurisdiction over the market area or part thereof;
- (z) such members of the Rajya Sabha [***]² and Adhyakshas of [Zila Panchayat]¹ and such Pramukhs of the Kshettra Panchayat]¹ as are residents of a place Within the market Area;

Explanation— The place of residence shall be deemed to be the same as mentioned in the notification of their election as such member, Adhyaksha or Pramukh, as the case may be:

Provided that in cases referred to in clause (x) or clause (y) where the constituency comprises, or as the case may be, the [Zila Panchayat]¹ exercise jurisdiction over more than one market areas, the right of vote shall be exercised in relation to such market area as is indicated by such member within such time and in such manner as may be prescribed;

[Provided further that reservation for Scheduled Castes and Scheduled

Tribes seats under this clause shall not be applicable after the expiration of the specified in Article 334 of 'the Constitution of India';]¹

- 1. Substituted by section 3 of Uttarakhand Act No. 06 of 2004.
- 2. Omitted by section 4 ibid.

[The Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Act, 1964]

[Section

- (ix) two Government officials nominated by the State Government of whom one shall be a representative of the Agriculture Marketing Department and the other of the Food and Civil Supplies Department.
- (2) (i) The qualifications of persons eligible for election under clauses (i), (ii), (vi), (vii) and (viii) of sub-section (1) and the manner of their election and the delimitation of the constituencies therefor, shall be such as may be prescribed;
- (ii) The Director of Elections shall have general superintendence and control over the elections under this Act.
- (3) The nomination of the members under clauses (iii), (iv), (v) and (ix) of sub-section (1) shall be made in such manner and within such period as may be prescribed,
- (4) The name of every member elected or nominated under sub-section (1) shall be registered with the Director within twenty- one days of the election or nomination, as the clause may be.
- (5) A member elected under clauses (i), (ii), (vi), (vii) or (viii) of sub-section (1) shall cease to be member on his ceasing to be eligible for election as such:

Provided that a member elected under clause (iii) or clause (vi) or clause (vii) of sub-section (1) shall not cease to be a member for the reason merely of his ceasing to hold a licence, if he has moved an application for renewal of the licence within the time prescribed therefor and the same has not been rejected.

- (6) The Director shall, as soon as may be, publish by notification in the Gazette, the names and addresses of the persons elected, or nominated and also notify the date on which the Committee has been duly Constituted which shall not be earlier than the date on which the names of at least three-fourths of its members have been so published.
- (7) The Committee constituted under sub-section (6) shall elect its Chairman and Vice-Chairman from amongst its [elected members]¹ in the manner prescribed.
- (8) The term of office of the members of the Committee shall commence from the respective dates of publication of their names under sub-section (6) and shall, save as otherwise provided, expire on the expiration of a period of five years from the date of the constitution of the Committee notified under sub-section (6):

Provided that the State Government, where it considers necessary or expedient so to do, in public interest flay, by notification, extend the term of the Committee for a total period of two years but at a time the period of extension shall not exceed one year.

(9) The term of office of the Chairman or the Vice-Chairman shall commence from the date of his having taken oath administered by the Collector or his nominee and shall, save as otherwise provided for in this Act, expire with the term of their membership of the Committee.

(10) No proceeding, or act done by or on behalf of the Committee shall be questioned on the ground of want of any qualifications, or defect in the election or nomination of any person as Chairman, Vice-Chairman or Member of the Committee, or on the ground of any vacancy, or any other defect in the constitution of the Committee.

1. Subs by section 2 of Uttarakhand Act No. 06 of 2004.

[The Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Act, 1964] 13A-14]

[Section

- (11) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) or sub-section (2), where a member is not duly elected within the prescribed period, the State Government may appoint any suitable person falling in that class as member of the committee.]²
- [(12) Notwithstanding anything contained in the above provisions of this section, the State Government may appoint, by notification the Collector of concerning district by name or by office "as Administrator" with prospective or retrospective effect, as it may think fit, for a period of six months for one time and not exceeding total two years or until the constitution of an elected Mandi Samiti, whichever is earlier, in relation to the existing market area on the date of such completing of the tenure of that Mandi Samiti subject to the following provisions; namely:-
 - (a) except as provided in clause (b), all powers, functions and duties of a Market Committee shall be exercised, performed and discharged by the Administrator to be nominated by the State Government;
 - (b) the Administrator shall not transfer or acquire any immovable property without prior permission of the State Government;
 - (c) the State Government may from time to time by notification make such incidental and consequential provisions, prescribing the manner in which the Administrator shall exercise its powers under this sub-section;
 - (d) every notification issued under this sub-section shall, as soon as may be after it is issued, be laid before the State Legislative Assembly.]⁴

[Elections 13-A Petitions

- (1) No election under this Act shall be called in Election question except by a petition presented to such authority within such time as may' be prescribed.
- (2) Any party aggrieved by an order of the prescribed authority upon a petition under sub-section (1), may within thirty days from the date of such order prefer a revision to the District Judge.
- (3) The provisions of section 12-C of the Uttar Pradesh Panchayat Raj Act,1947, shall *mutatis mutandis* apply to election petitions under sub-section (1) and where anything is required to be prescribed under section 12-C of that Act similar thing may be prescribed in the rules framed under this Act.

(4) The decision of the prescribed authority, subject to any order passed by the revising authority under this section, and every decision of the revising authority passed under this section shall be final.]³

Constitution of first committee or new committee 14. [(1) The State Government shall, by notification in the Gazette, appoint all the members of the First Committee, or of a new Committee mentioned in clause (b) of sub-section (2) of section 8, including the Chairman and the Vice-Chairman, from amongst tile persons who, in the opinion of the State Government, are suitable to represent the different interests referred to in sub-section (1) of section 13.]¹

- 1. Subs. and be deemed always to have been substituted by section 7 of U.P. Act No. 10 of 1970.
- 2. Subs. by section 5 of U.P. Act No. 6 of 1977.
- 3. Subs. by section 6 ibid.
- 4. Added by section 2 of Uttarakhand Act No. 05 of 2011.

[The Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Act, 1964]

[Section 14A-15]

- (2) The term of the First Committee shall be one year from the date of its constitution under sub-section (1), but the State Government may, in the public interest, extend or further extend its term, so however that 'the extended or further extended term shall come to an end on the date of the constitution of the Committee under section 13.
- (3) The term of office of the members of the First Committee, including the Chairman and the Vice-Chairman, shall be for such period, not exceeding the term of the First Committee, as may be fixed by the State Government in this behalf.

[Misconduct 14-A

Provisions of section 123 Chapter -1, Part-7 of the People Representation Act, 1951 will be in force, with necessary modifications, for the election of Mandi Samities.

Election 14-B Offences

The Section 125, 126, 127, 127-A, 128, 129, 130, 131, 132, 132-A, 134, 134-A, 135, 135-A, 136 of Chapter 3 Part-7 of the Peoples Representation Act, 1951 will be effective as if—

the directives there in regarding elections are directions for any election organized under this Act;

the words "Chief Election Officer" in of sub clause (one) of clause (B) of sub-section (2) of the section 127-A have been replaced by the words "Director, Elections";

in section 134 and 136 the words, "By or under this Act" have been substituted by the words "Under or by the Uttarakhand (The Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Adhiniyam, 1964) Adaptation and Modification Order, 2002":

in section 135-A-

- (i) the word "Government" has been substituted by the words "Government, Parishad or any Mandi Samiti";
- (ii) In Explanation the words "this sub-section and section 20-B" has been substituted by the words "This Section".] 2

Filling of

15.

Where a vacancy occurs by reason of death, resignation or removal of a

casual Vacancies member, 01 for any other reason, it shall be filled in by a person belonging to the class to which the person ceasing to be member belonged, and the person so elected, nominated or appointed, shall be a member for the unexpired portion of the term of the member in whole vacancy he has become a member:

Provided that a vacancy for a period not exceeding six months may not be filled, if so ordered by the Director:

[Provided further that in respect of vacancies to be filled by nomination by the State Government, the first proviso shall be so construed as if for the words "the Director" the words "the State Government" were substituted.]¹

- Subs. and be deemed always to have been added by section 8 of U.P. Act No. 10 of 1970.
- 2- Subs by section 5 of Uttarakhand Act No. 06 of 2004.

[The Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Act, 1964] [Section 16]

Function and duties of the committee

- 16. (1) A Committee shall enforce the provisions of this Act, the rules and byelaws made thereunder in the Market Area, provide such facilities for sale and purchase of specified agricultural produce therein, [as may be specified in any directions given by the Board to the Committee from time to time]¹ or considered necessary by the Committee and do such other acts as may be necessary for regulating sale and purchase of specified agricultural produce in that Market Area, and for that purpose lily exercise such powers and perform such duties, and discharge such functions as may be provided by or under this Act.
 - (2) Without prejudice to the generality of the provisions contained in subsection (1) a Committee shall-
 - (i) ensure fair dealings between the producers and persons engaged in the sale or purchase of specified agricultural produce .
 - (ii) ensure prompt payment to [sellers]² in respect of specified agricultural produce sold by them in the Principal Market Yard or Sub-Market Yards;
 - (iii) grade and standardize specified agricultural produce;
 - (iv) check and verify weights, measures, weighing and measuring instruments used in the Market Area and report infringement of the provisions of the U. P. Weights and Measures (Enforcement) Act, 1959, to the authorities concerned;
 - (v) collect and disseminate all such information as may be of advantage to the producers and other persons engaged in the sale or purchase of specified agricultural produce and in particular keep itself informed of the prevailing prices of such agricultural produce at places, where it can be profitably expect ed and from where it can be economically imported in the Market Area;
 - (vi) standardize and regulate' trade . charges, market practices and customary methods of sale and purchase of specified agricultural produce;
 - (vii) provide suitable amenities in the Principal Market Yard and Sub-Market Yards to the producers and persons engaged in transactions of sale or purchase therein, and in particular to construct, repair and maintain roads, pathways, market lanes and Dye-lanes, Shops, shelters, parking places

U.P. Act No. V of 1959

accommodation for storage, and such other amenities and facilities as may be prescribed in this behalf;

- [(vii-a) provide suitable facilities, for the proper development of hats and painths in the market area and to the person engaged in transactions of sale and purchase therein;
- (vii-b) construct, repair and maintain link roads, path ways, market lanes and bye- lanes in the market area;]³
- (viii) act as mediator or arbitrator in all matters of differences and disputes between the licensees *inter se* or between them and persons entering into transactions of sale or purchase of specified agricultural produce in the Principal Market Yard or Sub-Market Yards;
- Subs by section 8 (i) of President Act No. 13 of 1973 as re-enacted by U.P. Act No. 30 of 1974.
- 2. Subs by section 8 (ii) (a) ibid.
- 3. Ins. by section 2 of U. P. Act No. 10 of 1991.

[The Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Act, 1964] 17]

[Section

- (ix) maintain proper accounts and get the same regularly audited in such manner as may be prescribed;
- (x) prepare the annual budget, wherein shall be shown the estimates of all advances, loans and grants for and the expenses to be incurred in the ensuing year, and wherein provision shall be made [for the payment of interest on or repayment of, loans raised by it from or advances made to it by, the State Government, the Board or any financial institution including a Co-operative Bank recognized as such by the State Government by general or special order (hereinafter referred to as a recognized financial institution) and submit the same for approval to the Board;]¹
- (xi) prepare plans and estimates for works proposed to be undertaken by it in the Principal Market Yard and Sub- Market Yards and for that purpose take necessary steps for the acquisition of land under the Land Acquisition Act, 1894;
- (xii) prosecute or defend any suit, action or proceedings in connection with its affairs, or for contravention of any of the provisions of this Act;
- (xiii) provide for safe custody and maintenance of its seal, account books and all other records ;
- (xiv) control and regulate admission to and use of the Principal Market Yard and Sub-Market Yards; and
 - (xv) perform such other functions and duties as may be prescribed.

Powers of the 17. Committee

A Committee shall, for the purposes of this Act, have the power to-

- (i) issue or renew licences under this Act on such terms and conditions and subject to such restrictions as may be prescribed, or, after recording reasons therefor, refuse to issue or renew any such licence;
 - (ii) suspend or cancel licences issued or renewed under this Act:

Provided that before canceling a licence except on the ground of conduct which has led to the conviction of the licensee under section 37, the Committee shall afford reasonable opportunity to him to show cause against the action proposed;

- [(iii) levy and collect----
- (a) such fees as may be prescribed for the issue or renewal of licences; and
- [(b) market fees, which shall be payable by purchasers, on transactions of sale of specified agricultural produce in the Market area at such rates, being not less than one percentum and not more than two and a half percentum of the price of the agricultural produce so sold as the state Government may specify by notification in the Gazette; and development cess which shall be payable on such transactions of sale at the rate of half per centum of the price of the agricultural produce so sold, and such fee or development cess shall be realized in the following manner—
- 1. Subs by section 8 (i) (b) of President Act No. 13 of 1973 as re-enacted by U.P. Act No. 30 of 1974.

[The Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Act, 1964] [Section 17]

- (1) if the produce is sold through a commission agent, the commission agent may realize the market fee and the development cess from the purchaser and shall be liable to pay the same to the Committee;
- (2) if the produce is purchased directly by a trader from a producer, the trader shall be liable to pay the market fee and development cess to the Committee;
- (3) if the produce is purchased by a trader from another trader, the trader, selling the produce may realize it from the purchaser and shall be liable to pay the market fee and development cess to the Committee :

Provided that notwithstanding anything to the contrary contained in any judgment, decree or order of any court, the trader selling the produce shall be liable and be deemed always to have been liable with effect from June 12, 1973 to pay the market fee to the Committee and shall not be absolved from such liability on the ground that he has not realized it from the purchaser:

Provided further that the trader selling the produce shall not be absolved from the liability to pay the development cess on the ground that he has not realized it from the purchaser;

(4) in any other case of sale of such produce, the purchaser shall be liable to pay the market fee and development cess to the Committee;

Provided, that no market fee or development cess shall be levied or collected on the retail sale of any specified agricultural produce where such sale is made to the consumer for his domestic consumption only:

Provided further that notwithstanding anything contained in this Act, the Committee may at the option of, as the case may be, the commission agent, trader or purchaser, who has obtained the licence, accept a lump sum in lieu of the amount of market fee or development cess that may be payable by him for an agricultural year in respect of such specified agricultural

produce, for such period, or such terms, and in such manner as the State Government may, by notified order specify:

Provided also that [***]³, no market fee or development cess shall be levied on transactions of sale of specified agricultural produce on which market fee or development cess has been levied in any market area if the trader furnishes in the form and manner prescribed, a declaration certificate that on such specified agricultural produce market fee or development cess bas already been levied in any other Market area;]²

- [iii-a) realise interest calculated in the manner prescribed in the bye- laws at the rate of two percent per mensem on the unpaid amount of market fee from the date immediately following the period prescribed for payment of market fee in the bye laws;]¹
- (iv) operate and utilize be Market Committee Fund for all or any of the purposes of this Act;
 - 1. Ins. by section 3 (b) of U.P. Act No. 10 of 1991
 - 2. Subs by section 2 of U.P. Act No. 4 of 1999
 - 3. Omitted by section 2 of U.P. Act No. 1 of 2000.

[The Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Act, 1964]

[Section 18-19]

- [(5) raise from the State Government or the Board or, subject to previous sanction by the Board, from any other Committee or a recognized financial institution, moneys required for discharging its functions under this Act;
- "(v-a)" advance loans to the Board on such terms and conditions as may be mutually agreed upon between the Board and the Committee;
- (v-b) advance loans to any other Committee subject to previous sanction of the Director on such terms and conditions as the Board may determine;]¹
- (vi) employ, subject to the provisions of section 23, officers and servants of the Committee;
- (vii) appoint Sub-Committees, each consisting of two or more of its members, for exercising such powers, performing such duties and discharging such functions as may be assigned to them by the Committee; and
 - (viii) exercise such other powers as may be prescribed.

[Explanation— For the purpose of clause (iii), unless the contrary is proved, any specified agricultural produce taken out or proposed to be taken out of a market area by or on behalf of a licenced trader shall be presumed to have been sold within such area and in such case, the price of such produce presumed to be sold shall be deemed to be such reasonable price as may be ascertained in the manner prescribed.]²

Contract, etc. on behalf of the committee

- 18. (1) Every contract by or on behalf of the Committee shall he made in the prescribed manner.
 - (2) No contract made by or on behalf of the Committee in contravention of the provisions of sub-section (1) shall be binding on it.
 - (3) Every order of the Committee shall be authenticated by its official seal and

the signature of the Chairman, or during his absence or incapacity, of the Vice-Chairman or, where so authorized by it, of the Secretary.

Market committee fund and its utilizations

- 19. (1) There shall he established for each Committee, a fund to be called 'Market Committee Fund' to which shall be credited al moneys received by it including all loans raised by it and advances and grants made to it.
 - (2) All expenditure incurred by the Committee in carrying out the pm poses of this Act shall be defrayed out of the said fund, and the surplus, if any, shall be invested in such manner as may be prescribed.
 - (3) Without prejudice to the generality of the provisions contained in section 16, the Committee may utilize its funds for payment of all or any of the following-
 - (i) expenses incurred in auditing the accounts of the Committee;
 - 1- Subs. by section 7 of U.P. Act No. 6 of 1977.
 - 2- Added by section 2 of U.P. Act No. 12 of 1987

[The Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Act, 1964] 19]

[Section

- (ii) salaries, pensions and allowances including allowances for leave, gratuities compassionate allowance, medical aid and contributions towards provident fund and pensions of the officers and servants employed by or for it:
 - (iii) expenses of and incidental to elections under this Act;
- [(iv) the principal amount of or interest on loans and advances referred to in clause (x) of sub-section (2) of section 16;
- (iv-a) the rent of and taxes on any land and, building in possession of the Committee; \boldsymbol{j}^1 ,
- (v) expenses on collection, maintenance, dissemination and supply of all such information as may be of interest to the producers and other persons engaged in sale and purchase of agricultural produce including that relating to crop statistics and market intelligence;
 - (vi) cost of land or buildings acquired for the purposes of this Act;
- (vii) cost of construction and repairs of buildings necessary for the Market Yards and for the health, convenience and safety of the persons using them;
- (viii) cost of maintenance, development and improvement of the Market Yards ;
- [(ix) expenses in providing facilities and comforts such as shelter, shed, parking accommodation and water for persons, draught cattle, pack animals and vehicles coming to the Market area and on agricultural improvement and development of agricultural marketing in the Market Area including the construction, maintenance and repair of link roads, culverts, bridges and other such purposes;]³

- (x) traveling and other allowances to the members of the Market Committee;
 - (xi) loans and advances to the employees of the Market Committee;
- [(xi-a) financial assistance to charitable institutions approved by the Board or recognized educational institutions, subject to a maximum of two per cent of total receipts excluding money raised under clause (v) of section 17 and grants made by Government in the previous financial year; 1² and
 - (xii) such other expenses as may be prescribed;

[Provided that the annual expenditure in respect of matters specified in clause (ii) shall not exceed ten per cent of the total annual receipts of the Committee, excluding loans raised by it and advances or grants made to it, except with the prior approval of the Board.]¹

[Provided further that all moneys realised as additional market fee under the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi (Amendment) Ordinance, 1983 shall be utilized in the Market Area only for the purposes specified in clause (ix).]⁴

- 1- Added by section 9 of U.P. Act No. 10 of 1970.
- 2- Subs by section 10 (i) (a) of president Act No. 13 of 1973 as re-enacted by U.P. Act no. 30 of 1974.
- 3- Subs by section 2 (a) of U.P. Act No. 12 of 1985
- 4- Added by section 2 (b) ibid.

[The Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Act, 1964] 19A- 19B]

[Section

- (4)(a) Every committee shall, out of its funds, pay to the State Government the cost of employment of any personnel appointed by the State Government under sub-section (3) of section 23;
- (b) The State Government shall determine the cost of employment of the personnel appointed by it and shall, where it is employed for more than one Committee, apportion the cost among the Committees concerned in such manner as it thinks fit. The decision of the State Government in this behalf shall be final.
- [(5) "Every Committee shall, out of its total receipts (excluding moneys raised under clause (v) of [section 17, money realized as development cess and grants made]⁴ by the State or Central Government) in the financial year, pay to the Board as contribution such amount not exceeding fifty percent of the first fifty lakh rupees of the receipts as the State Government may, by notification, declare from time to time, and all receipts exceeding fifty lakh rupees.]³
- [(6) Every committee shall pay to the Board every, month all moneys realized as development cess which shall be credited to the Central Mandi Fund established under section 26-PPP.]⁵

[Priorities of liabilities of the Committees

19-A

- The revenues of a Committee shall, after meeting its operating, maintenance and management expenses, be applied as far as they are available in the following order, namely: -
- (i) the repayment of principal amount of, and interest on, loans not guaranteed by the State Government;
- (ii) the repayment of principal amount of, and interest on, loans guaranteed by the State Government;
 - (iii) the repayment of principal amount of, and interest on, sums paid by the

State Government under guarantees, if any, by that Government;

- (iv) the repayment of principal amount of, and interest on loans taken from the State Government:
- (v) the balance remaining to be utilized for the reduction of fees payable to the Committee under this Act or for expenses incurred in the discharge of any of the functions of the Committee, as the Committee they think fit or the Board may direct.]¹

[Market Development Fund

- 19-B (1) There shall be established for each committee, a fund to be called 'Market Development Fund' to which the following amounts shall be credited—
 - (a) sixty five percent of the amount standing to the credit of the market committee fund immediately before the commencement of the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Laws (Amendment) Act, 1978;
 - (b) such other amounts as may from time to time be directed by the Board to be credited to this fund.
 - (2) The Market Development Fund shall be applied for the purposes of the development of the market area, and no amount shall either be spend from the fund or be invested accept in accordance with the directions issued by the Board from time to time.]²
 - 1. Ins. by section 11 of U.P. Act No. 30 of 1974.
 - 2. Added by section 6 of U.P. Act No. 7 of 1978.
 - 3. Subs by section 4 of U.P. Act No. 10 of 1991.
 - 4. Subs by section 3 (a) of U.P. Act No. 4 of 1999.
 - 5. Added by section 3 (b) ibid.

[The Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Act, 1964] 20-22]

[Section

- [(3) Without prejudice to the generality of the provisions of sub-section (2), the Market Development Fund shall be utilized for the following purposes, namely-
 - (i) facilities to the agriculturists, other producers and payers of market fees in the form of amenities, market, intelligence, proper weighment, grading, quality control, storage and infrastructure for value addition activities, reduction of mal-practices, multiple trade charges, levies and other exactions, special facilities for different trades in the New Market Yard, and such other facilities as may be deemed necessary under the provisions of the Act in the market area;
 - (ii) development of principal market yards, sub-market yards, hats and painths and construction of new Market Yards and contraction, maintenance and repairs of link roads and other development works in the market area;
 - (iii) other development and regulatory purposes under the Act.

Explanation- 'New Market Yard' means the place or places specified under clause (b) of sub-section (2) of section 7 for carrying on wholesale transactions.]²

- Recovery of sums due to Committee as arrears of land revenue and power to
- 20. (1) Any amount due to the Committee, if not paid within the prescribed period, may be recovered as arrears of land revenue.
 - (2) A Committee may write off any amount due to it, if it is certified by the Collector to he irrecoverable :

Provided that no amount exceeding Rs.200 shall be written off without the

write off irrecoverable dues

prior approval of the Director.

[Surcharge

21.

22.

- (1) The Chairman, Vice-Chairman and every member, officer and servant, of the Committee shall be liable to surcharge for the loss, waste or misapplication of any money or property of the Committee, if such a loss, waste or misapplication is a direct consequence of his neglect or misconduct while acting as Chairman, Vice-Chairman, member, officer or servant.
- (2) The procedure of surcharge and the manner of the recovery of the amount involved in loss, waste or misapplication shall be such as may be prescribed.
- (3) No suit shall lie in any court for the recovery of any sum recoverable in the manner prescribed under sub-section (2)]¹

CHAPTER IV Officers and Servants of the Committee

Powers and duties of the chairman and the Vice-Chairman (1) The Chairman, and in his absence the Vice-Chairman, shall, subject to the provisions of this Act and the rules and bye- laws made thereunder and the resolutions, if any, of the Committee, exercise superintendence end control over the officers and servants of the Committee and shall exercise such other powers and perform such duties as may be prescribed or delegated to him by the Committee by a resolution passed by it in this behalf.

- 1. Subs. by section 12 of president Act no.13 of 1973 as reenacted by U.P. Act no. 30 of 1974
- 2. Ins. by section 5 of U.P. Act No. 10 of 1991

[The Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Act, 1964] 23-23A]

[Section

(2) The Chairman, and in his absence the Vice-Chairman, shall preside over the meetings of the Committee. In the absence of both, any member chosen by the members present in a meeting shall preside at that meeting.

Appointment of officers and servants of the Market, Committee and their conditions of service

- 23. (1) Subject to the provisions of this Act and the rules made it this behalf, the Committee, its Chairman or Secretary to the extent empowered under the bye-laws or resolutions passed by the Committee, may appoint such officers and servants as may be necessary for carrying out the purposes of this Act on such terms and conditions of service as may be provided for in the bye-laws of the Committee.
 - [(2) Every Committee shall have [such number of Secretaries]³ and such other officers as may be considered necessary by the Board for the efficient discharge of the functions of the Committee, appointed by the Board on such terms and conditions as may be provided for in the regulations made by it;]²
 - $(3) [***]^1$

Constitution of 23-A Centralized service and transfer of employees

- (1) Notwithstanding anything contained in any other provision of this Act, the Beard may constitute cadres of secretaries and such other officers common to all committees as it may deem fit to appoint under sub-section (2) of section 23.
 - [(2) Subject to the provisions of sub-section (2-B) —
 - (a) every person, other than a Government servant, serving in any committee on deputation, who holds a post comprised in the cadre referred to

in sub-section (1), and

(b) every Government servant, serving in any committee on deputation on a post in the said cadre who is not found to be unsuitable, suitability being determined in such manner as may be laid down in regulations,

shall on and from the date of the constitution of the said cadre (hereinafter in this section to be referred to as the said date) become member of the cadre on the terms and conditions mentioned in sub-section (2-A).

- (2-A) Every person, who becomes a member of the cadre under sub-section (2) shall hold office by the same tenure, at the same remuneration, upon the same terms and conditions, and with the same rights and privileges as to pension, Gratuity and other matter as be could have been entitled to on the said date but for the constitution of the cadre and shall continue to be so entitled until his employment as a member of the cadre is terminated or until his remuneration or other terms and conditions of service are revised or altered by the Board under or in pursuance of any law or in accordance with any provision which for the time being governs his service.
- (2-B) Nothing contained in sub-section (2) shall apply to a person who, by notice in writing, given to the State Government within such time as the State Government may, by general or special order specify intimates his intention of not becoming a member of the said cadre.
 - 1. Ins. by section 13 (ii) (a) of president Act no.13 of 1973 as reenacted by U.P. Act no. 30 of 1974.
 - 2. Subs. by section 13 (a)
 - 3. Subs. by section 6 of U.P. Act No. 10 of 1991

[The Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Act, 1964] 23-A]

[Section

- (2-C) The services of an employee, under a committee, who opts against absorption, shall stand terminated on the ground of abolition of post and, on such termination, he shall be entitled to receive from the concerned committee compensation equivalent to--
 - (a) three months emoluments in case of permanent employee;
 - (b) one month emoluments in case of temporary employee;
- (2-D) A Government servant serving in any committee on deputation on any post in the cadre, referred to in sub-section (1) who opts against absorption or who is not found suitable, shall be reverted to his parent department and, if having regard to his seniority, a post is not available for him in the parent department his services shall stand terminated with effect from the date of the order of reversion on the ground of abolition of post and, on such termination, he shall be entitled to receive from the State Government compensation equivalent to the amount mentioned in sub-section (2-C):1

Provided that nothing contained in this section shall apply to any such person who, by notice in writing given to the State Government, may within such time as the State-Government may, by general or special order specify, intimates his intention of not becoming a member of the said cadre:

Provided further that the services of any employee referred to in the preceding proviso under the State Government or under a Committee, as the case

may be, shall stand terminated on account of abolition of the post held by him and he shall be entitled from the State Government or that Committee concerned, the case may be, to the compensation equivalent-

- (a) in the case of a permanent employee-to three months' remuneration;
- (b) in the case of a temporary employee-to one month's remuneration.
- (3) Notwithstanding anything in sub-section (2) but subject to any express agreement to the contrary, any person referred to there- in, who becomes a member of the cadre shall be liable to be transferred from any Committee in which be was employed immediately before the said date to any other Committee at the same remuneration and on the same terms and conditions as governed him immediately before such transfer.
- (4) The rums standing to the credit of the employees referred to in sub-section (2) in any pension, provident fund, gratuity or other like funds constituted for them shall be transferred by the State Government or the Committee concerned, as the case may be, to the Board along with any accumulated Interest due till the said date, along with the accounts collating to such fund, and the Board shall, to the exclusion of the State Government and of any Committee, be liable for the payment of pension, provident fund, gratuity or other like dues as may be payable to such employees at the appropriate time in accordance with the conditions of their service.
- (5) Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force the transfer of services of any employee to any cadre under sub-section (2) shall not entitle any such employee to any compensation under such law, and no such claim shall be entertained by any court, tribunal or authority.

1. Subs. by section 3 of U.P. Act No. 20 of 1984

[Section

- [The Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Act, 1964] 24]
 - (6) Every permanent or temporary employee of the State Government or of a Committee becoming a member of the Cadre under sub-section (2) shall, on and from the said date become a permanent or temporary member of the cadre as the case may be, against a permanent or temporary post, which shall stand created in such cadre with effect from the said date.
 - (7) Nothing in para 426 or 436 of the Civil Service Regulations as applicable to Government servants under the rule making control of the State Government or in any other rules relating to employees of the Committees in relation to retrenchment or abolition of post shall, except to the extent provided in this section, apply to any employee referred to in sub-section (2).]¹

Functions, 24-[(1) The Secretary of a Committee shall be its chief executive officer, and powers and shall, subject to the provisions of this Act, perform such functions, exercise such duties powers and discharge such duties, as may be prescribed, or provided for in the byeof the laws or as the Board or the Director may, by order in writing direct: Secretary

Provided that when more than one secretaries are posted in a Committee, the Director shall nominate one of the Secretaries to be its Chief executive officer and shall determine the functions to be performed, powers to be exercised and duties to be discharged by each of them.]³

- (2) Without prejudice to the generality of the foregoing provisions, but subject to the provisions of this Act and the rules and bye-laws: made thereunder the Secretary shall--
 - (a) exercise all powers of superintendence and control over-
 - (1) all officers and servants of the Committee so aft to ensure propel and efficient discharge of the duties assigned to them by or under this Act; and
 - (2) the affairs of the Committee;
 - [(b) report cases of neglect, misconduct or dereliction of duty by an employee of the Committee to the appointing authority for necessary action, and where so empowered, take disciplinary action against any of the employees of the Committee;]²
 - (c) ensure proper execution of all orders issued by the Board the Chairman or the Committee;
 - (d) ensure proper maintenance of-
 - (i) accounts of all moneys received and of all moneys expended for and on behalf of the Committee;
 - (ii) records of disputes coming up for decision under this Act or the rules or bye-laws framed thereunder; and
 - (iii) a record of the disputes" settled by him in such form as may be prescribed.
 - (3) All licences under this Act shall be issued-under his signatures.
 - 1- Ins. by section 14 of President Act no. 13 of 1973 as re-enacted by U. P. Act no, 30 of 1974.
 - 2- Subs. by section 9 of U. P. Act no. 6 of 1977.
 - 3- Sub. by section 7 of U.P. Act No. 10 of 1991

[The Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Act, 1964] 25-26B]

[Section

[Appeals

25. Subject to rules made in this behalf under this Act, any person aggrieved by an order passed by a Committee under clause (1) or clause (2) of section 17 may, within 30 days of such order, prefer an appeal to the Board in such manner as may be prescribed and the Board shall decide it after giving an opportunity of hearing both to the appellant and to the committee.]¹

Terms and conditions of employment of officers and servants of committee

Subject to rules made in this behalf under this Act, the terms and conditions of employment of the members of a cadre constituted under section 23-A and matters relegation to discipline, control and punishment including dismissal and removal of such officers shall be governed by such regulations as may be made by the Board.]²

Protection of 26. person acting under this Act

Every officer or servant of [the Board or a Committee]⁴ shall be deemed to be a public servant within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code.

CHAPTER V Establishment of the Board

³[Establishment 26-A of the Board

(1) The State Government shall by notification in the Gazette, and with effect from a date to be specified therein, constitute a Board by the name of the State

Agricultural Produce Market Board with its head office at Lucknow.

- (2) The Board shall be a body corporate by the said name having perpetual succession and a common seal and any Sue or the sued by the said name and acquire, hold and dispose of property and enter Into contracts.
 - (3) The Board shall for all purposes be deemed to be a local authority.

Constitution of the Board

- 26-B (1) The Board shall consist of a Chairman appointed by the State Government besides the following other members namely:_
 - [(a) the Agriculture Production Commissioner, Uttar Pradesh if he is not the Chairman;]⁵
 - (b) the Secretary to the State Government in the Finance Department;
 - (c) the Secretary to the State Government in the Food and Civil Supplies Department;
 - [(d) the Secretary to the State Government in the Agriculture Department or where there is no separate Secretary for the said Department, then the Special Secretary or Joint Secretary, as the case may be, in that Department;]⁶
 - (e) the Registrar, Co-operative Societies, Uttar Pradesh;
 - (f) the Director of Agriculture, Uttar Pradesh;
 - [(f-1) the .Agricultural Marketing Adviser to the Government of India;
 - (f-2) the Director, Horticulture and-Fruit Utilization, Uttar Pradesh.;
 - (f-3) the State Agricultural Marketing Officer, Uttar Pradesh;
 - Subs. by section 15 of President Act no. 13 of 1973 as re-enacted by U. P. Act no, 30 of 1974
 - 2. Ins. by section 17 ibid.
 - 3. New actions 26-A to 26 X ins. by S. 18 of President's Act No. 13, 1973 re-enacted by ibid.
 - 4. Subs. by section 10 of U.P. Act No. 6 of 1977.
 - 5. Subs. by section 11 (a) (i) ibid.
 - 6. Subs. by section 11 (a)(ii) ibid.

[The Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Act, 1964] 26 C]

[Section]

- (f-4) the Vice-Chancellor of any of the Universities established under the Uttar Pradesh Krishi Evem Prodyogic Vishwa Vidyalaya Adhiniyam, 1958 to be Comminuted by the State Government;]¹
- (g) $[\sin x]^2$ persons appointed by the State Government from out of the producers elected as members of the Market Committees and for so long as such elected members are not available any $[\sin x]^2$ producers appointed by that Government;
- (h) [two person]³ appointed by the State Government from out of the traders or commission agents elected as members of Market Committees and for so long as such elected members are not available, [any two traders or commission agents]³ appointed by that Government;
- (i) the Director of Mandis who shall be ex-officio Secretary of the Board (hereinafter in this Chapter referred to as the Member Secretary)
- (2) The appointment of Chairman and either members, shall be notified in the Gazette.
 - (3) A member referred to in clause (a), clause (b), clause (c), or clause (d)

may, instead of attending any meeting of the Board himself depute an officer not below the rank of Deputy Secretary and the member referred to in clause (e) may likewise depute an officer not below the rank of Additional Registrar, Co-operative Societies and the member referred to in clause (j) may like wise depute an officer not below the rank of Additional Director of Agriculture [and the member referred to in clause (f-1) may deputed and officer not below the rank of Joint Agricultural Marketing Advisor to the Government of India, and the member referred to in clause (f-2) may depute an officer not below the rank of Additional Director, Horticulture and Fruit Utilization]⁴ shall also have the right to vote.

Disqualification for being Chairman or other member 26-C

A person shall be disqualified for being chosen as and for being the Chairman or other member of the Board if he-

- (a) has boon convicted of all offence involving moral turpitude
- (b) is an undercharged insolvent;
- (c) is of unsound mind and stands so declare by a competent Court;
- (d) holds, except as provided in section 26- D and section 26-E any office of profit under the Board
- (e) has, directly or indirectly by himself or by any partner, employer or employee, any share or interest, whether pecuniary or of any other nature, in any contract or employment, With, by, or on behalf of the Board; or
- (f) is a director or secretary, manager or other officer of any company which has any share or interest in any contract or employment with, by, or on behalf of, the Board:

Provided that a person shall not be disqualified under clause (e) or clause (f) by reason only of his or the company of which he is a director secretary, manager or other officer, having a share or interest in-

- 1. Added by section 11 (a)(iii) of U.P. Act No. 6 of 1977.
- 2. Subs. by section 11 (a) (iv) ibid.
- 3. Subs. by section 11 (a)(v) ibid.
- 4. Subs. by section 11 (b) ibid.

[The Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Act, 1964] 25D-26G]

[Section

- (i) any sale, purchase, lease or exchange of immovable property or any agreement for the fame;
- (ii) any agreement for loan of money or any security for payment of money only;
- (iii) any newspapers in which any advertisement relating to the affairs of the Board, is published;
- (iv) the occasional sale to the Board, up to a value not exceeding ten thousand rupees in anyone year, of any article in which he or the company regularly trades.

Term of Office 26-D of Chairman and other members

(1) Subject to the provisions of sub-section (2) the Chairman and other members of the Board not being ex-office members thereof shall hold office for two years unless the term of the Chairman or such other member is determined earlier by the Government by notification in the Gazette, and shall eligible for

reappointment.

- [(2) A member appointed under clause (f-4) or clause (g) or clause (h) of subsection (i) of section 26-B shall Cease to be a member of the Board as soon as he ceases to be such Vice- Chancellor or elected member of the Market Committee, as the case may be.]¹
- (3) The Chairman or any other member not being an ex-officio member may at any time by writing under his hand addressed to the State Government resign his office, and on, such resignation being accepted he shall be deemed to have vacated his office.

Other provisions regarding office of the Chairman and members other then ex-officio

- (1) The Chairman and other member not being ex officio members be paid from the Board's fund such remuneration, if any, as may be fixed by the State Government.
- (2) If the Chairman or any other member as aforesaid is by infirmity or otherwise rendered temporarily incapable of discharging his functions or is absent on leave otherwise in circumstances not involving the vacation of his appointment, the State Government may appoint another person to discharge his functions under this Act.

Appointment 26-F of Officers and servants

- (1) The Board may appoint such officers and servants as it considers necessary for efficient performance of its functions on such terms and conditions as may be provided for in regulations made by the Board.
- (2) The Board may, with the previous approval of the State Government, appoint a servant of the Central Government or the State Government as an officer or servant of the Board or of a Committee on such terms and conditions as it thinks fit.

Supervision 26-G and control of the Director

Subject to the superintendence of the Board; the general control and direction over all the officers and servant of the Board shall be vested in the Director.

1. Subs by section 12 of U.P. Act No. 6 of 1977

[The Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Act, 1964] 26H-26L]

[Section

Authentication 26-H of orders and other instrument of Board All proceedings of the Board shall be authenticated by the signature of Chairmen or the Member-Secretary and all orders end other instruments issued by the Board shall be authenticated by the signature of the Member-Secretary or such other Officer of the Board as may be authorized in this behalf by regulations.

Delegation 26-I of powers

Subject to the provisions of this Act, the Board may, by general or special order, delegate, either unconditionally or subject to such conditions as may be specified in the order to any [the Director or]¹ the Member-Secretary or any other officer of the Board such of its powers and duties under this Act, as it may deem fit.

Disqualification for participation in

- (1) The Chairman or any other member of the Board of the Board or of sub-committee appointed by the Board who --
 - (a) has any share or interest of the nature described in clause (e) or

proceeding of the Board on account of interest clause (f) of section 26-C, in respect of any matter; or

- (b) has acted professionally, in relation to any matter, on behalf of any person having therein any such share or interest as aforesaid, shall not, notwithstanding anything contained in the proviso to section 26-C, vote or take part in any proceeding of the Board or Committee relating to such matter.
- (2) If any member of the Board or of a Committee appointed by the Board has, directly or indirectly, any interest in any area in which it is proposed to acquire land for any of the purposes of this Act, he shall not take part in any, meeting of the Board or sub-committee in which any matter relating to such land in considered.
- (3) Nothing in sub-section (1) or sub-section (2) shall prevent any member of the Board or sub-committee from voting on, or taking part in discussion of, any resolution or question relating to any subject other than a subject referred to i8n those sub-section.

Acts not to be 26-K in validated by informality, vacancy etc,

No act done or proceedings taken under this Act by the Board or a subcommittee appointed by the Board shall be invalidated merely on, the ground of-

- (a) any vacancy or defect in the constitution of the Board or sub-committee; or
- (b) any defect or irregularity in the appointment of a person acting as a member thereof; or
- (c) any defect or irregularity in such act or proceeding, not affecting the substance.

Power and functions of the Board

(1) The Board shall, subject to the provisions of this Act, have the following functions and shall have to do anything which may be necessary or expedient for carrying out those functions,-

(i) Superintendence and control over the working of the Market Committees and other affairs thereof including programmes undertaking by such Committees for the [construction of new Market Yard and development of existing Markets and Market Areas;]²

- 1. Subs by section 13 of U.P. Act No. 6 of 1977.
- 2. Subs. by section 14 (a) ibid.

[The Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Act, 1964]

26-L

[Section 26M-26N]

- (ii) giving such direction to Committees in general or any Committee in particular with a view to ensure efficiency thereof;
 - (iii) any other function entrusted to it by this Act;
- (iv) such other functions as may be entrusted to the Board by the State Government by notification in the Gazette .
- (2) Without prejudice to the generality of the foregoing provision, such power shall include the power-
 - (i) to approve proposals of the new sites selected by the Committee for the development of Markets;
 - (ii) to supervise and guide the Committees in the preparation of siteplans and estimates of construction programmes undertaken by the Committee;
 - (iii) to execute all works chargeable to the Board's fund;

- (iv) to maintain accounts in such forms as may be prescribed and get the same audited in such manner as may be laid down in regulations of the Board;
- (v) to publish annually at the close of the year, its progress report, balance-sheet, and statement of assets and liabilities and send copies thereof to each member of the Board as well as to the Chairman of all the market Committees:
- (vi) to make necessary arrangements for propaganda and publicity on matters related to regulated marketing of agricultural produce;
- (vii) to provide facilities for the training of officers and servants of the Market Committees.
 - (viii) to prepare and adopt budget for the ensuing year;
- (ix) to make [subventions and loans]¹ to Market Committees for the purposes of this Act on such terms and conditions as the Board may determine:
- (x) to do such other things as may be of general interest to Market Committees or considered necessary for the efficient functioning of the Board or as may be specified from time to time by the State Government.

Directions on 26-M questions of policy

- (1) In the discharge of its functions, the Board shall be guided by such directions on questions of policy as may be given to it by the State Government.
- (2) If any question arises whether any matter is or is not a matter as respects which the State Government may issue a direction under sub-section (1), the decision of the State Government shall be final.

Annual reports 26-N statistics, returns and other information

(1) The Board, shall as soon as may be after the end of each financial year, prepare and submit to the State Government before such date and in such form as the State Government may direct, a report giving an account of its *activities* during the previous financial year, and the report shall also give an account of the activities, if any, which are likely to be undertaken by the Board in the next financial year, and the State Government shall cause every such report to be laid before the State Legislature as soon as may be after it is received by the State Government.

1. Subs by section 14 (b) of U.P. Act No. 6 of 1977.

[The Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Act, 1964] 26O-26PP]

[Section

(2) The Board shall furnish to the State Government at such time and in such form and manner as the State Government may direct, such statistics and returns and such particular in regard to any proposed or existing activities of the Board or any other matter under the control of the Board as the State Government may from time to time require.

Execution and 26-O registration of contracts etc.

Every contract or assurance of property on behalf of the Board shall be in writing and executed by such authority and ill such manner so may be provided by regulations.

[Board's Fund 26-P

(1) The Board shall have its own fund, which shall be deemed to be a local fund and to which shall be credited all moneys received by or on behalf of the Board, except the moneys required to be credited in the Uttar Pradesh State

Marketing Development Fund under section 26-PP.

- (2) In particular and without prejudice to the generality of the provisions of this Act relating to the purpose and the manner of investment and disposal, the fund referred to in sub-section (1) shall be utilized by the Board for the following purposes; namely-
 - (1) payment of salary, leave allowance, gratuity, other allowances, loan, and advances and provident Fund to the officers and servants employed by the Board and pension and other contribution to the Government servants on deputation;
 - (2) payment of traveling and other allowances to members of the Board;
 - (3) other purposes relating to the establishment of the Board or for carrying out the purposes of this Act generally.]¹

[Uttar Pradesh 26-PP State Marketing Development Fund

- (1) There shall be established for the Board, a Fund, to be called the Uttar Pradesh State Marketing Development Fund' to the which following amounts shall be credited, namely-
 - (a) all contributions received from the Committees under sub- section (5) of section 19 except such percentage thereof as the State Government may direct to be credited to the Board's Fund:
 - (b) such other amounts as the State Government or the Board may direct, to be credited to the Board's Fund.
- (2) The fund established under sub-section (1) shall, subject to the provisions of this Act, be utilized by the Board for the following purposes; namely:- .
 - (1) facilities to the agriculturists, other producers and payers of market fee in the market area:
 - (2) development of principal market yards, sub-market yards, hats and painths and construction of New Market Yards in the market area;
 - (3) construction, maintenance and repairs of link roads, market lanes and other development works in the market area;
 - (4) market survey and research, grading and standardization of specified agricultural produce;
 - (5) propaganda, publicity and extension services and the matters relating to the general improvement of the conditions of buying and selling of specified agricultural produce;

1. Subs. by section 8 of U.P. Act No. 10 of 1991.

[The Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Act, 1964]

[Section 26PPP-26Q]

- (6) aid to financially weak and under-developed committees in the form of loans and grants;
- (7) acquisition or construction, or hiring on lease or otherwise of buildings or land for performing the duties of the Board;
- (8) better development of market areas and control of market committees;
 - (9) meetings and legal expenses;
 - (10) training of officers and staff of the market committee in the State;
- (11) technical assistance to the market committees in the preparation of site plans and estimates of construction and in the preparation of project reports of master plans for development of principal market yards and sub-

market yards and market areas;

- (12) internal audit of the Board and the market committees;
- (13) matters specified in sections 16, 19, and 19-B not covered by the preceding clauses;
- (14) any other purpose, to give effect to the provision of this Act or generally to regulate marketing of specified agricultural produce.]¹

[Central Mandi Fund

26-PPP

- (1) There shall be established a Fund to be called the Central Mandi Fund to which the following amount shall be credited, namely:-
 - (a) all moneys paid to the Board under sub-section (6) of section 19;
 - (b) such other amount as the State Government or the Board may direct.
- (2) The Central Mandi Fund shall be utilized by the Board for the following purposes namely:-
 - (a) assistance to financially weak and under developed Committees in the form of loans or grants;
 - (b) construction, maintenance and repairs of market yards, links roads, culverts and other development works in the market area;
 - (c) grants or loans to the committees for development works;
 - (d) such other purposes as may be directed by the State Government or the Board in such manner as may be prescribed.]²

Restriction on 26-Q unbudgeted expenditure

- (1) Save where in the opinion of the Board circumstances of extreme urgency have arisen, no sum exceeding such amount as the State Government may from time to time fix in that behalf on account of recurring or non-recurring expenditure shall be spent by the Board in any financial year unless such sum has been included in a statement submitted under sub-section (1) of section 6-V.
- (2) Where any such sum is spent in circumstances of extreme urgency a report thereon, indicating the expenditure, shall be made as soon as practicable to the State Government.
 - 1. Subs. by section 8 of U.P. Act No. 10 of 1991.
 - 2. Subs. by section 4 of U.P. Act No. 4 of 1999.

[The Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Act, 1964] 26R-26V]

[Section

Subvention to 26-R the Board

The State Government may, after due appropriation by law of the State Legislature, from time to time make subventions to the Board for the purposes of this Act, on such terms and conditions as the State Government may determine.

Loans to the 26-S Board

The State Government may from time to time advance loans to the Board on such terms and conditions, not inconsistent with the provisions of this Act, as the State Government may determine.

Power of 26-T Board to borrow

(1) The Board may from time to time, with the previous sanction of the State Government and subject to the provisions of this Act and to such conditions as the State Government may by general or special order determine, borrow any sum required for the purposes of this Act, whether by the issue of bonds or stock or otherwise or by making, arrangement with bankers.

- (2) The Board may not to any time have on loan under sub-section (1) a part from the amount of loans from the State Government, an amount exceeding such amount as the State Government may, from time to time, fix in that behalf.
- (3) Stock issued by the Board under this section shall be issued, transferred, dealt with and redeemed in such manner as the State Government may by general or special order direct.

Priorities of liabilities of the Board

26-U

The revenues of the Board shall, after meeting its expenses, be a plied, as far as they are available, in the following order; namely-

- (1) the repayment of principal amount of and interest on bonds not guaranteed by the State Government;
- (2) the repayment of principal amount of and interest on stock not guaranteed by the State Government;
- (3) the repayment of principal amount of and interest on bonds guaranteed by the State Government;
- (4) the repayment of principal amount of and interest on stock so guaranteed
- (5) the repayment of principal amount of and interest on sums paid by the State Government under guarantees, if any;
- (6) the repayment of principal amount of and interest on loans advanced to the Board by the State Government including arrears of such interest.

Account and 26-V Audit

(1) The Board shall before the commencement of and may at any time during a financial year, prepare a statement or a supplementary statement, as the case may be, of programmes of its activities during that year as well as financial estimates in respect thereof and submit them to the State Government, in such manner and by such dates as it may by general or special order direct, for its previous approval.

[The Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Act, 1964] 26W-26X]

- (2) The Board shall cause to be 'maintained proper books of account and other books in relation to its accounts and prepare the annual balance-sheet.
- (3) The accounts of the Board shall be audited by such auditor as the State Government may by general or special order direct, and the auditor so appointed shall have power of requiring the production of documents and the furnishing of information respecting all matters.
- (4) The accounts of the Board as certified by the auditor, together with the audit report thereon shall be forwarded annually to the State Government who may issue such directions to the Board in respect thereof as it may deem fit, and the

Board shall comply with such directions.

- (5) The State Government shall-
 - (a) cause the accounts of the Board, together with the audit report there on, received by it under sub-section (4) to be laid annually before each House of the State Legislature; and
 - (b) cause the accounts of the Board to be published in such manner as it thinks fit.

Surcharge 26-W

- (1) The Chairman and other members, officers and servants of the Board shall be liable to surcharge for the loss, waste or misapplication of any money or propriety, of, the Board, if such less, waste or misapplication is direct consequence of his neglect or misconduct while acting as such Chairman or-other member officer or servant.
 - (2) The procedure of surcharge shall be such as may be prescribed.
- (3) Any amount found to be involved in such loss, waste or misapplication as a result of proceedings for surcharge shall be recoverable as arrears of land revenue, and no suit may be instituted in any civil court for the recovery of any such amount.
- (4) Nothing in sub-section (3) shall prevent the Board from de ducting any amount referred to therein from any sum payable by the Board on account if remuneration or otherwise to such Chairman or other member, officer or servant.

Regulation 26-X

- (1) The Board may, with the previous approval of the State Government, make regulations, not inconsistent with this Act and rules made thereunder, for the administration of the affairs of the Board.
- (2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, such regulations may provide for all or any of the following matter; namely--
 - (a) the summoning and holding of meetings of the Board, the time and place where such meetings are to be held, the conduct of business at such meetings and the number of persons necessary to form a quorum thereat;
 - (b) the powers and duties of the officers and other employees of the Board:
 - (c) the salaries and allowances and other conditions of service of officers and other employees of the Board and or officers referred to in subsection (2) of section 23;

[The Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Act, 1964] 27-28]

- (d) the management of the property of the Board;
- (e) the execution of contracts and assurances of property on behalf of the Board:
- (f) the maintenance of accounts and the preparation of balance-sheet by the Board;
 - (g) the procedure for carrying out the functions of the Board under this

Act;

- (h) any other matter for which provision is to be or may be made in regulations.
- (3) Until any regulations are made by the Board under sub-section (I), any regulations which may be so made by it may be made by the State Government, and any regulations so made may be altered or rescinded by the Board in exercise of its power under sub-section (1).1

External Control

- [27. (1) Subject to the provisions of this Act, the general superintendence, direction and control over the Committee, its Chairman, Vice-Chairman and other members, its Secretary and Zother officers referred to in sub-section (2) of section 23, shall be vested in the Board.]²
 - (2) [The Board or the Director]² is may inspect, or cause to be inspected, all document or records relating to the affairs of the Committee and, require the Committee, its Chairman, Vice-Chairman, members, officers or servants to furnish such information or material as he may consider necessary.
 - (3) On receipt of a complaint in respect of an act relating to the affairs of the Committee, the Sate Government may require the Director to conduct enquiry or institute proceeding against the Committee, its Chairman, Vice-Chairman, member Secretary, or officer, and the Director shall act accordingly.

Act no. 5 of 1908

- (4) The Director shall, or the purpose of holding any enquiry under this Act, have the same powers as are vested in a Civil Court under the Code of Civil Procedure, 1908, when trying a suit; in respect of the following matter, namely-
 - (a) summoning and enforcing the attendance of any person and examining him on oath;
 - (b) requiring the discovery and production of documents; and
 - (c) any other matters which may be prescribed.

Power of the Board to remove a member of the committee

28.

- (1) [The Board]³ may remove a member, Chairman or Vice- Chairman of the Committee, where it is of the opinion that he-
 - (a) has been guilty of misconduct or gross negligence of duly as such member, Chairman or Vice-Chairman; or
 - 1- Ss, 26-A to 26-X inserted by 8. 18 of president Act no. 13 of 1973 as re enacted by U.P. Act no. 30 of 1974.
 - 2- Subs. by section 19(a) and 19(b) ibid.
 - 3- Subs by section 20 ibid.

[The Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Act, 1964] 29-31]

- (b) ceases to hold the qualifications necessary for his being a member, Chairman or Vice-Chairman.
- (2) No order of removal under sub-section (1) shall be passed unless the person concerned has been afforded reasonable opportunity of submitting an explanation in respect of the allegations against him.

Super session of Committee

29. Where [the Board]¹ is of opinion that a Committee has failed in the performance of its functions or discharge of its duties, or has exceeded or abused the powers conferred on it by or under This Act, it may, by notification in the Gazette, supersede the Committee:

Provided that no order of supersession shall be passed unless the Board]¹ has afforded reasonable opportunity to the Committee of submitting a written explanation in respect of the allegations against it.

Consequences of supersession 30.

Upon publication of the notification superseding a Committee under section 29, the following consequences shall ensue-

- (1) all the members, including the Chairman and the Vice- Chairman, of the Committee shall, as from the date of publication of the notification, be deemed to have vacated their offices;
- (2) the State Government shall direct that steps be taken for constitution of a new Committee under section 13, and till such time as a new Committee under section 13 is constituted as aforesaid, the Board shall make such arrangements for carrying out the functions of the Committee as it may deem fit, and may, for that purpose, direct that all the functions, powers and duties of the Committee, and its Chairman under this Act, shall be performed, exercised and discharged by such person or authority as [the Board]² may appoint in this behalf, and such person or authority shall be deemed to be the Committee or Chairman, as the case may be.

Power of the board to prohibit execution or further execution of resolution passed or order made by the committee

- 31. (1) [The Board]³ may, of its own motion, or on report or complaint receive, by order, prohibit the execution or further execution of a resolution passed, or order made by the Committee or its order ,made by the Chairman or any of its officers or servants, if it is of the opinion that such resolution or order is prejudicial to the public interest, or is likely to hinder efficient running of the business in any Market Area, Principal Market Yard or Sub-Market Yard or is against the provisions of this Act, or the unless or bye-laws made thereunder.
 - (2) Where the execution or further execution of a resolution or order is prohibited by an order made under sub-section (1) and continuing in force, it shall be the duty of the Committee, if so required by the Board]³, to take any action which the Committee would have been entitled to take if the resolution or order had never been made or passed, and which is necessary for preventing the Chairman or any of its officers or servants from doing or continuing to do anything under the resolution or order.
 - Subs. by section 21 of President Act No. 13 of 1973 as re-enacted by U. P. Act no. 30 of 1974.
 - 2 -Subs. by section 22 ibid.
 - 3- Subs. by section 23 ibid.

[The Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Act, 1964] 32-34]

[Section

Power of the Board to call for the proceedings of a committee and pass order thereon 32. [The Board]¹ may, for the purpose of satisfying itself as to the legality or propriety of any decision of, or order passed by, a Committee, at any time call and examine the proceedings of the Committee, and, where it is of the opinion that the decision or order of the Committee should be modified, annulled or reversed, pass such orders thereon as it may deem fit.

[Delegation of powers

33. The Board may, by regulations, delegate subject to such conditions of restrictions and in such manner, as may be specified there in, any of its powers to the Director.

Powers of Director to ensure performance of duties of market committees

- 33-A (1) Where the Director, on a complaint made to him or otherwise is satisfied that a committee has not performed any duty imposed on it by or under this Act, he may require the require committee to performance such duty within the period specified by him.
 - (2) If such duty is not performed within the specified period the Director may appoint, a person to perform it and may direct that the expenses incurred in its performance including the reasonable remuneration of such person, shall be paid by the committee forthwith.
 - (3) If such expenses are not so paid, the Director may require the Board to pay the same, and the amount, so paid by the Board shall be recoverable by the Board from the Committee.

Powers of the State Government

- (1) The State Government with a view to satisfying itself that the powers, functions and duties of the Board or a Committee by or under this Act are exercised or performed by it properly, may require the Commissioner or the Collector or any other person or persons to inspect or cause to be inspected any property, office, document or, any work of the Board or the Committee or to make inquiries into all or any of the activities of Board or the Committee in such manner as may prescribed and to report to it the result of such inquiry within such period as may be specified.
 - (2) The Board or the Committee, as the case may shall give to the Commissioner or the Collector, or other person or persons, all facilities during inspection and for the proper conduct of the inquiry and shall produce any document or information in its' possession when so demanded, for the purpose of such inspections or inquiry, as the case may be.]²

CHAPTER VI Miscellaneous

Suit against, the Committee

- 34. (1) No suit shall be instituted against any Committee, its Chairman, Vice-Chairman or any member, officer or servant thereof, for anything done, or purporting to be done, in its or his official capacity until the expiration of two months from the date of service of a notice in writing, stating the cause of action, the name and place of abode of the plaintiff and the relief claimed.
 - (2) The notice under sub-section (1) shall-
 - (1) where it is a notice to the Committee, be delivered at its office on any working day or handed to its Chairman, Vice-Chairman or Secretary or shall be sent by registered post; and
 - 1. Subs. by section 21 of President Act No. 13 of 1973 as re-enacted by U. P. Act no. 30 of 1974.
 - 2. Subs. by U.P. Act No. 10 of 1991

[The Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Act, 1964] 35-36]

- (2) in every other case, be delivered to the person concerned or sent by registered post.
- (3) No suit referred to in sub-section (1) shall, unless it is a suit for recovery of immovable property or for a declaration of title thereto, be instituted otherwise

than within six months next after the accrual of the cause of action.

(4) Nothing in sub-section (1) shall be construed to apply to a suit wherein the only relief claimed is an injunction of which the object would be defeated by the giving of the notice or the postponement of the commencement of the suit or proceeding.

[Recovery of sums due to Government from Committee

35. Any sum due to the State Government from the Board or a Committee, or to the Board from a Committee, or to a Committee from another Committee may be recovered as arrears of land revenue.]¹

[Powers of entry, search and seizure

36.

(1) The Secretary of the Market Committee or any officer authorized by the State Government or the Board in this behalf, may,---

- (a) For carrying out any of the duties imposed on the Market Committee under this Act, inspect at all reasonable time, all accounts, registers and other documents pertaining to the purchase and sale of agricultural produce and enter any shop, godown, factory or other place where such account books or registers or other documents or such goods are kept and take or cause to be taken such copies or extracts from such account books, registers and other documents as may be considered necessary;
- (b) Seize any account books, registers or other documents for reasons to be recorded in writing and prepare an inventory of such account books, registers and other documents, provided that a copy of such inventory shall be furnished to the person in charge of such account books, registers or other documents:
- (c) Seize any agricultural produce in respect of which he has reason to believe that an offence under this act has been or is being or is about to be committed;
- (d) Seize any vehicle or animal which he has reason to believe to be in use or to have been used for carrying such agricultural produce and detain the same for so long as may be necessary in connection with any proceeding or prosecution under this Act:

Provided that a report of the seizure shall forthwith be made by the person seizing the agricultural produce, vehicle or animal to the Magistrate having jurisdiction to try offences under this Act, and the provisions of section 457, 458 and 459 of the Code of Criminal procedure, 1973, shall as for as may be, apply in relation to the agricultural produce, vehicle or animal seized as aforesaid, as they apply to property seized by a police officer;

1. Subs. by section 16 of U.P. Act No. 6 of 1977.

[The Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Act, 1964] 37-37A]

[Section

Provided further that the grounds for seizing any such agricultural produce, vehicle or animal shall be communicated in writing within twenty-four hours of the seizure to the person from whose possession the same was seized, and to the Magistrate having jurisdiction to try offences

under this Act.

Act No. 2 of 1974

(2) The provisions of section 100 of the Code of Criminal procedure, 1973, relating to search and seizure shall, so far as may be, apply to searches and seizures made under this section.]¹

[Penalty

- 37. (1) Any person who contravenes any of the provisions of section 9 or section 10 or the rules or bye-laws made, thereunder shall, on conviction, be punished,--
 - (a) for the first offence, with fine which may extend to five thousand rupees;
 - (b) for a second and any subsequent offence of the same nature with imprisonment which may extend to one year, or with fine which may extend to ten thousand rupees or with both, and in case of continuing contravention, with a further fine up to rupees one thousand for every day subsequent to the date of second conviction or any subsequent conviction for which the contravention has continued;

Provided that in the absence of special and adequate reasons to the contrary mentioned in the judgment of the court the fine for the first offence shall not be less than two hundred and fifty rupees and for the second or subsequent offence, shall not be less than five hundred rupees.

- (2) Any person who contravenes any of the provisions of this Act or the rules or bye-laws made thereunder, except the provisions of sections 9 and 10 and the rules and bye-laws made thereunder shall be punishable with fine which may extend to two thousand rupees and in the case of continuing contravention with a further fine up to rupees two hundred for every day subsequent to the date of the first conviction for which the contravention has continued.
- (3) Whenever any person is convicted of an offence punishable under this Act, the Magistrate shall in addition to any fine which may be imposed, recover summarily and pay to the Market Committee, the amount of fee or any other amount, due from him under this Act or the rules or bye-laws made thereunder and may in his discretion also recover summarily and pay to the Market Committee cost of the prosecution.]²

[Compoundin 37-A -g of offence

(1) A market committee or its sub-committee or with the authorization by a resolution of a committee, its Chairman, may accept from any person who has committed or is reasonably suspected of having committed an offence punishable under this Act in addition to the fee or other amount recoverable from him, a sum of money not exceeding rupees [twenty thousand]³ by way of composition fee and compound the offence.

- 1. Subs by section 17 of U.P. Act No. 6 of 1977.
- 2. Subs by section 5 of U.P. Act No. 4 of 1999.
- 3. Subs by section 6 ibid.

[The Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Act, 1964] 38-39A]

[Section

(2) On the composition of any offence under sub-section (1) no proceeding shall be taken or continued against the person concerned in respect of the such offence, and if any proceedings in respect of that offence have already been instituted against him in any Court, the composition shall have the effect of his acquittal.]³

Trial of offences

- 38. (1) No offence punishable under this Act shall be tried by a court inferior to that of a Magistrate of the First Class.
 - (2) No court shall take cognizance of any offence under this Act except on the complaint of the Director or Secretary or such other person as may be authorized by the Committee by resolution passed in this behalf.

Bye-laws

- 39. (1) A Market Committee may make bye-laws not in consultant with this Act and the rules made thereunder, to provide for :-
 - (1) regulation of its business;
 - (2) appointment, powers, duties and functions of the sub-committee, if any, appointed under clause (vii) of section 17;
 - (3) duties of traders, brokers, commission agents, ware-housemen, weighmen and palledars; and
 - (4) any other matter which by or under this Act is required to be provided for by bye-laws:

[Provided that no bye-law, other than a bye-law made by adopting draft or model bye-law suggested by the [Board]², shall be valid unless approved by the [Board]².]¹

- (2) If, in respect of any matter specified in sub-section (1), the Committee has failed to make any bye-laws or if the bye-laws made by the Committee are not, in the opinion of the [Board]², adequate, the [Board]² may make bye-laws providing for such matters to such extent as it thinks fit.
- [(3) The power under this section to make bye-laws shall be exercised subject to any general or special directions issued by the State Government in that behalf.]⁴

[Submission of statement of purchases and sales

39-A Every Whole sale trader or commission agent, shall before the thirtieth day of April every year submit to the Market Committee a statement of purchases and sales of specified agricultural produce or through him during the previous year in such form and in such manner and setting fourth such other particulars as may be specified in the bye-laws.

Explanation— For the purposes of this section, 'previous year' means the financial year immediately proceeding the year in which such statement is required to be submitted.]⁵

¹⁻ Subs. And be deemed always to have been substituted by section 10 of U.P. Act No. 10 of 1970.

²⁻ Subs. by section 10 (i)(a) of President Act no, 13 of 1973 as re enacted by U.P. Act no. 30 of 1974.

³⁻ Ins. by section 19 of U.P. Act No. 6 of 1977.

⁴⁻ Added by section 5 of U.P. Act No. 19 of 1979.

5- Subs. by section 7 of U.P. Act No. 4 of 1999.

[The Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Act, 1964] 40]

[Section

Rules

- 40. [(1) The State Government may make rules for carrying out the purposes of this Act.]¹ The State Government may, subject to their previous publication in the Gazette, make rules for carrying out the purposes of this Act.
 - (2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, the rules may provide for all or any of the following matters:-
 - (1) the conduct of election of members and matters relating thereto, including and revision of the list of voters and other to constitution of a Committee;
 - (2) the filling of vacancies in the office of the Chairman, Vice-Chairman, or other member of a Committee;
 - (4) the election of the Chairman and the Vice-Chairman of a Committee:
 - (4) the procedure relating to meetings of a Committee, including quorum;
 - (5) the traveling and other allowances that may be paid to the members of a Committee;
 - (6) matters relating to the functions, powers and duties of a Committee, its chairman, members, officers and servants;
 - (7) licence fees and "market fees which may be levied and realized by the Committee, and their mode of recovery;
 - (8) the terms "and conditions for issue and renewal of licences under this Act;
 - (9) the procedure to be followed in regard to the settlement of differences and disputes under this Act;
 - (10) the manner in which plans and estimates for the work to be carried out by a Committee shall be prepared and submitted for sanction or approval under this Act;
 - (11) the registers and books to be maintained by a Committee;
 - (12) the form in which the accounts of a Committee shall be kept, the manner in which the same shall be audited, and the time or times at which they shall be published;
 - (13) the form and particulars to be mentioned in reports and returns to be submitted by a Committee;
 - (14) the manner of investment and disposal of surplus funds of a Committee;
 - [(14-a) the manner of deposit in, withdrawal from and maintenance and utilization of, the Uttar Pradesh State Market Development Fund;]²
 - (15) matters in regard to the inspection of weights and measures, and weighing and measuring instruments in use in the Market Area;
 - (16) the trade charges which may be received by any person in any transaction of the specified agricultural produce in the Principal Market Yard or Sub-Market Yards;
 - (17) the grading and standardization of the specified agricultural produce;

- 1. Subs by section 4 of U.P. Act No. 20 of 1984.
- 2. Subs by section 11 of U.P. Act No. 10 of 1991.

[The Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Act, 1964] [Section 40]

- (18) exhibition by traders of price lists of specified agricultural produce;
- (19) the manner in which the sale or auction of the specified agricultural produce shall be conducted and bids made and accepted in the Market Area:
- (20) the conditions subject to which a Committee may lease, sell or otherwise transfer any property;
- (21) the authority for and the manner of, making contracts, on behalf of a Committee;
- (22) the terms and conditions of employment of the officers and servants of a Committee and matters relating to discipline, control, punishment, dismissal, discharge, and removal of such officers and servants;
- (23) the procedure for the hearing and disposal of appeals under this Act;
- (24) the regulation of advances, if any, given to agriculturists by brokers, commission agents or traders;
 - (25) fees for arbitration and appeals;
- (26) maintenance and submission of account books' by traders, commission agents, brokers and weighmen and their inspection;
- (27) the time, place and manner of sampling, sale, purchase, weighment and recording of transactions and mode of payments;
- (28) provision of accommodation for storing any of the specified agricultural produce brought to the market Area;
- (29) procedure for preparation and submission for approval of annual budget;
 - (30) matters relating to the inspection of the working of Committee;
- (31) the prohibition of brokers from acting in any transaction on behalf of both the buyers and the sellers of any of the specified agricultural produce; [***]¹
- [(31-a) matter relating to election of members of Committees and or sub-section (2) of section 13;
 - (31-b) constitution of Centralized service under section, 23-A; and
 - (31-c) the procedure in respect of-surcharge under section 26-W; and]²
 - (32) any other matter which is to be or may be prescribed.
- (3) All rules made under this Act, shall, as soon as may be after they are made, be laid before each House of the State Legislature while it is in session, for a total period of fourteen days extending in its one session or more than one successive sessions and shall, unless some later date is appointed, take effect from the date of their publication in the Gazette, subject to such modifications or amendments as the two Houses of Legislature may agree to make, so, however, that any such modification or amendment shall be without prejudice to the validity of anything previously done [thereunder.

- Del. By 8 27 of president Act no. 13 of 1973 as re-enacted by U.P. Act no. 30 of 1974.
 Ins by section 27 of President Act No. 13 of 1973 as re-enacted by ibid.

[The Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Act, 1964] [Schedule]

¹[SCHEDULE [SECTIONS 2(a) AND 4-A]

A- Agriculture 1-Cereals----

- 1- Wheat 8- Bejhar 2- Barely 9- Manduwa 3- Paddy 10- Oats 4- Rice 11- Kakun 12- Kodon 5- Jowar 13- Kutki 6- Maize 7- Bajra 14- Sawan II- Legumes-----1- Gram 8- Soyabean 2- Peas 9- Khesari 3- Arhar 10- Sanai (seed) 4- Urd 11- Dhaincha (seed) 5- Moong 12- Guar 6- Masoor 13- Moth 7- Lobia (seed) 14- kulthi III- Oilseeds ----6- Til seed 1- Mustard and tape seed (in cluding rye, 7- Mahuwa seed duwan, taramira, and toria) of al kinds. 8- Gullu 2- Linseed. 9- Cotton seed 3- Sehuwan (seed) 10- Saflower seed 4- Castor seed 5- Groundnut 5- Dhaincha IV- Fibres---6- Rambans 1- Jute 7- Mesta 2- Cotton (ginned and unginned) 3- Sunnhemp fibre 4- Paston V- narcotics---5- Sonf (anised) 1- Tabacco 6- Turmeric 7- Dry mango slices and amchoor VI- Spices----8- Cumin seed 1- Coriander 2- Ripe chillies 3- Methi (seeds) 4- Dry ginger VII- Grass and Fodder-
 - 1. Ins. and be deemed always to have been inserted by section 11 of U.P. Act no. 10 of 1970.

[The Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Act, 1964] [Schedule]

dried)

Bhusa

2-

[Schedule]

1- All types of grass and fooder (green and

VIII- Miscellaneous---

- 1- Cholai seeds
- 2- Poppy seed
- 3- Ramdana

- 8- Ambri seed
- 9- Mahuwa flower (dry)
- 10- Chairaunjee

- 4- Walnuts
- 5- Ban
- 6- Neeem seed
- 7- Celery seed

B- Horticulture-

- I- Vegetables—
- 1- Potato
- 2- Onion
- 3- Garlic
- 4- Sweet potato
- 5- Colocasia
- 6- Ginger (green)
- 7- Kachalu
- 8- Ghillies
- 9- Tomato
- 10- Cabbage, cauliflower knol khol.
- 11- Carrot
- 12- Radish
- 13- Brinjal
- 14- Tinda
- 15- Bottle gourd
- 16- Green peas
- 17- Turnip
- 18- Parwal
- 19- Beans
- 20- Saag(of all kinds)
- II- Fruits—
- 1- Lemons
- 2- Orange
- 3- Mosambi
- 4- Sweet orange(malta)
- 5- Grape fruit
- 6- Banana
- 7- Pomegranates
- 8- Strawberries
- 9- Musk melon
- 10- Water melon
- 11- Snap melon
- 11- Shap inc
- 12- Papaya
- 13- Phalsa
- 14- Poopy
- 15- Apple
- 16- Guava
- 17- Ber
- 18- Aonla

- 11- Berseem (seed)
- 12- Lucern (seed)
- 13- Makhana
- 14- Sugarcane
- 15- Mesta seed
- 21- Betal leaves
- 22- Beet root
- 23- Yam
- 24- Elephant foot
- 25- Lettuce
- 26- Dill
- 27- Jack fruit(green)
- 28- Cucumber
- 29- Snake gourd
- 30- Bittter gourd
- 31- Sponage gourd
- 32- White gourd
- 33- Lady's finger
- 34- Pumpkin
- 35- Cluster beans
- 36- Tamarind
- 37- Banda
- 38- Singhara
- 39- Lobia (green)
- 19- Peaches
- 20- Loquat
- 21- Bela
- 22- Pineapple
- 23- Mango
- 24- Plum
- 25- Fig
- 26- Hack fruit (ripe)
- 27- Kamrakh
- 28- Karonda
- 29- Kates
- 30- Khirni
- 31- Apricot
- 32- Jamun

34	- Litchi Chiku - Pear	36- Custard apple37- Mulberry38- Pumelo39- Raspberry
1- D- 1 E-	Viticulture - Grapes Apiculture 1- Honey Sericulture - Silk	2-wax
F- 1- G- 1- 2- 3- 4- 5- 6-	Pisciculture Fish Animal husbandry products Poultry Eggs Cattle Sheep Goat Butter	9- Cottage cheese 10- Milk 11- Hides and skins 12- Bones 13- Meat 14- Bristles 15- wool 4-Reetha 5-Lac 6-Catechu
1-	Ghee Khoya Forest Products Gum Wood Tendu leaves	